राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ४१वां दिवस [संख्या २४

बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११. १० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६६१

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह थोड़ा बाद में ले लिया जाय तब तक यह लिस्ट मैं देख लूं, क्योंकि यह लिस्ट मुझे अभी मिली है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त होने के बाद If there is time.

श्री भैरोंसिंह : लिस्ट मुझे अभी मिली है । इसको थोड़ा देख लूं ।

प्रश्न संख्या ६६२

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

नेशनल हाई वे

६६३. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Public Works Minister be pleased to state.

What are the approved works on the National Highway in Rajasthan and what is their progress? Their districtwise figures may be given.

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (1) A list is appended herewith.

(2) As above in the list.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : यह जो लिस्ट दी गई है इसमें केवल चार डिस्ट्रिक्ट्स के ही फिगर्स हैं, तो क्या नेशनल हाईवेज़ केवल ४ डिस्ट्रिक्ट्स में ही जाते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : और कहीं नहीं आते हैं । बस यहीं आते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : इन ४ डिस्ट्रिक्ट्स में जयपुर में ३० लाख का प्लान है जब कि उदयपुर में एक करोड़ का है, तो इतनी डिस्पेरिटी कैसे है ?

Page No.2

श्री नाथूराम मिर्धा : जयपुर डिस्ट्रिक्ट में लैंग्थ छोटी है और वहां लैंग्थ लंबी है ।

भाखरा स्कीम में पड़ने वाली जमीन को पंचायत पीलीबंगा द्वारा कम दामों में बेचना

९९४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि पंचायत पीलीबंगा तहसील सूरतगढ़ के सरपंच (श्री भगीरथ) ने कुछ जमीन बेची है ? यदि हां, तो किनको, कितनी जमीन और किस कीमत में बेची गई ?

(२) क्या पंचायतों को भाखरा स्कीम में पड़ने वाली जमीन को न बेचने के लिए सरकारी आदेश दिए गए थे ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त जमीन नियमविरुद्ध बिना बोली लगाये बेची गई ? क्या इसके बेचने के पूर्व पूरी पंचायत की राय ली गई थी ?

(४) क्या इसकी शिकायत चीफ पंचायत ऑफिसर के यहां हुई और वहां से इस जमीन के विक्रय को कैन्सिल करने के आदेश दिये गये उस पर अब तक भी कोई कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां । सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(२) जी हां ।

(३) स्थिति अनेक मामलों में भिन्न भिन्न है जिसकी जांच की जा रही है ।

(४) जी हां । शिकायत हुई । कैन्सिल करने के कोई आदेश अब तक नहीं दिये गए, क्योंकि मामला सरकार के विचाराधीन है

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : जब सरकार की ओर से आदेश दे दिये गये थे कि भाखरा स्कीम की जमीन सरपंच नहीं बेच सकता है, तो वहां के सरपंच ने यह जमीन कैसे बेच दी है ?

श्री दौलतराम सारण : यह जो जमीन बेची गई है इसके लिए प्रश्न के भाग तीन में जैसा कि बतलाया गया है कि इसमें अनेक तरह की शिकायतें हैं । भाखरा स्कीम के अन्दर मंडियों की जमीन को नहीं बेचने के आदेश के पहले भी वह जमीन दी गई है और मंडी एरिया के बाहर जो जमीन दी गई, उसमें मंडी एरिया की शिकायतों के अलावा और तरह की भी शिकायतें हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : इसमें कितनी जमीन ऐसी है जो आदेश जारी होने के पहले बेच दी गई है और कितनी जमीन ऐसी है जो आदेश जारी होने के बाद सरपंच ने बेची है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : इसकी अलग कोई जानकारी नहीं है । कुछ जमीन ऐसी हैं जो पहले बेच दी गई थी और कुछ बाद में बेची है ।

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न के भाग (३) के उत्तर में यह बतलाया गया है, स्थिति अनेक मामलों में भिन्न भिन्न है जिसकी जांच की जा रही है । तो यह कब से जांच हो रही है और अब जांच की क्या स्थिति है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि कुछ तो प्लॉट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑर्डर के पहले से ही जब कि यह सारी जमीन रेवेन्यु

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

डिपार्टमेंट के अन्डर में थी, तब से पट्टे के आदेश तो हो गये थे लेकिन पट्टे दिये नहीं गये थे। कुछ मंडी एरिया के ऑर्डर होने के पहले हो गये और कब्जा ऑर्डर के पहले का है। सब की जांच कर रहे हैं कि कौन सा वाजिब है और कौन सा नहीं है। इसकी जाँच करने के आदेश दे दिये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जांच करके सरकार नतीजे पर कब तक पहुंच जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि जल्दी ही हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेन्ट्री और है।

यह जो तालिका दी गई हैं इसमें से जो १५ लोगों को फ्री जमीन दी गई है, वह किस आधार पर दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : पहले से कब्जा था और पहले से कब्जा समझकर दिये गये हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपको बतलाया गया कि कई प्रकार की शिकायतें आई हैं। सब शिकायतें की जांच करके ही अन्तिम फैसला हो सकता है। जांच जब तक चल रही है तब तक किसी एक के मामले में भी नहीं कहा जा सकता है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जिन लोगों को फ्री दी गई है उनमें भूतपूर्व एम. एल. ए. श्री मनफूलसिंह और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री दौलतराम सारण : मुझे मालूम नहीं है कि कौन हैं और कौन नहीं हैं ? लिस्ट आपको दी गई है, आप देख लें। लेकिन लिस्ट में जो बतलाया गया है, वह पहले से उन पर काबिज़ हैं।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

मोरेल बांध की नहरों का कार्य इस वर्ष पूरा करने का आश्वासन

६६६. श्री पृथ्वीराज (गंगापुर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि दिनांक ६ अप्रैल, सन् १९५८ में श्री उमेदीलाल, एम० एल० ए० के प्रश्न संख्या १२१६ के उत्तर में यह आश्वासन दिया गया था कि मोरेल बांध की नहरों का कार्य इस वर्ष पूरा करने की तजवीज है ?

(२) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई ? सर्वे होकर एस्टीमेट कब तक तैयार हो जावेगा तथा कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

(३) इस बांध की नहरों का पानी तहसील बामनवास व कस्बा बामनवास तक कब तक जा सकेगा ?

(४) क्या सरकार इस नहर को तहसील व कस्बा बोंली तक ले जाने का विचार कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

Page No.4

(श्री रामकिशोर व्यास)

(२) ८० प्रतिशत कार्य संपूर्ण हो चुका है और बाकी कार्य चालू है।

(३) बामनवास तहसील के कई गांवों को मोरेल का पानी अब भी दिया जा रहा है व कुछ और गांवों को देने के लिए नहरों को आगे बढ़ाने की तजवीज जारी है, परन्तु खास बामनवास तक नहर ले जाने की कोई योजना नहीं है।

(४) तहसील बौंली के कई गांवों में मोरेल की नहरों से सिंचाई अब भी होती है, परन्तु बौंली गांव तक नहर ले जाने की कोई भी योजना नहीं है।

श्री पृथ्वीराज : सरकार की योजना कब तक हो जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : है ही नहीं योजना।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये प्रश्न पूछा है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसीलिये जवाब दिया है।

(हंसी)

पीली बंगा पंचायत द्वारा जमीनों को कम दामों में बेचना

६६७. **डॉ॰ चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पंचायत पीली बंगा, तहसील सूरतगढ़, जिला गंगानगर में कुछ जमीन सरकारी आदेश के विरुद्ध अनियमित ढंग से बहुत कम दामों में बेची गई ?

(२) इसकी जांच किन-किन ने की ? क्या यह सच है कि सही ढंग से जांच कर रिपोर्ट देने वाले का वहां से तबादला कर दिया गया है और सही रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई ?

(३) क्या डिविज़नल पंचायत ऑफिसर बीकानेर ने इस मामले में उचित कार्यवाही के लिये चीफ पंचायत ऑफिसर को कई बार लिखा है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) कुछ जमीन आदेशों के विपरीत अनियमित रूप से बेचने सम्बन्धी सूचना पंचायत अधिकारियों की जांच के अनुसार की जानी पाई गई ?

(२) इसकी जांच सहायक निरीक्षक श्री रामकुमार व निरीक्षक श्री लेखराम व डिविज़नल पंचायत अधिकारी श्री सुन्दरनाथ व्यास ने की। यह सही नहीं है कि सही रिपोर्ट देने वालों का स्थानान्तरण किया गया और यह भी सही नहीं है कि रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई।

(३) जी हां, डी.पी.ओ. ने सी.पी.ओ. को उचित कार्यवाही तक के लिये दो बार लिखा है। मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

डॉ॰ चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर सप्लीमेन्ट्री करना है।

श्री अध्यक्ष : आपने सप्लीमेन्ट्री काफी पूछ लिये हैं पहिले प्रश्न में। श्री पृथ्वीराज, प्रश्न संख्या ६६८।

डॉ० चन्द्रकला : नहीं तो, यह तो दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह भी तो पंचायत पीली बंगा के बारे में है।

डॉ० चन्द्रकला : यह तो दूसरा है, पंचायत इन्स्पेक्टर के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : विषय तो एक ही है। जमीन की अनियमितताओं के बारे में सरकार जांच कर रही है।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लिया हुआ है, तो उस पर सप्लीमेन्ट्री करने का मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछा जा चुका है।

सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत मलारना डूंगर के विरुद्ध पंचायत धन के दुरुपयोग के मुकदमे।

६६८. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् ४६ से ५१ के मध्य सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत मलारना डूंगर के विरुद्ध पंचायत धन के दुरुपयोगों के मुकदमे बने ?

(२) यदि हां, तो ऐसे कितने और कौन-कौन से मुकदमे बने और उनमें क्या निर्णय हुए ?

(३) क्या यह सही है कि लालटेन खरीद, बल्लियां खरीद, भैंस बिक्री और हल्ला वगैरह की चराई वापसी हक के मामले दबे पड़े हैं ?

(४) क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) इस प्रकार की शिकायतों के पत्र पंचायत के रिकॉर्ड में पाये गये। अतः विभागीय जांच कराई जा रही है और हिसाब की जांच के लिये लोकल फंड ऑडिट विभाग को लिखा जा चुका है।

(४) आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री रामजी काक का राजकीय पद

६६९. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Agriculture be pleased to state:—

(1) What is the specific official designation of Shri Ramji Kak, his specific official duties and functions in the Department ?

(2) What are his technical or other qualifications ?

(3) What is specifically the nature of his appointment ?

(4) What is the pay, establishment charges of this new officer and the staff ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (1) The correct name of the person is Shri V. N. Kak, and not Shri Ramji Kak.

श्री श्रीभानसिंह : I hope the correct name is certified by the Police also.

Page No.6

श्री नाथूराम मिर्धा : Shri V. N. Kak has been appointed as Honorary Agriculture and Animal Husbandry Adviser to the Government of Rajasthan and that is his official desigation.

As an Honorary Adviser he keeps over all touch with the activities of the Agriculture and Animal Husbandry Departments and adviser in matters pertaining to these Departments as and when necessary.

(2) He is a Graduate. Besides he is a progressive farmer, whose contribution towards agriculture and animal Husbandry has been recognised by Government of India also and for this consideration he was also selected as a member of Four members delegation sent to Russia in 1956.

(3) Honorary.

(4) No salary or honoraria is paid to Shri V. N. Kak. No other staff has been provided except one P. A. (Stenographer) and a peon.

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इनकी नियुक्ति पी०एस०सी० के द्वारा की गई थी या माननीय मंत्री महोदय ने की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : कौन सी क्वालिफिकेशन है उनके पास में प्रोग्रेसिव फॉर्म की ? क्या उनके पास जमीन सबसे ज्यादा है, या उनका जो फार्म पर इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न ज्यादा है । किस तरह से प्रोग्रेसिव फार्म का काइटेरिया ले रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जमीन कई लोगों के पास राजस्थान में उनसे ज्यादा है, लेकिन जितनी जमीन उनके पास में है उस जमीन पर जिस तरह से मिक्स्ड फार्मिंग यहां पर बनाया गया है उसकी राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में भी उसकी दूर तक सराहना हुई है । उन्होंने एक अच्छा काम किया है मिक्स्ड फार्मिंग का ।

श्री श्रीभानसिंह : बाहर सराहना जो हुई है उसके एप्रिसियेशन लैटर्स गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने दिये हैं या खुद माननीय मंत्री महोदय ने किसी को दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह एप्रिसियेशन लैटर्स उनके पास में हैं, वे काफी बड़े बड़े आदमियों के हैं । अगर आप उनको देखना चाहें तो मैं उनसे कह दूंगा कि वे फाइल आपको बता दें ।

श्री श्रीभानसिंह : उनके एप्रिसियेशन लैटर्स पर, माननीय मंत्री महोदय, उनकी नियुक्ति एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है या एज़ पोलिटिकल ऑफिसर की है । अगर एज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है तो उनकी पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया गया था गजट में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट नहीं है । वे केवल एडवाइज़ करने के लिए है । कई अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं । काफी अच्छा उनको ज्ञान है । वे अच्छे अच्छे मैगज़ीन पढ़ते हैं और काफी दूसरी जानकारी रखते हैं । उनके नोटिस में वे बातें हैं जो हमारे ध्यान में नहीं हैं । वे काफी फायदा पहुंचाने वाली चीजें इसमें बताते हैं ।

Page No.7

डॉ॰ बहादुरसिंह : इनसे और कोई योग्य व्यक्ति नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे तो वे कम से कम इस मामले में काफी योग्य लगे। दूसरे ऑफिसर नहीं आये हैं उनके मुकाबले में। अगर आप पेश करेंगे तो जरूर रख लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : किस मामले में।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस खेतीबाड़ी के मामले में और पशु पालन के मामले में।

श्री पी॰के॰चौधरी : एनीमल हस्बेंडरी की प्रोफिशियेन्सी अण्डे प्रोड्यूस करने में है या किस तरह से है ? सिर्फ अण्डे प्रोड्यूस करने से ही वे एनीमल हस्बेन्डरी में एक्सपर्ट हो गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे धान भी पैदा करते हैं और बहुत अच्छा धान पैदा करते हैं। एक छोटे से फार्म में काफी पैदा कर रहे हैं।

श्री पी॰के॰चौधरी : मैं एनीमल हस्बेन्डरी का पूछ रहा हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : उनका प्रोफिशियेंसी पीरियड कितना है ? उनका फार्मिंग का एक्सपिरियेन्स कितने साल का है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्सपीरियेन्स उनका ८, १० साल का है।

श्री श्रीभानसिंह : ८ साल का है या १० साल का, कोई स्पेसिफिक पीरियड बताइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब करीब १० साल से तो मैं देख रहा हूं।

श्री श्रीभानसिंह : आपने जाकर देखा था एट होम पर, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन एक ग्रेजुएट की है और टैक्निकल क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। सिर्फ आप कहते हैं कि प्रोफिशियेन्सी और एक्सपीरियन्स देख कर इनको लिया है तो उनके एक्सपीरियेन्स का पीरियड कितने साल का है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टैक्निकल क्वालिफिकेशन तो आपकी भी नहीं है लेकिन आप टैक्निकल बातें भी करते है, हम जानते हैं कि आपको भी इनका कुछ एक्सपीरियेन्स है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो उनका पीरियड ऑफ एक्सपीरियेन्स जानना चाहता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस मामले में उनका एक्सपीरियेंन्स काफी है। हमको उनसे काफी जानकारी मिलती है और उनको मुफ्त में रखा गया है।

श्री पी॰के॰चौधरी : जो एग्ज़ीबिशन्स हुए हैं, उनमें उनको कहां कहां से प्राइज़ेज़ मिले हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अरे भई, उनको कई प्राइज़ेज़ मिले हैं।

श्री श्रीभानसिंह : सरकार को कैसे जानकारी हुई कि उनसे ज्यादा एक्सपीरियेन्स वाला दूसरा आदमी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरीके से मिक्स्ड फार्मिंग चलाने में आज तक कोई कामयाब हुआ हो तो बताइये।

श्री भीमसेन : मुर्गी पालने में उनका कैसा एक्सपीरियन्स है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत अच्छा।

Page No.8

श्री भैरोंसिंह : ये एडवाइज़ गवर्नमेंट को देते हैं या फार्मर्स को भी देने जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे एडवाइज़ गवर्नमेन्ट को भी देते है, फार्मर्स के पास भी जाते हैं, उनसे टच रखते हैं, बातें करते हैं, उनको नयी बातें बताते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन्होंने अब तक किसी क्षेत्र का दौरा नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका दौरा करने का काम नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या पोस्ट व्यक्ति को देख कर बनाई जाती है या पोस्ट के लिये व्यक्ति की तलाश की जाती है ?

केकड़ी राष्ट्रीय नगरपालिका मजदूर संघ का रजिस्ट्रेशन

१०००. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Labour Minister be pleased to state:—

Is this correct that since the registration of Kekri Rashtriya Nagar Palika Mazdoor Sangh, the Chairman of the Municipality is indulging in unfair labour practices and putting pressure on the members of the Sangh either to resign the membership of the Sangh or to face dismissal ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : The complaint is being enquired into by the Labour Officer, Ajmer.

श्री पी० के० चौधरी : There is no report from the Labour Officer, Ajmer yet.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट नहीं आई है, इन्क्वायरी कर रहे हैं, ११–८–५८ को जांच के लिए भेजा है।

श्री पी० के० चौधरी : Then this question may be deferred for the next week.

श्री अध्यक्ष : The enquiry is not likely to complete by then.

श्री पी० के० चौधरी : But the complete information is not there.

श्री अध्यक्ष : You may place it again.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am prepared to give him any information that he may like and I have.

प्रश्न संख्या १००१

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

कपासन नगरपालिका

१००२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नगरपालिका में ऐसे व्यक्तियों की, जिन पर दफा ३५० व ३६० के मुकद्दमात फौज़दारी होते हैं, नियुक्ति की जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड, कपासन में श्री नाथूलाल बापना नामक व्यक्ति, जिन पर दफा ३५०, ३६० आई०

(श्री लक्ष्मीचन्द)

पी० सी के मुकद्दमात होते हुए भी उनको नियुक्त किया गया है ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : दफा ३५० व ३६० ताजीरात हिन्द में जुर्म की तारीफ में सज़ा नहीं होती ।

(१) जी नहीं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैंने यह पूछा था कि इन जुर्म वालों का अपॉइन्टमेन्ट किया जाता है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब तक किसी को सज़ा नहीं होती तब तक किसी को अपॉइन्ट करने में एतराज नहीं है, लेकिन दफा ३५० व ३६० में सजा होती नहीं है ।

प्रश्न संख्या १००३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १००४ व १००५

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नगरपालिका झालावाड़ के चेयरमैन पर सफर खर्च

१००६. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

नगरपालिका झालावाड़ के चेयरमैन ने सन् ५७ से अब तक किस-किस तारीख को कहां-कहां तक जाने का कितना-कितना सफर खर्च आदि नगरपालिका से प्राप्त किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : सूची मांगी थी ५७-५८ की, इसलिये मेरे प्रश्न का हल नहीं निकलता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने प्रश्न पूछा है नगरपालिका झालावाड़ के चेयरमैन ने सन् ५७ से अब तक किस-किस तारीख को कहां-कहां जाने में कितना कितना सफर खर्च किया, ५७ से ५८ तक का स्टेटमेन्ट दे दिया है ।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : इस स्टेटमेन्ट में ५८ का ही दिया गया है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका मतलब यह कि ५७ में उन्होंने यात्रा नहीं की होगी, सन् ५८ के अगस्त तक जो यात्रा की उसका ब्यौरा दे दिया ।

बूसी बृहत् सहकारी समिति में मैनेजर की नियुक्ति

१००७. **श्री मनरूपराम** (खारची) : क्या मंत्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बूसी बृहत् सहकारी समिति में मैनेजर रखते वक्त नियमानुसार समिति की राय नहीं ली गई और सहायक रजिस्ट्रार, पाली द्वारा नियुक्ति करके मैनेजर भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री मनरूपराम)

(२) क्या यह सही है कि मैनेजर नियुक्त कर भेजा गया उसको नियुक्ति के १५ दिन पूर्व ही जिला विकास अधिकारी, पाली द्वारा बरख्वास्त किया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि समिति ने लगातार शिकायतें कीं कि उक्त मैनेजर का काम संतोषजनक नहीं है फिर भी उसे ट्रेनिंग के लिये भेजा जा रहा है .

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम सारण) (१) जी नहीं। मैनेजर की नियुक्ति सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पाली द्वारा समिति की कार्यकारिणी समिति की मांग पर की गई थी, जिसे उक्त समिति ने अपनी बैठक दिनांक १६. ६. ५८ के प्रस्ताव संख्या ३ में स्वीकार किया है।

(२) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(३) जी नहीं।

अकलेरा (जिला झालावाड़) की जेल से गंगाराम का भागना

१००८ **श्री भैरवलाल काला बादल** (अकलेरा) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गंगाराम नाम का व्यक्ति अकलेरा (जिला झालावाड़) की जेल से किस तारीख को किस समय भागा था ?

(२) क्या यह सही है कि गंगाराम कैदी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट अकलेरा के बर्तन साफ करने के लिये जेल से हर रोज निकाल लिया जाता था और उससे बंगले की झाड़ू भी लगवाई जाती थी ?

(३) जिस रोज जेल से गंगाराम भागा उसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी ? क्या यह कैदी जेल तोड़ कर भागा था ?

(४) गंगाराम किस गांव का रहने वाला था ? क्या यह सही है कि यह अपने पिता से अलग दूसरे गांव में रहता था ? गंगाराम के पास गुजारे का क्या साधन था ? उसके पास कितने मवेशी और कितनी जमीन थी ?

(५) गंगाराम के भाग जाने की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

(६) गंगाराम के भाग जाने के कारण किन किन व्यक्तियों को पकड़ा ?

(७) इस संबंध में गांवों के मवेशियों को पकड़ कर कितने दिन, किस तारीख से किस तारीख तक फाटक में रखा गया और नीलाम की कार्यवाही क्यों की गई ?

(८) क्या यह भी सही है कि गंगाराम की औरत को रात भर पुलिस ने अपने अधिकार में रखा तथा उसके साथ गाली-गलौच आदि आदि अमानुषिक व्यवहार किया गया था ?

(९) उपरोक्त कांड में राज्य अधिकारियों ने किन किन लोगों के माल, मवेशी, असबाब आदि घरों से निकाल कर हिरासत में लिया ? क्या उन लोगों के मकानों पर ताले लगाकर सील भी कर लिये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) गंगाराम कैदी तारीख १७-३-५८ को सुबह ८ बज कर १० मिनिट पर भागा।

(२) यह सही नहीं है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(३) इसमें वैसे तो गलती वार्डर की है और हैड वार्डर की है, लेकिन जिम्मेवारी ऑफिसर इन्चार्ज सब जेल की भी मानी जाती है।

(४) वह जेल तोड़ कर नहीं भागा था।

(५) वह कोलियारा गांव का रहने वाला है और कभी अपने पिता के शामिल और कभी अलग रहता है। उसके पास खेती करने के लिये ५० बीघा जमीन और एक पक्का कुआ था और १६ मवेशी थे।

(६) इसकी जांच सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस कोटा द्वारा की गई।

(७) किसी को नहीं पकड़ा। केवल गंगाराम के ढोर कुर्क किये गये और गांव के किसी अन्य व्यक्ति के ढोर कुर्क नहीं किये गये।

(८) जी नहीं, यह बात नहीं है।

(६) केवल गंगाराम के मकान में ताला लगाकर सील लगाई गई।

श्री भैंवरलाल 'काला बादल' : क्या गंगाराम अपने पिता से अलग नहीं रहता था ?

श्री रामकिशोर व्यास: कभी शामिल रहता था और कभी अलग।

डॉ० बहादुरसिंह: जिस वक्त वह भागा था उस समय वह क्या काम कर रहा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस समय जेल में था।

डॉ० बहादुरसिंह : जेल के अन्दर था या बाहर ?

श्री रामकिशोर व्यास : जेल के अन्दर ही था लेकिन वार्डर ने ताला अच्छी तरह से नहीं लगाया था, इसलिये भाग गया।

श्री पी० के० चौधरी : यह कैसे मालूम हुआ कि वह पिता के शामिल रहता था या अलग ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोर्ट में तहकीकात की गई।

श्री भैंवरलाल 'काला बादल': क्या यह सही है कि जो मवेशी कुर्क किये गई, उनमें गंगाराम के दूसरे रिश्तेदारों के भी थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : गंगाराम के ही मवेशी लिये गये है।

श्री भैंवरलाल 'काला बादल' : जब उजरदारों ने उजरदारी की है कि मवेशी हमारे हैं, तो उन्हें आप गंगा राम के कैसे बता रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे गंगाराम के कब्जे में थे।

श्री तेजाराम गहलोत : जब कि गंगाराम जेल से भागा था, तो मवेशी उसके कब्जे में कैसे थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसके घर के लोग तो थे।

श्री भैंवरलाल 'काला बादल' : अपराध गंगाराम ने किया था, या उसके रिश्तेदारों ने ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो अपराध करता है, उसको ही सजा होती है।

श्री भैंवरलाल कालाबादल : अध्यक्ष

Page No.12

(श्री भैरवलाल काला बादल)

महोदय, समझ में नहीं आता, कि किस तरह से जवाब दिया जाता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जाब्ता फौजदारी के अनुसार ऐसा कायदा है कि जब कोई कैदी भाग जाता है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती है ।

श्री भैरवलाल काला बादल : क्या जान बूझकर उसको पुलिस अधिकारियों ने भगाया था, रुपये खाने के लिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह गलत है ।

श्री भैरवलाल काला बादल : किसके द्वारा जांच कराई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बतलाया था कि सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस कोटा ने जांच की थी ।

बूसी के सरपंच द्वारा गबन

१००६. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले की ग्राम पंचायत बूसी के सरपंच जसवन्तसिंह द्वारा गबन किया गया है ? यदि हां, तो कितने रुपयों का ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां । तीन हजार पांच सौ बावन रुपये, तीन आने (३,५५२ रुपये ३ आने) ।

(ख) जी नहीं । इस सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : कार्यवाही कब से जारी है ?

श्री दौलतराम सारण : श्री० पी० ओ० को २२-७-५८ को भ्रष्टाचार निरोधक मामला भेजा है और कार्यवाही जारी है ।

हाईकोर्ट की जयपुर बैंच को बनाये रखने के सम्बन्ध में आन्दोलन

१०१० **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Home Mininster be pleased to state:—

(a) It is correct that during the agitation for retention of High Court bench at Jaipur, policemen were used as agent provocateurs to disturb peaceful demonstrations ?

(b) It is correct that on 14-7-1958 a person was caught red handed by the public while throwing stones and on a search of his body he was found to possess a C.I.D identity card ?

(c) Is it correct that a Public Relation Offiicer was caught by the audience in a meeting at Jaipur while he was trying to disturb the meeting ?

(d) Is it correct that the police were detected in throwing stones on peaceful crowds at Johri Bazar on 24-7-58 ?

(e) Is it correct that on 25-7-58, the police truck which went to arrest satyagrahies at Chandpole Bazar was

Page No.13

(श्री पी० के० चौधरी)

detected by the people to carry heaps of stones in it ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं, यह सत्य नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह इस हद तक सही है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया था, वह पी० आर० ओ० नहीं बल्कि जन-सम्पर्क विभाग का कर्मचारी था और उसने मीटिंग में भी डिस्टरबेन्स नहीं किया ।

(द) जी नहीं, सत्य नहीं है । ऐसी कोई बात विभाग को सूचित नहीं की गई ।

(इ) जी नहीं, असत्य है । पत्थर ले जाने वाली ट्रक प्राइवेट आदमी से पुलिस ने उस समय किराये पर ली थी, जिस समय वह पत्थर खाली कर रही थी, उसे साफ करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन हो सकता है कि उसमें छोटे टुकड़े रह गये हों ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो ट्रक चांदपोल बाजार में पकड़ा गया, उसमें पुलिस कर्मचारी बैठे हुए थे, और उसमें पत्थर थे ? जिस ट्रक में पत्थर और कर्मचारी थे, और जनता ने पकड़ा उसके बारे में गोकुलेश भट्ट, मजिस्ट्रेट ने लिख कर दिया कि ट्रकमें पत्थर थे और पुलिस कर्मचारी थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि उसमें छोटे-मोटे टुकड़े थे ।

श्री पी० के० चौधरी : जिस पब्लिक रिलेशन विभाग के आदमी को पकड़ा गया था, वह किस वजह से पकड़ा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह पर्चे बांट रहा था ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या वह पीये हुए था ? Was he drunk ?

श्री रामकिशोर व्यास : मीटिंग उधर हो रही थी, मीटिंग में नहीं बांट रहा था । वह विज्ञप्ति बांट रहा था ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या पुलिस घरों में घुस कर लोगों को पीटती थी ? The Police used to enter into the houses and then beat the people therein.

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं, गलत है ।

प्रश्न संख्या १०११

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०१२

श्री तेजमल बापना ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

म्युनिसिपैलिटी, पाली के चेयरमैन को चैकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार

१०१३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या पाली म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन को चैकों पर हस्ताक्षर करने व रकम का भुग-

(श्री मूलचन्द डागा)

तान करने के अधिकार हैं ? अगर है, तो किस कानून के अन्तर्गत और कब से ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज अधिनियम, १६५१ के अन्तर्गत अध्यक्ष, नगरपालिका ही नगरपालिका के समस्त वित्तीय मामलों की देखरेख करते हैं व चैकों पर हस्ताक्षर करते हैं। राजस्थान म्युनिसिपल एकॉउन्ट्स रूल्स सन् १६५३ की धारा ५ के अन्तर्गत भी अध्यक्ष को ही चैक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह अधिकार एक्जीक्युटिव ऑफिसर को नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

कुथुन से लालसोट सड़क का निर्माण

१०१४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** : (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कुथुन से लालसोट तक जाने वाली रोड बनाने का काम चालू है ?

(२) क्या यह बात सच है कि लालसोट से उपरोक्त सड़क को १० मील तक पक्का कर दिया है और कुथुन से एक भी मील का काम पूरा नहीं हुआ ?

(३) उपरोक्त सड़क का ठेका किस सन् में और किस को दिया गया था ?

(४) अब उस सड़क का काम कौन ठेकेदार कर रहा है ?

(५) अब उपरोक्त सड़क का काम पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं, कार्य चालू है।

(३) मील १ से १३ का श्री जेठूसिंह हरख नारायण को २१-१-५६. तथा उक्त ठेका रद्द होने पर मील १ से ५ का रवैलसिंह २६-१०-५८ को, मील १४ से १६ श्री कपूरचन्द सिंगल १२-६-५५, मील १७ से २० श्री शिवदयाल १६-५-५६, मील २१ से २३ श्री जिनेन्द्रप्रसाद मनमोहन ११-३-५७, पुनः श्री शिवदयाल १२-२-५८, मील २४ से २६ दिनेन्द्रप्रसाद गर्ग दिनांक २-११-५५ को।

(४) सरदार रवैलसिंह तथा शिवदयाल ठेकेदार।

(५) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर काम पूर्ण होने की आशा है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह ठेका एक व्यक्ति को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा: ऐसा कायदा नहीं है।

प्रश्न संख्या १०१५

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल: अध्यक्ष महोदय, १०१५ का जवाब दे दिया जाय।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह ।

श्री सरदारसिंह, इन्चार्ज पुलिस आउट पोस्ट गुढ़ा (जिला झुन्झुनू) के खिलाफ रिश्वत की शिकायत

१०१६. **श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा)** : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सही है कि श्री सरदारसिंह यादव, इन्चार्ज पुलिस आउट पोस्ट गुढ़ा, जिला झुन्झुनू के खिलाफ जनता की तरफ से लोगों के साथ मारपीट करने, गाली निकालने तथा रिश्वत लेने की शिकायत पुलिस के अधिकारी जिला झुन्झुनू के पास आई है ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों की कोई जांच नहीं की गई ?

(३) क्या यह सही है कि भोला मीना निवासी गुढ़ा ने इन्चार्ज पुलिस आउट पोस्ट, गुढ़ा के खिलाफ रिश्वत लेने तथा उसे मारपीट करने की शिकायत एस० पी० झुन्झुनू के यहां की, जिस पर एस० पी० झुन्झुनू ने कोई जांच नहीं की और असल दरख्वास्त को उसी इन्चार्ज आउट पोस्ट गुढ़ा के पास भेज दी जिससे नाराज हो कर उसने भोला मीना निवासी गुढ़ा को फिर मारपीट की ?

(४) क्या यह सही है कि श्री सरदारसिंह, इन्चार्ज पुलिस आउट पोस्ट गुढ़ा की शिकायतों के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों के शिष्ट मंडल कई दफा एस० पी० झुन्झुनू से मिल चुके हैं, लेकिन एस० पी०, झुन्झुनू ने उनकी शिकायतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया ।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं, श्री भोला मीना की एस० पी० के पास शिकायत नहीं आई, अतः ऐसी शिकायत सीधी हैड कॉन्स्टेबल के पास नहीं भेजी गई ।

(४) एक प्रतिनिधि मंडल एक बार एस० पी० झुन्झुनू से मिला और उसने अपनी शिकायत पेश की है । उस पर जांच प्रारम्भ की है और अब भी जारी है ।

श्री शिवनाथसिंह : आपने 'क' में बतलाया 'जी हां' इन शिकायतों की जांच किसने की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सी० आई० नवलगढ़ जांच कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : डेपुटेशन कब मिलने गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : जांच कब से शुरू हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत आई उसके बाद से ही ।

श्री मूलचन्द डागा : कोई तारीख ।

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं, तारीख नहीं है ।

प्रश्न संख्या १०१७

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास ।

(अनुपस्थित)

श्री आनन्दसिंह कछवाहा ।

जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा प्लॉट अलॉट

१-१८. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले पांच वर्षों में जयपुर शहर के अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने 'सी स्कीम व बनी पार्क में टाउन प्लानिंग द्वारा रखे हुए मार्गों को बन्द करके कितने प्लॉट बना कर किन किनको अलॉट किये ?

(२) क्या इस तरह रखे गये मार्गों को बन्द करके प्लॉट बनाकर बेच देने का उक्त बोर्ड को अधिकार है ? यदि हां, तो किस सरकारी आज्ञा द्वारा ?

(३) बोर्ड द्वारा इस प्रकार मार्ग बन्द करके प्लॉट अलॉट कर देने बाबत सरकार के पास अब तक कितनी शिकायतें पहुंचीं और सरकार ने उन पर क्या कदम उठाये ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बोर्ड को आज्ञा दी हुई है कि' सी' स्कीम व बनीपार्क में कोई भी जमीन बिना सरकार की पहले आज्ञा लिए, बिना नीलाम किये बेची नहीं जा सकती ? यदि हां, तो इस तरह बिना सरकारी आज्ञा व नीलाम के दी हुई जमीनों को कैंसिल करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(५) क्या सार्वजनिक मार्ग बन्द करने के निर्णय लेने के पूर्व बोर्ड ने टाउन प्लानिंग इन्जीनियर से राय ली थी ? यदि हां, तो उसने क्या राय दी ?

(६) क्या यह सही है कि बोर्ड ने मिर्जा इस्माइल रोड पर फुटपाथ के लिये छोड़ी हुई जमीनों के भी छोटे छोटे प्लॉट बना कर अलॉट कर दिये हैं ? यदि हां तो क्या इससे राजधानी की खूबसूरती पर असर नहीं पड़ेगा ? क्या सरकार इस तरह की कार्यवाही को रोकने के लिए कोई सक्रिय कदम उठा रही है ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) 'सी' योजना के अन्तर्गत केवल एक आवश्यक मार्ग को बन्द करके दो प्लॉट (१) श्री रामसिंह कौशिक व (२) श्री मन्नालाल आर्य को अलॉट किये गये थे, परन्तु इन प्लॉटों के पड़ौसियों द्वारा आक्षेप उठाने पर उक्त व्यक्तियों को अन्य स्थान पर जमीन दे दी गई है और सड़क पूर्ववत् मानचित्र के अनुसार छोड़ दी गई है ।

(२) इस विषय में सरकार की कोई आज्ञा नहीं है ।

(३) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(४) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(५) इम्प्रूवमेंट बोर्ड में विभागीय इन्जीनियर है, इसलिए टाउन प्लॉनिंग इन्जीनियर की राय लेने का सवाल ही नहीं उठता है ।

(६) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्नालाल आर्य की दर्ख्वास्त किस तारीख की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : पांच साल पहले की है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : सबसे पहले जो मानचित्र बना हुआ था, उसके अनुसार न बेचने और उसके विरुद्ध बेचने के क्या कारण थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने उत्तर को नहीं समझा। यह प्रश्न उस गली को बन्द करने का है, बेचने का सवाल नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर।

थानेदार पदमपुर के विरुद्ध रिश्वत की शिकायत

१०१६. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या थाना पुलिस, पदमपुर में श्री बद्री गांव डेलवा, तहसील पदमपुर ने तारीख १४-८-५७ को गांव डेलवा में पाकिस्तान से १० मन अफीम श्री रामनारायण आदि के पास आने की सूचना दी थी ?

(२) क्या यह सच है कि सब-इन्स्पेक्टर पदमपुर ने दो दिन तक मौके पर न पहुँच कर कोई कार्यवाही नहीं की और मन्ना-राम सिपाही द्वारा मुल्जिमान को इस सूचना से सूचित कर दिया ?

(३) क्या यह सच है कि श्री बद्री ने तारीख २६-७-५७ को एस० पी०, गंगानगर को शिकायत की ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(३) जी नहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई इसलिये आगे कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इस प्रकार की एस० पी० को शिकायत की गई कि जो अफीम पकड़ी गई १० मन, उसके लिए कॉन्सटेबल ने ६ हजार.... ...

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा शिकायत नहीं है। फिर सवाल कहां पैदा होता है।

डॉ० बहादुरसिंह : मेरे पास कॉपी मौजूद है, जो शिकायत एस० पी० को की है

श्री रामकिशोर व्यास : ऑफिस में अवेलेबल नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या अफीम नहीं पकड़ी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से सवाल है।

श्रीमती सतवन्तकौर : इस मामले को लेकर बहुत झगड़ा हुआ और आप कहते हैं कि शिकायत नहीं हुई।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

जनाना अस्पताल, जयपुर में बीमारों के दूध में पानी की मिलावट

१०२०. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर सु) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जनाना अस्पताल, जयपुर में बीमारों के लिये १ अप्रेल १९५८ से रोजाना कितना दूध मोल लिया जाता है ?

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

(२) दूध बिना पानी मिला हुआ आता है इसकी जांच की जाती है या नहीं ?

(३) क्या यह सत्य है कि असली दूध काफी मात्रा में तो और कोई ले लेते हैं और बाकी बचे हुए दूध में पानी मिला कर मात्रानुसार गरीब बीमारों को दिया जाता है ?

(४) यदि नहीं, तो इस प्रकार की जांच किस अधिकारी द्वारा कब कब की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जनाना अस्पताल जयपुर में प्रतिदिन औसतन १ मन ३२ सेर दूध मोल लिया जाता है ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

(४) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जांच किस अधिकारी के द्वारा कब कब की गई इसका उत्तर नहीं आया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूध अच्छा आ रहा है इसकी कोई शिकायत नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : ऐसा ज्ञात हुआ है कि दूध बिल्ली पी जाती है, और मरीजों को दूध पानी मिला हुआ दिया जाता है ?

• **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

डॉ० चन्द्रकला : दूध अच्छा आता है इसकी जांच किस तरह की जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह दूध पीने वाले और जो डॉक्टर होते हैं, वे जानते हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि बीमारों को दूध पानी मिला हुआ दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ बीमारों को अच्छा दूध हज़म नहीं होता है उनको वह दूध दिया जाता है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह जांच की है कि बीमारों को अच्छा दूध दिया जाता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १०२१

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात ।

उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में पंचायतों का बजट

१०२२. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में कितनी पंचायतें हैं और उनका वार्षिक बजट क्या है ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत बिखरणी तथा मांडवा का एक ही क्लर्क है और वह रिश्वत के अभियोग में पकड़ा गया था, फिर भी वह दोनों स्थानों पर कार्य करता है ;

Page No.19

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) आठ पंचायतें हैं । इनका बजट तहसील पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाता है । अतः बजट की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(२) पंचायत बिलरणी व मांडवा में एक ही क्लर्क था किन्तु पुलिस विभाग द्वारा रिश्वत के आरोप में बरखास्त किया गया, जिससे क्लर्क राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् १९५३ के आधीन पंचायत सामान्य नियम १९५४ के नियम ५, (१) (ख) के अन्तर्गत पृथक कर दिया गया ।

श्री लक्ष्मण हीरात : इतने अर्से तक, जब कि सरकार को मालूम था कि यह क्लर्क रिश्वतखोर है, सजायाफता है, इसे क्यों रखा गया ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार को जब मालूम हुआ तब इसे अलग कर दिया गया ।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है कि सरकार को यह एक साल से मालूम था, लेकिन फिर भी उसको हटाया नहीं गया है ?

श्री दौलतराम सारण : हटाने के आदेश दे दिये गये हैं, मैंने आपको बताया ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर ।

ग्राम पंचायत ८३. एल. एन. पी. (जोड़किया) के चुनाव में गोलियों का चलना

१०२३. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम पंचायत ८३ एल. एन. पी. (जोड़किया) के चुनाव के समय जो गोली चलने की वारदात हुई थी व श्री रामरतन आदि जख्मी हुए थे, उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह सच है कि पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की ?

(३) क्या यह सच है कि एक मुल्जिम श्री मामराज इस पंचायत में सरपंच होने का उम्मीदवार था ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) दो मुकदमे दोनों ओर से दर्ज किये, उनकी तफतीश की गई ।

(२) जी नहीं । तफतीश की गई, लेकिन गोली चलाने वाले आदमी का पता नहीं चला । इसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

(३) जी नहीं ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि जो अध्यापक थे, वे आतंकित होकर नौकरी छोड़ कर चले गये ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी इन्फोर्मेशन हमारे यहां नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

आयुर्वेद विभाग में दवाइयों तथा एस्टेब्लिशमेन्ट के खर्च का अनुपात

१०२४. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत चलने वाले दवाखानों में दवाइयों तथा एस्टेब्लिशमेन्ट के खर्चे का क्या अनुपात है ?

Page No.20

(श्री भैरोंसिंह)

(२) इस अनुपात से किस किस औषधालय में दवाइयां कम हैं और क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) आयुर्वेदिक विभागान्तर्गत औषधियों तथा एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे का १: ४. २५ का अनुपात है।

(२) उक्त अनुपात की दर से किसी भी औषधालय में दवाइयों का प्रावधान कम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ये १:४.२५ क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १ दवाइयों पर, और ४.२५ एस्टेब्लिशमेंट पर।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस चीज़ को महसूस नहीं करती है कि एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा ज्यादा है और दवाइयों पर कम है? और इसके कारण से औषधालय में दवाई नहीं मिलती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, ऐसी बात नहीं है और जगहों के मुकाबले में, एलोपैथी के मुकाबले में १: ४.२५ का रेश्यो कम नही है।

श्री भैरोंसिंह : इस रेश्यो के कारण से राजस्थान के अधिकांश औषधालयों में बीमार बिना दवाइयों के रहते हैं, क्योंकि दवाइयां नहीं मिलती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दवा मिलती है। पहले औषधालयों को २०० रुपये की दवा दी जाती थी, फिर ६०० की दवा दी जाती है, सी क्लॉस के औषधालय को ६०० रु० की दवा दी जाती है, बी क्लॉस के औषधालय को ६०० रु० की दवा दी जाती है और 'ए' क्लॉस के औषधालय को १५.०० की दवा दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : दवाई की कीमत के अनुपात से आज बीमारी और बीमारों की संख्या का अनुपात बढ़ा है, इसकी संख्या में उसी तरह वृद्धि हुई है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि दवाइयों के लिए कम क्यों रखा है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज्यादा क्यों रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीमारी उल्टी कम हुई है। आबादी ज्यादा बढ़ रही है।

कृषि संबंधी सहकारी समितियां

१०२५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या मंत्री, सहकारी विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कहां कहां और कौनसी कृषि संबंधी सहकारी समितियां (Co-operative Farming Societies) हैं ?

(२) इन सोसाइटीज़ को कितना कितना सरकार द्वारा ऋण दिया हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि कई ऐसी समितियों को भूमि दिलाने के लिये लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के मातहत कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो किस सोसाइटी के लिए ?

(४) इन सोसाइटीज़ के एकाउन्ट्स ऑडिट हुए या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हुए हैं, तो कब कब तथा किन किन समितियों में फाइनेन्शियल इर्रेगुलर्टीज़ पाई गई हैं ? उनकी एक सूची मय संक्षिप्त विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No.21

(श्री भैरोंसिंह)

(५) ऋण देने से पहिले किन किन सोसाइटीज़ के एकॉउन्ट्स का ऑडिट किया गया था तथा किन किन सोसाइटीज़ में सरकारी रकम बकाया थी और कितनी ?

उप-सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम-सारण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिये इसका उत्तर अगले सप्ताह में दिया जायगा।

प्रश्न संख्या १०२६

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

जवाई बांध द्वारा सिंचित भूमि की लगान वसूली

१०२७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जवाई बांध से अब तक किस किस वर्ष में कितनी कितनी भूमि को पानी दिया गया और कितनी कितनी भूमि की सिंचाई का लगान वसूल किया गया ?

(२) इन वर्षों में कितनी कितनी भूमि की कितनी कितनी बार पिलाई (Irrigation) की गई ?

(३) जवाई बांध से सिंचाई के सम्बन्ध में किस माह में इस बात की सूचना दी जाती है कि अमुक और इतनी भूमि में सिंचाई की जायगी और इतना पानी दिया जायगा तथा सरकार द्वारा किस व्यवस्था से यह निर्णय लिया है ? यदि ऐसे नियम हों तो उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) किस किस वर्ष में कितनी कितनी भूमि काश्त करने की सूचना देने के बाद भी असिंचित रखी गयी और क्यों ?

(५) क्या सरकार को मालूम है कि सरकार के स्पष्ट नियम न होने के कारण सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमानी कार्यवाही होती है जिससे काश्तकारों को अत्यन्त नुकसान उठाना पड़ता है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जवाई बांध से सन् ५६-५७ व ५७-५८ में अनुक्रम में ८६,३५५ एक बटा दो व ४३२३५. एक बटा दो बीघा जमीन को पानी दिया गया। उस सारी भूमि का सिंचाई लगान लगाया गया।

(२) इस सारी भूमि में चार बार सिंचाई मंजूर की गई और पिलाई भी हुई। कुछ रकबे में रोली या देर होने से गेहूँ पकने की वजह से चौथी पाण कहीं कहीं पर नहीं ली गई।

(३) सरकारी विज्ञाप्ति नं० ६८२ (२४५) आई. आर. बी./५१ दिनांक २४-४-५२ द्वारा नियुक्त एडवाइज़री कमेटी के निर्णय के अनुसार सींची जाने वाली भूमि की सूचना उचित समय पर दी जाती है।

(४) कोई नहीं।

(५) चूंकि पानी का वितरण एडवाइज़री कमेटी, जिसमें कि काश्तकारों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, के निर्णयों के अनुसार किया जाने के कारण सरकारी अफसरों

Page No.22

(श्री रामकिशोर व्यास)

द्वारा मनमानी करने का प्रश्न ही नही उठता है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर जिले की बसवा तहसील में सैस वसूली

१०२८ **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर जिले के अन्तर्गत बसवा तहसील में सैस वसूली का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि सैस वसूली से से सम्बन्धित रिकार्ड की जांच (ऑडिट) अभी तक नहीं हुआ है ?

(३) यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक इसका ऑडिट होगा ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत जिला बोर्ड के स्थानीय सदस्य ने की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उप-स्वायत्त शसन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई): (१) उन्हालू सम्वत् २००५ से।

(२) साधारण तौर से ऑडिट विभाग द्वारा जांच मार्च, १९५५ में कराई जा चुकी है।

(३) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जयपुर रेग्युलर ऑडिट के समय इस तहसील के सैस रेकॉर्ड का ऑडिट भी पूरी तरह करा लिया जायगा।

(४) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सम्वत् २००५ से सैस वसूली हुई है तो ५५ तक ऑडिट नहीं कराने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत्त शासन मंत्री) ऑडिट रूल्स हैं उनके अनुसार ऑडिट होता हैं ऑडिट पार्टीज की सुविधा होती है उसके अनुसार वे ऑडिट करने जाती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पांच पांच साल तक ऑडिट पार्टीज ऑडिट करने नहीं जायं यह कहां तक उचित है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोकल ऑडिट फंड का कानून बना हुआ है उसके अनुसार कार्यवाही होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहता है तो स्पेशल ऑडिट करवाया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि नियमानुसार एक साल में एक बार ऑडिट होना आवश्यक है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियम तो उसमें लिखे हुए हैं, इस समय में नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री सुगनचन्द।

राजस्थान में गांधी सागर बांध से प्राप्त बिजली व भूमि की सिंचाई

१०२९. **श्री सुगनचन्द जैन** (वैंगू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गांधी सागर बांध से राजस्थान में कितनी बिजली तथा कितनी सिंचाई कहां-कहां पर प्राप्त होगी ?

(२) बिजली कहां-कहां पर और कौन २ से रास्ते से होकर जावेगी ?

Page No.23

(श्री सुगनचन्द जैन)

(३) चित्तौड़ जिले को कितनी बिजली मिलेगी और कौन २ से रास्ते से कहां कहां पर ?

(४) क्या इस बांध में जो जमीन डूब में तथा बसने में आई है, उस एरिया को मध्य प्रदेश में देने का इरादा है ? अगर है, तो क्यों ?

(५) अगर नहीं दिया जायगा तो क्या नुकसान होगा और देने में क्या फायदा होगा ?

(६) क्या इस इलाके में जो दरख्त खड़े थे उनका मुआवजा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) गांधी सागर बांध से राजस्थान के कोटा और बून्दी जिलों में सिंचाई ७ लाख एकड़ भूमि में होगी। इस बांध से कुल बिजली ८० हजार किलोवाट पैदा होगी और उसकी आधी राजस्थान को मिलेगी।

(२) बिजली निम्नलिखित स्थानों से गुजरेगी :

(क) गांधी सागर से कोटा, लाखेरी, सवाई-माधोपुर।

(ख) कोटा से अजमेर।

(ग) गांधीसागर से नीमच।

(घ) नीमच से उदयपुर।

(ङ) नीमच से जावर माइन्स।

(च) नीमच से चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा।

(छ) कोटा से बून्दी।

(ज) सवाई-माधोपुर से निवाई और टोंक।

(झ) सवाई-माधोपुर से गंगापुर, करौली, धौलपुर।

(ट) गंगापुर से दौसा रामगढ़।

(ठ) जयपुर से राजगढ़, भरतपुर।

(ड) जयपुर से फुलेरा, मकराना।

(३) यह अभी नहीं बताया जा सकता। ब्यौरा तैयार हो रहा है।

(४) प्रश्न विचाराधीन है।

(५) प्रश्न नहीं पैदा होता।

(६) इस प्रश्न का सम्बन्ध वन विभाग से है।

श्री रामचन्द्र : क्या झालावाड़ जिले को इससे कोई बिजली नहीं मिलेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : विचाराधीन है।

श्री सुगनचन्द जैन : चित्तौड़ जिले के विषय में पूछा था कि कौन-कौन से रास्ते से बिजली निकलेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : नीमच से उदयपुर जाते हुए उसी रास्ते से।

श्री सुगनचन्द जैन : मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि चित्तौड़ जिले में कौनसा रूट होगा उसके आने का ?

श्री रामकिशोर व्यास : नीमच से उदयपुर जायेगी वह वाया चित्तौड़ जायेगी कौन-कौन से गांवों में होकर जायेगी, मुझ से मिलें, मैं दफ्तर में बताऊंगा।

श्री सम्पतराज : केबिनेट मीटिंग जो कोटा में हुई थी, उसमें विश्वास दिलाया गया था कि गंगासागर बांध से झालावाड़ जिले में बिजली दी जायेगी।

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी है, उसको दूर करना है।

श्री रामचन्द्र : इसके माने यह हुए कि एक बार विश्वास दिला दें वह हमेशा के लिए विश्वास नहीं रहे ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : विश्वास यह है कि हम जरूर कोशिश करेंगे; विचाराधीन है।

श्री सम्पतराज : उस वक्त तो यह बताया गया था कि झालावाड़ को अवश्य बिजली मिलेगी।

श्री रामकिशोर व्यास : अब भी इरादा है कि झालावाड़ को बिजली दें।

श्री मूलचन्द डागा : जोधपुर को बिजली मिलेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : गांधी सागर बांध से नहीं।

श्री सुगनचन्द जैन : ४ नं० के प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं किया, साहब।

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब तो दिया कि विचाराधीन है ?

श्री सुगनचन्द जैन : विचाराधीन से मतलब क्या यह है कि यह एरिया राजस्थान से मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, कुछ टुकड़ा उनको दिये जाने की पोसिबिलिटी है।

श्री सुगनचन्द जैन : क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : This is an important question in which the Rajasthan area is being transferred to some other State. The Government should therefore take the House in confidence.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री): मैं समझता हूँ कि जिस वक्त एक्च्युअल ट्रान्स्फर होगा सदन के सामने बात आयेगी ही, अभी तो बात-चीत चल रही है। इसका मूल कारण यह है कि गांधी सागर कोलोनी जिसमें इन्जीनियर वगैरह रहते हैं, वहां गवर्नमेंट कन्ट्रोल करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिये वह टेरिटरी राजस्थान में आती है तो कई प्रोब्लेम्स खड़े होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइन्ट ऑफ व्यू से, सहूलियत के लिये विचार किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट कॉमन है, एफिशियेंटली रन करना चाहिये, दोनों के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी नहीं हो जाय, इसके लिये बात-चीत चल रही है।

प्रश्न संख्या १०३०

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

कस्बा मंडावा (झुंझुनू) के लिये वाटर वर्क्स की योजना

१०३१. **श्री शिवनाथसिंह (गुढा) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कस्बा मंडावा, जिला झुंझुनूं के लिये वाटर वर्क्स की कोई योजना है ?

Page No.25

(श्री शिवनाथसिंह)

(२) यदि हां, तो उसके लिये कितनी धन-राशि मंजूर हुई, तथा अब तक कितनी खर्च की जा चुकी है ?

(३) अब काम चालू है या बन्द ? यदि बन्द है, तो क्यों ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (१) जी हां ।

(२) कुल धन ३,६२,००० रुपये मंजूर हुए तथा अब तक ७८,७०० रुपये खर्च हो चुके हैं ।

(३) अभी काम बन्द है क्योंकि जो कुआ किसी सेठ ने म्युनिसिपल बोर्ड को दिया था, वह अब उसे देने से इन्कार हो गया है, अतः दूसरे कुए की तलाश की जा रही है ।

श्री शिवनाथसिंह : यह योजना कब मंजूर हुई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दूसरी पंच-वर्षीय योजना में ।

श्री शिवनाथसिंह : किस तारीख से मन्जूर हुई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभी यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री शिवनाथसिंह : जिस वक्त योजना मंजूर हुई थी तो राइटिंग में नहीं लिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वादा किया था राइटिंग में दिया या नहीं, यह अभी नहीं कह सकता ।

श्री शिवनाथसिंह : विश्वास पर इतनी बड़ी योजना हुई और इन्कार किया जाता है, तो इसके लिये गवर्नमेंट ने क्या किया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुए की तलाश की जा रही है, वही मिलेगा तो कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री सोहनलाल भटनागर : I rise on a point of order, Sir. I would like to draw your attention to Rule 44 of the Rules of Business:

"When all the questions for which an oral answer is desired have been called, the Speaker, may, if time permits, call again any question which has not been asked by reason of the absence of the member in whose name it stands, and may also permit a member to ask a question standing in the name of another member, if authorised by him in writing."

इससे स्पष्ट है कि पहले क्वेश्चन कॉल किया था, ऑनरेबल मैम्बर्स मौजूद नहीं थे और उस वक्त नहीं पूछा गया । वही क्वेश्चन्स रिपीट किये जा सकते हैं जब कि मेम्बर एब्सेंस की वजह से नहीं पूछे गये हों ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी थी ।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नहीं चलता है ।

श्री अध्यक्ष : इतनी कानूनी बारीकी इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिये ।

(हंसी)

आमेर की पुलिस द्वारा नाथद्वारा के महन्तश्री से जेवरात की जब्ती

६६१. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १६-११-५८ तथा १७-११-५८ की दरमियानी रात को, पुलिस आमेर ने नाथद्वारा के महन्तश्री के अधिकार से लाखों रुपये के जेवरात जब्त किये हैं ? यदि हां, तो क्या क्या जेवरात और क्यों ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) महन्तश्री के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? उनकी कार जिसमें जेवरात ले जाये जा रहे थे, उनका क्या हुआ ?

(३) इस मामले में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(४) पुलिस द्वारा क्या क्या और कितनी कितनी प्रापर्टी उनके पास छोड़ी गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जी हां। गहने अपनी पुलिस द्वारा दफा ५५० जाब्ता फौजदारी के मातहत जब्त किया था, क्योंकि संदिग्ध अवस्था में पाया गया। सूची संलग्न है।

(२) महन्तश्री के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और कार पुलिस के अधिकार में नहीं ली गई।

(३) मामले की जांच जारी है।

(४) महन्तश्री व उनके कुटुम्ब के पास साधारण कपड़े छोड़े गये।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या जो सामान छोड़ा गया उसकी इन्वेन्टरी तैयार की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेन्टरी ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां, ११ में से ८ बक्स पकड़े गये और तीन बक्स छोड़े गये, उनमें क्या क्या सामान था, क्या पुलिस ने इसकी इन्वेन्टरी तैयार की ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो प्रोपर्टी अन्डर सस्पिशन थी, उसे पजेशन में लिया गया, बाकी छोड़ा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो तीन बक्स छोड़े थे वे खोल कर नहीं छोड़े गये, सिर्फ महन्तजी के यह कहने पर छोड़े गये कि इनमें सिर्फ कपड़े हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं ऐसी बात नहीं है, खोल कर देखा गया और इत्मीनान हो गया कि कपड़ों के अलावा और कोई चीज नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : उस प्रोपर्टी को सस्पेक्टेड कैसे माना ?

श्री रामकिशोर व्यास : टेम्पल प्रोपर्टी का सस्पिशन था।

श्री मूलचन्द डागा : क्या गवर्नमेंट के पास या पुलिस के पास कोई इस प्रकार की रिपोर्ट थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले से केस चल रहा था।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इस मामले में महन्तजी की जमानत ली गई ?

Page No.27

श्री भैरोंसिंह : यह कौन सा केस चल रहा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी चल रही है । हाई कोर्ट में चल रही है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इससे यह समझा जावे कि जो गुप्त खजाने के सम्बन्ध में इन्क्वायरी की जा रही है उसके सम्बन्ध में है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो गवर्नमेन्ट तय करेगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने गुप्त खजाने की इन्क्वायरी के सम्बन्ध में सस्पिशन के मातहत माल को जब्त किया है ?

श्री अध्यक्ष : सस्पिशन कई तरह के हो सकते हैं । बहुत सारा माल जा रहा था । उसके बारे में पहले ही इन्क्वायरी की जा रही है । मुमकिन हो टेम्पल की प्रोपर्टी हो ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या जो माल पकड़ा गया वह प्रोपर्टी स्टेटमेंट में दिया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ५ ट्रंकों की सूची नहीं बनाई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस समय नहीं बनाई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि १६ तारीख को ट्रंक पकड़े गये और २८ तारीख तक उनको सिटी मेजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं पेश किये गये, पुलिस में ही रखे गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं रखे गये ।

एक माननीय सदस्य : Is it neccessary ?

श्री भैरोंसिंह : It is not for you to ask.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे प्रश्न का उत्तर देने दें । I am asking supplementary questions. The Hon'ble Speaker can disallow it.

श्री रामकिशोर व्यास : आपका क्या प्रश्न है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि १६ तारीख की रात को ये ट्रंक पकड़े गये और २८ तारीख तक सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं पेश किये गये ? जब कि दफा ५५० की तहत दूसरे रोज ही सिटी मेजिस्ट्रेट के यहां पेश होने चाहिये । ये इतने दिन पुलिस में बिना इन्वेन्टरी के ही क्यों रहे ?

श्री रामकिशोर व्यास : एग्जेक्ट डेट तो मुझे पता नहीं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने आपको अर्ज किया है कि २८ तारीख तक ।

श्री रामकिशोर व्यास : उसको दो मोतबिर आदमी थे उन्होंने सील लगा कर उनकी मौजूदगी में रखे गये और उनकी मौजूदगी में ही खोले गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दफा ५५० के मातहत उनको उस माल को सिटी मेजिस्ट्रेट के पास दूसरे ही दिन पेश करना चाहिए था । जब सस्पिशन का माल था तो उसको विदआउट वारन्ट गिरफ्तार कर सकते थे, उसको आपने नहीं किया और न उसकी बेल ही ली ।

Page No.28

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक स्टोलन प्रोपर्टी साबित नहीं हो, तब तक ऐसा नहीं कर सकते ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो सस्पिशन में था ।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक सस्पिशन का प्रश्न था, प्रोपर्टी डाउटफुल थी, इसीलिये उसको पजेशन में ले लिया ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह सही है कि पुलिस वालों ने महन्त की घड़ी भी उतार ली थी, क्या वह भी मन्दिर की प्रोपर्टी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जनता का माल जितना भी हो...

श्री मनोहर कोठारी : क्या उस महन्त के हाथ की घड़ी भी मन्दिर और जनता की प्रोपर्टी में आती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि १६ तारीख को १२ ट्रंक उदयपुर से दिल्ली गये और पकड़े गये ? उस सिलसिले में नोर्दर्न रेलवे का मैनेजर यहां पर आया और चीफ मिनिस्टर साहब से मिला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : नोर्दर्न रेलवे का मैनेजर जरूर मिला होगा । किस सम्बन्ध में मैं समझा नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २० ट्रंक नाथद्वारा से रवाना हुए । सेन्ट्रल सी.आई.डी. उनका पीछा कर रही थी । जब महन्त को फुलेरा पर मालूम हुआ तो उसने अपना कुछ सामान यहां पर उतार दिया । कुछ सामान दिल्ली में पकड़ा गया । वहां से नोर्दर्न रेल्वे का मैनेजर २२ तारीख के आस पास यहां पर आया और चीफ मिनिस्टर से मिला । आप जरा बता दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उदयपुर से दिल्ली तक वेस्टर्न रेल्वे है । जनरल मैनेजर मिला और वह कर्टसी कॉल थी ।

डॉ० चन्द्रकला : ये दिल्ली क्यों जा रहे थे ?

श्री अध्यक्ष : दिल्ली क्यों नहीं जाते ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय महन्तजी का स्टेटमेंट लिया गया था, उस समय महन्तजी ने कहा कि मुझे इस संबंध में पूछने की जरूरत नहीं है । आप इस सम्बन्ध में सुखाड़िया साहब को शिकायत कर दें और उनका स्टेटमेंट टेप रेकॉर्ड भी हुआ है जो बातें हुई थीं; क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं हुआ । नोट रेकॉर्डेड ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आप शान्ति से प्रश्न पूछिये । इन्होंने लिस्ट भी आपके सामने रखी है । आप अगर शान्ति से पूछेंगे तो हर एक बात का उत्तर देंगे और सब बातें आपके नोटिस में आ जावेंगी ।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : माल का चेकिंग, सस्पेक्टेड माल का चेकिंग हुआ, वह सेन्ट्रल सी. आई. डी. के इन्सटीगेशन (Instigation) से हुआ या राजस्थान सरकार की ओर से हुआ ।

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान से हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या वैष्णव समिति के सदस्य यहां आये थे ? यह सही है ।

Page No.29

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनको सरकार ने बुलाया था या स्वयं आये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे स्वयं आये थे ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या जिस दिन माल बरामद हुआ था उस दिन समिति के दो सदस्य जो नाथद्वारे के रहने वाले थे, जयपुर में ही मौजूद थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : माल जिस शान बरामद नहीं किया था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस दिन यह सामान महन्त से बरामद किया गया था, उस समय उनके साथ गोरधनदासजी मालपानी भी थे, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : कानून के अनुसार कार्य किया जाता है । There was no offence against him.

(श्री मनोहर कोठारी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री भैरोंसिंह : Because it is my question, I should have priority to put supplementary questions. अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न है । मुझे पूछने का अधिकार है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप जितने प्रश्न चाहें पूछ सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : Next. No more questions please.

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पूछना रह गया है ।

श्री अध्यक्ष : Order please.

प्रश्न संख्या ६६२

श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

केन्द्रीय क्रय विक्रय सहकारी संघ, बीकानेर

६६२. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) केन्द्रीय क्रय-विक्रय सहकारी संघ, बीकानेर द्वारा ऋण तथा राजकीय हाथ कर्घा वस्त्र विक्रय केन्द्र को संघ के हस्तान्तरित करने सम्बन्धी मांग कब की गई ? किस स्तर पर संघ के उक्त कागजात कब से व क्यों रुके पड़े है ?

(२) उक्त संस्था को सामान की बिक्री पर रिबेट दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(३) ऐसी संस्थाओं को शीघ्र रिबेट मिल सके इस बारे में, क्या सरकार कोई निश्चित अवधि निर्धारित कर सकती है ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम) : (१) केन्द्रीय क्रय विक्रय सहकारी संघ जिला बीकानेर ने जून १९५८ में ७०००)रु० का ऋण प्राप्त करने हेतु सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां बीकानेर को प्रार्थनापत्र भेजा था, इस पर सहकारी विभाग ने सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिवीज़न बीकानेर से उक्त राशि ऋणस्वरूप दिनांक ४–७–५८ को दिला दी है ।

(श्री दौलतराम)

राजकीय हाथ कर्घा वस्त्र विक्रय केन्द्र को संघ के हस्तान्तरित करने का विषय उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से सम्बन्ध रखता है। वहां से प्राप्त सूचना के अनुसार संघ ने दिनांक २६–६–५८ को इस सम्बन्ध में मांग की थी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने दिनांक १६–१०–५८ को एक विक्रय केन्द्र की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(२) इसका सम्बन्ध उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से है। वहां से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थनापत्र उक्त विभाग में प्राप्त हो गये हैं, जो उक्त विभाग में विचाराधीन हैं।

(३) इसका सम्बन्ध वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से है। उक्त विभाग से सूचना प्राप्त हुई है कि रिबेट स्वीकृत करने से पूर्व उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किये बिना रिबेट स्वीकृत करना संभव नहीं होता है। प्रत्येक केस में ऐसी जानकारी प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, यह प्रत्येक केस पर निर्भर होता है। अत: समय निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न संख्या १००१

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १००३

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

ग्राम बालूहेडा के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

१००४. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा डिवीज़न की पंचायत विभाग के आदेश दिनांक १८-१-५७ (पत्र संख्या ५०) तथा पूर्व आदेश दिनांक ४-१२-५६ (पत्र संख्या १४६३) की ग्राम बालूहेड़ा, तहसील कनवास, जिला कोटा के सरपंच ने कोई सुनवाई नहीं की तथा अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर भी अपना स्थान रिक्त नहीं किया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत के सरपंच के दबाव के कारण डिविज़नल पंचायत ऑफिसर, कोटा ने इन आदेशों के उपरान्त अपने आदेश संख्या २०२ दिनांक २५-२-५७ के अनुसार पंचायत को सूचित किया कि अविश्वास का प्रस्ताव अवैधानिक था ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच पुन: अविश्वास पास न हो जाय, इस कारण पंचायत के ६ पंचों को ग्राम में नहीं आने देता तथा उनके विरुद्ध सदैव बन्दूक ताने रहता है ?

(४) क्या यह सही है कि पंचायत के उक्त ६ पंचों ने पंचायत की ओर से चीफ पंचायत ऑफिसर तथा डिविज़नल पंचायत ऑफिसर को लिखवाया कि कोई उनका आदमी भिजवाया जावे, जिसकी देखरेख में बैठक हो सके तथा पुन: अविश्वास का प्रस्ताव पास हो ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (**श्री दौलतराम सारण**) : (१) जी हां । किन्तु अविश्वास का प्रस्ताव नियमानुसार पारित नहीं होना पाया गया ।

(२) जी नहीं ।

(३) ऐसी सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(४) जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो अविश्वास का प्रस्ताव पास किया गया, उसकी सूचना दी गई और डी. पी. ओ. के दो ऑर्डर उसके पास जाते हैं कि चार्ज दे दें तो भी उसने कोई परवाह नहीं की और तीन महीने बाद यानि २५-२-५७ को यह कहते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव अवैधानिक था यह क्या बात ?

श्री दौलतराम सारण : पंचायत की सूचना पर ही उसने यह लिख दिया था। लेकिन जब यह आदेश सरपंच के पास गया तो उसकी जांच कराई गई और जांच पर यह अविश्वास का प्रस्ताव अवैधानिक पाया गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि १८-१-५७ को आदेश पत्र दिया गया और दूसरा ४-१२-५६ को दिया गया; दोनों की कोई भी अपील नहीं की गई । वह क्यों नहीं की गई ?

श्री दौलतराम सारण : अपील किया था, मगर उसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी; लेकिन जब सूचना प्राप्त हुई तो तीसरा पत्र सरपंच को गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो फिर मीटिंग क्यों बन्द है ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब इसमें लिखा है कि अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है तो दुबारा पंचों ने लिखा कि वे मीटिंग नहीं होने देते हैं तो उसके लिये अभी तक किसी व्यक्ति को क्यों नहीं पहुंचाया ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा कि सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, २३-३-५७ को एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई । उसके पश्चात् ८-३-५७ को और ११-३-५७ को दो रजिस्टर्ड पत्र डी. पी. ओ को दिये गये जो रजिस्टर्ड थे और उनकी कॉपी मौजूद है ।

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय अध्यक्ष, यह सही घटना है । मैं उनको डेट्स दे रहा हूं और बता रहा हूं कि रजिस्टर्ड पत्र दिये गये और वे कहते हैं कि पत्र प्राप्त नहीं हुए ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिये ।

कोटा चम्बल बांध पर मच्छरों को मारने हेतु डी. डी. टी. छिड़कने के लिए स्वीकृत बजट

१००५. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(१) कोटा स्थित चम्बल बांध पर मच्छरों के विनाश हेतु डी. डी. टी. छिड़कने का कितने रुपयों का बजट सन् ५७-५८ में सैंक्शन हुआ था ?

(२) सन् ५७-५८ में वहां के अधिकारियों के द्वारा, कब व कितना डी. डी. टी. किस फर्म से मंगवाया गया ?

(३) क्या यह सही है कि जब जून में उक्त फर्म का बिल ६५००) रुपये का आया तो अधिकारियों ने ७८० गैलन डी. डी. टी. वापिस कर दिया, लेकिन उक्त फर्म ने लेने से इन्कार कर दिया तथा इस सिलसिले में एक असिस्टेंट इन्जीनियर को वहां भेजा गया जिसके आने जाने में लगभग ५००) रुपये व्यय हुए ?

(४) यह वापस भेजा हुआ डी. डी. टी. उक्त फर्म के स्टेशन पर कितने दिन तक पड़ा रहा तथा उसका कितना डेमरेज देना पड़ा ?

(५) क्या यह सही है कि जुलाई सन् ५८ में ४२ व ४३ नम्बर के दो इन्डेन्ट ११ ड्रम व २० ड्रम के इश्यू किये गये उसके तहत खाली ड्रम स्टोर से निकाले गये तथा १५५ गैलन डी. डी. टी. का गोलमाल हो गया ?

(६) क्या यह सही है कि इस चम्बल बांध डी. डी. टी. कांड की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा की गई ? यदि हां तो इस जांच की रिपोर्ट क्या है ?

• **सिंचाई मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १६५७-५८ में इस कार्य पर २६८० रुपये खर्च होने का अनुमान था।

(२) बम्बई की एम्पायर इन्डस्ट्रियल वर्क्स नामक फर्म के दिनांक २५-१०-५७ को २०० ड्रम (५ गैलन प्रति ड्रम) सप्लाई करने के आदेश दिये गये।

(३) माल की दर में कुछ मतभेद होने के कारण ११६ ड्रम याने ५८० गैलन फर्म को वापिस भेजा गया, जिसे लेने से फर्म ने इन्कार कर दिया और वह वापस लाया गया। असिस्टेंट इन्जीनियर अन्य कार्यों हेतु बम्बई भेजा गया था उस दौरान में उसने यह कार्य भी किया।

(४) डी. डी. टी. करीबन १३ दिन स्टेशन पर पड़ा रहा जिसके चार्जेज़ ४४१) रुपये देने पड़े।

(५) इस विषय में सूचना प्राप्त की जा रही है।

(६) हां, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच जारी है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब २,६८०) रुपये का बजट था तो फिर ६५००) रुपयों का डी. डी. टी. मंगाने का क्या कारण था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मिस-अन्डर-स्टैंडिंग हो गई थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : इतना यदि मंगवा भी लिया गया था, तो फिर उसको एब्ज़ोर्ब न करके उसको वापिस भेजने का क्या कारण था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेडिकल डिपार्टमेन्ट के ऑर्डर्स होने पर ऑर्डर्स उस फर्म को प्लेस किये गये थे लेकिन स्पष्ट आदेश न थे और मिस-अन्डरस्टैंडिंग हो गई ?

श्री दयाकृष्ण विजय : यह किसकी गलती थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्ट की ?

श्री दयाकृष्ण विजय : जिसकी गलती थी, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी की जा रही है । जिसकी गलती पाई जायगी उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या जिसकी गलती पाई जायगी उससे डेमरेज वसूल किया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिसकी गलती पाई जायगी उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

१२. ५. म० प०

नाथ द्वारा के महन्त श्री के सम्बन्ध में वाद-विवाद

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा के अन्दर जो खजाना पाया गया था उसके सम्बन्ध में मैंने सदन में पहले प्रस्ताव रखा था। महन्तजी ने हाईकोर्ट में रिट पेश की थी वह तो खारिज़ हो गई है । राजस्थान सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना था लेकिन जारी नहीं किया और इस बीच में महन्तजी लाखों रुपयों की प्रोपर्टी को खर्च कर रहे हैं । लाखों रुपयों का मामला है और काफी झगड़ा भरा यह मामला है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक दिन सदन में डिबेट के लिये मुकर्रर कर दिया जाय जिससे कि माननीय सदस्यों को सही स्थिति का पता चल जाय ।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न पूछे गये थे उनके उत्तर तो मिल चुके हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के पूरे उत्तर नहीं मिले हैं और इसीलिये एप्रिहेन्स बना हुआ है........

श्री अध्यक्ष : No. The Government has said everything before the House.

श्री भैरोंसिंह : उनसे एप्रिहेन्सेशन ही हुआ है । लाखों रुपयों की प्रोपर्टी का क्वेश्चन है । महन्तजी उसको डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं । इसलिये मैं सदन के नेता और मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि नाथद्वारा के केस के सम्बन्ध में एक दिन डिबेट के लिए रख दिया जाय, उससे जो शंकायें हैं उनका समाधान हो सकेगा और जो इन्क्वायरी का ऑब्जेक्ट है वह फुलफिल हो सकेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो नहीं था कि इसके बारे में कुछ कहूं, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अच्छा हो कि नाथद्वारा के टेम्पल की प्रोपर्टी या और जो सवालात है उनको दर-असल नाथद्वारा की प्रोपर्टी की सेफ्टी के लिहाज़ से सोचना चाहते हैं तो निरर्थक राज-नैतिक पहलू को कम से कम लाया जाय और ठीक ढंग से यह प्रश्न हल हो, उस पर दृष्टि रखी जाय तो उचित होगा बनिस्वत इसके कि एक चीज़ पुलिस और महाराज के बीच चल रही है, वैष्णव कमेटी को बीच में लाया गया है, अन्य चीजों को लाया जाय । दरअसल प्रोपर्टी की सेफ्टी का मकसद पूरा करना चाहते हैं तो सदन में ज्यादा चर्चा होने से वह पर्पज़ पूरा नहीं हो सकता है । सरा पहलदू

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसको उलझाने का होगा । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। जितना माननीय सदस्य उसके बारे में कीन हैं उससे कम गवर्नमेंट भी नहीं हैं, यह मान कर चलें।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : इसके बारे में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कब निकल रहा है। इन्क्वायरी कमीशन तो मुकर्रर कर दीजिये जिससे कि प्रोपर्टी की सेफ्टी के बारे में देर क्यों हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह अलग प्रश्न है। लेकिन उस बारे में सरकार जो कार्यव ही करेगी, उससे सदन को अवगत किया जावेगा।

१२.८ म० प०

गृह समिति का निर्माण

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि गृह कमेटी के लिए निम्न सदस्यों को मनोनीत किया गया है :

(१) माननीय उपाध्यक्ष, चेयरमैन

(२) श्री जयसिंह राणावत

(३) कुमारी शन्नोदेवी

(४) श्री अनूपसिंह

(५) श्री सम्पतराज

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान म्युनिसिपल बिल।

क्लॉज़ ६६

श्री ज्वालाप्रसाद ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे कुछ अमेन्डमेन्ट्स हैं जो सर्क्युलेट हो रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट क्लॉज़ ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ६७।

श्री अर्जुनदास ।

श्री श्रीभानसिंह : I have got my amendment to clause 66.

श्री अध्यक्ष : We will take it up sometime later because amendments to this clause are being circulated.

श्री अर्जुनदास ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री ज्वालाप्रसाद : कौन सा क्लॉज़ लिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : ६७।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६७ में मेरे दो अमेन्डमेन्ट्स हैं। एक तो :

(श्री पी० के० चौधरी)

"Substitute the words 'one third' in place of the words 'one fifth' in the last but one line."

The other amendment is "that Delete sub-clause (2)"

अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ ६७ है वह इस बात के लिए रखा है कि Persons other than members can become members of the Committee.
और उनको पॉवर्स दी है। एक क्लॉज़ है।

"Not withstanding anything contained in this Act it shall be lawful for the board form time to time, by a resolution supported by not less than one half of the whole number of members, to appoint, as members of any committee under section 66, any persons who are not members but who may in the opinion of such board possess special qualifications for serving on such committee; provided that the number of persons so appointed or any committee shall not exceed one half of the total number of the members of such committee."

सेकिन्ड क्लॉज़ में कहा गया है कि एक मेम्बर के लियेजो क्वालिफिकेशन्स और डिसक्वालिफिकेशन्स होंगी वे ही कमेटी के मेम्बरों के लिये लागू होंगी इसको डिलीट करवाने के लिये मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, जो बोर्ड का मेम्बर नहीं उनको यहां कमेटी में लेने का सवाल है हमारे सामने। जैसा कि क्लॉज़ ६७ में कहा गया है फोर दी स्पेशल क्वालिफिकेशन ऐसी कमेटी में जो बोर्ड के मेम्बर नहीं है उनको अगर कमेटी में लेते हैं तो वह केवल उनकी स्पेशल क्वालिफिकेशन की वजह से लेंगे, उनकी एक्सपर्ट नॉलेज की वजह से हम इसमें लेंगे। अब सवाल यह आता है यह जो कमेटी हम बनाने जा रहे हैं उसमें जो हम एग्ज़ीक्युटिव पॉवर्स दे रहे हैं उन कमेटीज में इलेक्टेड मेम्बर्स की मेजोरिटी होनी चाहिये। इसमें पचास प्रतिशत का प्रोविज़न रखा है नॉन मेम्बर्स के लिये मेरी राय में ऐसी कमेटी बनाना जिसको हम एग्ज़ीक्युटिव पॉवर्स देते हैं वहां दूसरे मेम्बरों की संख्या पचास प्रतिशत रखना जो कमेटी का रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर है उसको विसीएट करते हैं। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जहां एक्सपर्ट की ओपीनियन का सवाल है वहां यदि एक्सपर्ट की कमेटी अपॉइन्ट कर दी जाय उसकी केपेसिटी केवल रिकमन्डेटरी और एडवाइज़री होनी चाहिये। यह जो कमेटी जिसका कि जिक्र हो रहा है वहां हम एग्जीक्युटिव पॉवर्स भी इन मेम्बर्स को देते हैं ऐसी हालत में उनकी गाइडेन्स के लिये यह जरूरी नहीं कि पचास प्रतिशत मेम्बर्स एक्सपर्ट में से हों। आज हमने किसी भी गवर्नमेंट इन्स्टिट्युशन्स के लिये एक्सपर्टस लोगों की राय देने का तरीका देखा है वहां जो एक्सपर्टस लोग कमेटी में होते हैं उनके जो मेम्बर्स होते हैं उनको फुल पॉवर्स नहीं देते हैं : "that when they sit in the committee they give their opinion ...... लेकिन उनको डिसीज़न लेने का कोई हक नहीं रहता। यहां पर अगर हम नॉन मेम्बर्स को डिसीज़न लेने का पॉवर देते हैं और उनकी तादाद पचास प्रतिशत रखना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। इसलिये मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उसके अनुसार अगर उनको शरीक ही करना है तो उनका अनुपात १।५ से

(श्री पी० के० चौधरी)

अधिक नहीं होना चाहिये । सही तरीका तो यह है कि एडवाइज़री केपेसिटी में मेम्बर्स रखे जायं ।

सब-क्लॉज़ के डिलीशन के लिये जो कहा है वह इसलिये कि यह जो मेम्बर्स की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन रखी है अगर हम एक्सपर्ट्स के लिये भी यही क्वालिफिकेशन चाहें तो वह मिलना मुश्किल हो जायगा। जितनी क्वालिफिकेशन इलेक्टेड मेम्बर के लिये रखी है एक्सपर्ट्स के लिये भी वही रखेंगे तो एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे । यह क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन रखी है, वह सेक्शन २४ में है । सेक्शन २४ को आप देखेंगे उसमें जो क्वालिफिकेशन हैं, वह एक्सपर्ट्स के लिये जरूरी नहीं कि उनको सेटिसफाइ ही करें । उसी म्युनिसिपेलिटी का सदस्य हो या उसी एरिया का रहने वाला हो। मान लीजिये आप किसी विषय में एक्सपर्ट्स एडवाइज चाहते हैं । हो सकता है उसके लिये एक्सपर्ट वहां का न मिलता हो और बाहर से मिलता हो, उसको रोक नहीं सकते । इसमें जो रखा है कि he may hold any office of profit आप नॉन मेम्बर को इसलिये शरीक करना चाहते हैं कि वह स्पेशल क्वालिफिकेशन रखता है उसकी स्पेशल नॉलेज के लिये उसको इन्क्लूड करना चाहते हैं । और जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन मेम्बर्स के लिये रखी उन सब का फुलफिल करना, उस एक्सपर्ट के लिये मुश्किल है । वैसी हालत में इस सब-क्लॉज़ का यह उपयोग होगा कि जो कोई ग्रूप मेजोरिटी में है, दूसरे लोग जो चुनाव में नहीं आ सकते ऐसे किसी व्यक्ति को वे कमेटी में लेना चाहेंगे तो इस क्लॉज़ द्वारा वे ले सकते हैं । इस तरह से मेम्बर्स को फुल पॉवर प्राप्त हो सकते हैं, 'बैकडोर' टैक्टिक्स काम में लेकर जो आदमी चुनाव में नहीं आ सका, उसको कमेटी में ले सकते हैं। यानी इनडॉइरेक्टली इस कमेटी के सदस्यों को बगैर चुने हुए फुल मेम्बर्स के राइट प्राप्त हो सकते हैं । इसलिये मेरा एतराज है कि सब-क्लॉज २ को डिलीट कर दिया जाय। सब-क्लॉज २ से साफ लगता है कि जो लोग चुनाव में नहीं आ सकते, उनको कमेटीज में शरीक कर सकते हैं, इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है। एक्सपर्ट की नॉलेज के लिये रखा है इसलिये मेरा अमेन्डमेन्ट मन्जूर किया जाना चाहिये ।

अन्डर कन्सीडरेशन के लिये, कमेटीज को सलाह देने के लिये यदि किसी मेम्बर को आप लेना चाहते हैं तो केवल एडवाइज़र की केपेसिटी में लीजिये इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप एक्सपर्ट लोग को लेना चाहते हैं तो मेरे अमेन्डमेन्ट के माफिक लेना चाहिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस क्लॉज़ में यह अमेन्डमेन्ट मूव किया है : The following proviso may be added to sub-clause (I):—

'Provided that the persons so appointed shall not have a right to vote'. सवाल यह है कि एक बोर्ड के अन्दर जिसके सारे अख्तियारात बोर्ड को चलाने के लिए कोरपोरेट ढंग से हैं उसके लिये कुछ सब कमेटीज बनेंगी और वे सब कमेटियां उस सारे काम को जो कि बोर्ड के सुपुर्द है, जो उसकी ड्यूटीज हैं उनके सिलसिले में अलग-अलग कमेटियों का गठन होगा । इस सिल-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सिले में यह क्लॉज़ है। एक्सपर्ट लोग चाहिये तो बोर्ड को ऑब्शन करना चाहिये, वह कर सकता है। सबसे पहली बात यह है कि यह बोर्ड सोली रेस्पोन्सिबल है, वह किसी एक्सपर्ट कमेटी को रखना जरूरी समझता है या नहीं। वह यदि जरूरी समझता है कि इस कमेटी के अन्दर एक्सपर्टस की राय लेने की जरूरत है तो ऐसी हालत में वे एक्सपर्ट को ले सकते हैं। और ऐसी हालत में एक्सपर्ट की राय का फायदा कमेटी को मिल सकता है।

अब सवाल यह उठता है कि इस प्रकार से स्वायत्त शासन संस्थाओं के अन्दर अगर सब कमेटीज़ को पॉवर देते हैं जैसे फाइनेन्सेज के मामले, पॉवर सप्लायर का मामला है, पैसे का जो भी मामला होता है वह तो बोर्ड के सामने जाता है। लेकिन उनके मार्फत उनको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। वे सब कमेटीज़ अपनी जरूरतों में जो रिकमन्डेशन मिल कर करते हैं, उसमें अपने को बोर्ड मान कर कुछ पहले ही कुछ कमेटी के लोग पास कर देते हैं, कमिटेड हो जाते हैं उस बात को पास करके कि हम इस सही चीज को सही समझते हैं। वे उसे बोर्ड को रिकॉमन्ड करते हैं। पर जब म्युनिसिपल कमेटी में पास हो जाता है, तब पास समझा जाता है। इसलिये सब कमेटीज़ के अन्दर एक्सपर्ट के लिये कभी कभी बहुत जरूरत होती है और बोर्ड अगर इसको महसूस करता है तो एक्सपर्ट का सहयोग लेने की कोशिश की जाती है।

तो इस सिलसिले में मैंने जो सुझाव दिया है वह यह दिया है कि वह एक्सपर्ट अपनी राय का मालिक है पर कमेटी का काम पूरी तरह से चले, उसके लिये वे ही जिम्मेदार रहें उनके वोट से काम चलता है उन लोगों के वोटिंग स्ट्रेन्थ पर उसकी राय का असर न पड़े। इस लिहाज से मैंने यह रक्खा है कि जो एक्सपर्ट लिये जावें उनको वोट का अधिकार न हो। इससे दो तरह के फायदे होने वाले हैं। एक तो इससे एक्सपर्ट ही लिये जावेंगे, दूसरे जो पोलिटिकल रीज़न्स के लिये लाने का डर माननीय सदस्यों को था, वह भी दूर हो जावेगा, एक्सपर्ट की राय भी मिल जाती है और वह कमेटी भी उसकी राय पर पूरी तरह काम कर सकती है। अन्नेसेसरीली बोर्ड भी नॉमीनेट नहीं करेगा। तो यह मेरी राय है।

पर इसके साथ एक और खतरा पैदा हो जाता है और वह यह है कि जो एक्सपर्ट इस तरह से आवेंगे उनको बोर्ड कुछ अलाउन्स के तौर पर दे नहीं सकेगा, ऐसा प्रोविज़न भी नहीं है स्वायत संस्थाओं के कानून के प्रोविज़नों में। फिर वह वोट देने का भी अधिकारी नहीं है तो फिर कमेटी में आकर वह क्यों बैठे। यह दिक्कत आ सकती है। सदन को इस पर भी विचार करना है। सरकार को भी इसे सोचना है।

उसको वोट का अधिकार देना है तो डिस्क्वालिफिकेशन्स जो लगाई हैं वे गलत हैं। जो इन्जीनियर, डॉक्टर आदि एक्सपर्टस होंगे वे बेकार तो बैठे होंगे नहीं फिर क्यों कमेटीज में जाकर अपनी राय देने में दो तीन घन्टे खर्च करने लगे, उस टाइम में वे अपनी जगह बैठकर पचास साठ रुपये कमा लेंगे। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि जो आदमी अपने काम में लगे हुए हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, म्युनिसिपल कमेटीज़ में भी काम करते हैं वे अगर एक्सपर्ट समझे जाते हैं तो ऐसी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हालत में उस पर डिसक्वालिफिकेशन नहीं लगानी चाहिये। उनको वोट का अधिकार दे दिया जावे तो मैं अपने इस संशोधन को वापिस लेने को तैयार हूं।

लेकिन इसके साथ अगर उस कमेटी के अन्दर एक्सपर्ट रखे जावें तो सवाल यह पैदा होगा कि एक्सपर्ट कौन समझा जावेगा ? जब वोट का अधिकार देते हैं तो एक्सपर्ट तै करने का काम बोर्ड पर छोड़ देना चाहिये। नहीं तो एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन कानून में नहीं दी जा सकती कि जिससे उसको बांध दिया जाए। क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी के और सब-कमेटीज़ के जो फंक्शन्स हैं उनके अन्दर एक्सपर्ट का जहां सवाल है उसे हर काम करना पड़ता है, नल से लेकर, नालियों से लेकर, सेनिटरी की, डॉक्टरी की, इन्जीनियरी की, बिल्डिंग की, सड़कों से लेकर टी.बी. तक की बीमारियों की जितनी भी चीजें हैं एक्सपर्ट से सम्बन्धित चीजें हैं वे सब करनी पड़ती हैं। वाटर वर्क्स है, तो इस प्रकार इन सब में एक्सपर्ट की राय की जरूरत होती है। तो इसलिये मैंने जो यह प्रस्ताव रखा है इसमें अधिकार देते हैं वोट देने का तो मेरा सुझाव यह है कि उनको कोई स्ट्रिंग्स इसमें नहीं बांधने चाहिये। अगर उसकी क्वालिफिकेशन्स आप रखते हैं तो ऐसी हालत में यह क्वालिफिकेशनवाला क्लॉज़ डिलीट कर देना चाहिये जिससे पूरी तरह से बोर्ड को उनकी राय का उपयोग करने का मौका मिल जावे। वैसे तो आज भी रखा हुआ है, उसमें जरूरी नहीं है, कोई मेन्डेटरी नहीं है। अगर बोर्ड उस काम को कर सकता है तो बोर्ड खुद अधिकारी है. वह खुद सोचे इस बात को कि आया एक्सपर्ट को कोऑप्ट करना है या नहीं। वोट का अगर हक मिल जाता है तो क्यों एतराज किया जाए ? जो मेज़ोरिटी से काम चलाने वाले हैं, वोट से काम चलाने वाले हैं उन पर क्यों नहीं विश्वास किया जावे कि जब जरूरत होगी, वे जरूरत समझेंगे तब रखेंगे और वोट भी देंगे। जब बोर्ड को आप पूर्ण अधिकार देते हैं तो यह गुंजाइश करना कि वोट वे इधर से उधर कर देंगे, बैकडोर से घुसाने का रास्ता खोला जा रहा है, कोई माने नहीं रखता। जो उनके द्वारा कोऑप्ट किया जावेगा उनको वोट का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिये और वोट के अधिकार के साथ (करतलध्वनि और हंसी) वोटिंग डिसक्वालिफिकेशन्स क्यों लगनी चाहिये कि जिसमे वे एक्सपर्टों को नहीं ले सकें ? कोई भी काम जब एक्सपर्ट की जरूरत रखता है तो उन एक्सपर्ट्स को वोट का अधिकार भी होना चाहिये, जब मेजोरिटी से वोटों से बोर्ड को चलाने का अधिकार दिया है डेमोक्रेसी में तो उसी डेमोक्रेसी के नाम से उनको अधिकार वोटिंग का देने को क्यों नहीं सरकार और क्यों नहीं विरोधी लोग तैयार हैं ? (करतलध्वनि और हंसी) तो मुझे तो कोई कारण ऐसा नहीं दिखता कि जिन लोगों को एक्सपर्ट समझ कर लिया जावे, वे लोग एक्सपर्ट हैं या नहीं, इसका निर्णय बोर्ड को क्यों नहीं दिया जावे और वोट का अधिकार भी क्यों नहीं दिया जावे ?

श्री अध्यक्ष : पर आपका संशोधन तो यह है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जावे।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : जोश आ गया साहब।

(हंसी)

श्री ज्वालाप्रसाद : कल मुझे एक रूलिंग के जरिये....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : In his arguments he has discussed all these things with me before.

श्री अध्यक्ष : I think they are the main arguments.

श्री ज्वालाप्रसाद : That yesterday I rose to speak on the amendment moved by another man. I was stopped all of a sudden and I was told that I will get a chance after the reply of the Hon'ble Minister. But there I failed to use my right to express myself or a particular amendment that was not given. I am taking this opportunity as the other Hon'ble Members are taking...

श्री अध्यक्ष : You are speaking about any ohert section or about any other amendment ?

श्री पी० के० चौधरी : You are supporting my amendment.

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं कि बोर्ड में सब-कमेटीज़ के अन्दर...

श्री पी० के० चौधरी : I want to know whether he is supporting my amendment ?

श्री अध्यक्ष : I am also trying to discover it.

श्री पी० के० चौधरी : Let him say clearly what he wants.

श्री अध्यक्ष : Let us have patience.

श्री ज्वालाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ऐसा सवाल करेंगे कोई कि तुमने अपने बाप को मारना छोड़ दिया क्या ? इस पर 'हां' कहूं तो भी आफत, 'ना' कहूं तो भी आफत । तो मैंने अपने विचार पूरी तरह से रख दिये ।

श्री अध्यक्ष : विचार रख दिये आपने अपने ? अब अपने अमेन्डमेन्ट पर जाइये ।

श्री ज्वालाप्रसाद : अगर आप वोट का अधिकार नहीं देना चाहते और डिस्क्वालिफिकेशन्स नहीं हों तो सरकार का आदेश ऐसा होना चाहिये कि एम. एण्ड. एच. ओ. जो अस्पताल में काम करते हैं, बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, पी. डब्ल्यु. डी. में बड़े बड़े इन्जीनियर वगैरह जो एक्सपर्ट्स सरकारी सर्विस में काम करते हे वे बाध्य हों इन कमेटियों की मीटिंगें अटेन्ड करने के लिये और अपनी एक्सपर्ट राय वहां देने के लिये । तो क्या सरकार इसके लिये तैयार है ? क्या सरकार तैयार है इस बात के लिये जिससे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हटा देने के बाद वे अपनी सही राय दे सकें और कमेटी में उनके वोट से कोई आंच न आने पावे ? अगर वे वोट भी चाहते हों तो क्या सरकार इसके लिये तैयार है ? ऐसे आदमियों की फिर मेन्डेटरी ड्यूटी हो, यह मेरी मंशा है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना अमेन्डमेन्ट आपके सामने रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह का प्रावधान अभी किसी कानून में नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं अमेन्डमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष,

Page No.40

श्री श्रीभानसिंह : I wanted to support the amendment.

श्री पूनमचंद बिश्नोई : I am accepting that amendment to the extent of one......

श्री श्रीभानसिंह : I wanted to speak on the amendment (Shri Poonam Chand was on his legs.)

श्री अध्यक्ष : Let us here him. हां, बोलिये। आप पहले सुन तो लें वे क्या कहते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : आप कोई अमेंडमेंट तो मूव नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : Let us listen to him what he wants to say.

श्री पूनमचंद बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आनेवाले, जो माननीय सदस्य हैं उनका अमेंडमेंट पार्ट वन पर कि ११३ मेम्बर होने चाहिएं, उसको मैं स्वीकार करता हूं। बाकी इन दोनों अमेंडमेंट्स का अपोज़ करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो ११३ का अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया है वह तो ठीक है मगर जो फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने सब-क्लॉज़ (२) ऑफ क्लॉज़ ६७ को डिलीट करने का अमेंडमेंट मूव किया मैं उसको सपोर्ट करता हूं और माननीय सदस्य नसीराबाद से आये हैं उन्होंने जो अमेंडमेंट मूव किया कि जो एक्सपर्ट्स हैं

'Provided that the person so appointed shall not have a right to vote.'

मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष, बोर्ड के अन्दर जब आप यह प्रोविज़न रखते हैं कि एक्सपर्ट्स को बुलाया जाये और उनकी जो एक्सपर्ट नॉलेज़ है उससे बोर्ड फायदा उठाये तो मैं नहीं समझता कि आखिर जब उनसे एक्सपर्ट ओपीनियन मांगी जाती है और उनकी ओपीनियन से आप बेनीफिट लेना चाहते हैं तो फिर एक्सपर्ट को राइट ऑफ वोट क्यों डिनाई करते हैं और राइट ऑफ वोट उनको नहीं देते। आप उनको एक तो मीटिंग में बुलायें और फिर आप उनको डिस्क्वालिफिकेशन दे दें तो बोर्ड के अन्दर कोई एक्सपर्ट नहीं आयेगा। एक एक्सपर्ट को आप बुलाते हैं तो उसको इसलिए बुलाते हैं जो उसकी ओपीनियन है किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी टोपिक के ऊपर या किसी हैल्थ कमेटी में आप एक डॉक्टर को बुलाते हैं और उसकी ओपीनियन से बेनीफिट लेना चाहते हैं लेकिन कुछ जो कमेटी के सदस्य हैं तो वे कमेटी के मेम्बर होते हुए भी उनके ऊपर कुछ पोलीटिकल गाइडेन्स रहेगी और एक्सपर्ट के ऊपर न तो किसी प्रकार की पोलीटिकल गाइडेन्स रहेगी और इसकी वजह से वह एक्सपर्ट ओपीनियन देता है और ओपीनियन देने से फिर आप उस आदमी को प्रिवेन्ट करते हैं कि वह जो ओपीनियन देता है उसके लिए वोट नहीं कर सकता तो फिर कमेटी में कौन एक्सपर्ट आयेगा ? आप यह कहते हैं कि एक्सपर्ट की ओपीनियन कोई कमेटी की ओपीनियन थोड़े ही बन सकती है तो मैं कहता हूं कि कोई भी एक्सपर्ट ओपीनियन के लिए नहीं आयेगा। क्योंकि इस तरह से तो एक ग्रामोफोन रेकॉर्ड मंगा लीजिए और बजा लीजिए। उन्होंने कह दिया तो बंद कर दीजिए। कमेटीज़ का जो पर्पज़ है, एक्सपर्ट को आप क्यों बुलाते हैं ?

Page No.41

(श्री श्रीमानसिंह)

एक तरफ तो स्वायत्त शासन संस्था जिसका डेमोक्रेटिक बेसिस है और आप डेमोक्रेसी को मेन्टेन करते हैं, एक्सपर्ट को आप बुलाते हैं, एक्सपर्ट ओपीनियन के लिए एक ऑफिशियल को बुलाते हैं, एक ऑफीशियल ओपीनियन के लिए, लीगल ओपीनियन के लिए तो तीनों चीजों के लिए आप एक्सपर्ट्स को कमेटी में बुलाते हैं तो डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और जिसको मैं कहता हूं टेकनोक्रेसी तीनों को आप कम्बाइन्ड करते हैं तो उसका मैक्सीमम........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is it represented by...

श्री श्रीमानसिंह ; That will be represented by proportional representation by Jan Sangh.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री श्रीमानसिंह : I am not a member of the Jan Sangh fortunately. तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तीनों क्रेसीज़ इसमें होंगी minus the one suggested by him, my colleauge तो ये तीनों क्रेसीज़ का मेक्सीमम बेनीफिट कैसे मिलेगा ? उन्होंने अपनी ओपीनियन दी तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड बोर्ड है उसकी पोलीटिकल ओपीनियन रहेगी, उनकी ले ओपीनियन रहेगी और ले ओपीनियन की पॉलिसी आप ले डाउन कर दें। उसको व ाइडर इन्टरेस्ट में देखना है कि यह वाइडर इन्टरेस्ट में है या नहीं उसको माइन्यूटली वर्क करने के लिए आपको ऑफिशियल ओपीनियन भी मिल जाती है और जो लेटेस्ट ओपीनियन है और जो बैटर एक्ट कर सकती है वह एक्सपर्ट की ओपीनियन भी आपको मिल जाती है और एक्सपर्ट को कह दिया जाये कि आप ओपीनियन तो दे सकते हैं और यदि आप कमेटी के मेम्बर भी हैं तो भी आप अपनी राय को कैरी आउट कराने के लिए वोट नहीं दे सकते तो इससे तो कोई एक्सपर्ट आपकी कमेटी में आयेगा नहीं। क्योंकि आपने उसको वोट देने के लिए रोक दिया। एक एक्सपर्ट जो अपनी ओपीनियन को ठीक समझता है और उस ओपीनियन को बोर्ड भी ठीक समझता है और उसके लिए अगर वह वोट दे तो क्या यह कोई गुनाह करता है, क्या यह जनतंत्र परम्परा के खिलाफ है ? एक तरफ तो उसकी ओपीनियन से बेनिफिट लेना और दूसरी तरफ उसको राइट ऑफ वोट डिनाई करना याने अपनी ओपीनियन को कैरी आउट कराने के लिए वोट नहीं दे सकेगा तो फिर उस एक्सपर्ट को बुलाने का क्या फायदा ? तो जिन ऑफिसर्स को आप बुलाते हैं उनको राइट ऑफ वोट जरूर देना चाहिए। आप उनको बुलाते हैं और फिर उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज कर देते हैं लाइबेलिटीज़ एण्ड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दी बोर्ड तो आपका एक्सपर्ट नहीं आने का है। मान लीजिए एक हैल्थ कमेटी ने डॉक्टर को बुलाया, मैडीकलमैन को बुलाया या लाइब्रेरी कमेटी में किसी टीचर को बुलाया फोर दी कन्सलटेशन ऑफ बुक्स एण्ड लेटेस्ट पीरियोडिकल्स या मैग्ज़ीन्स के लिए, बच्चों की लाइब्रेरी के लिए कौन सी किताबें चाहते हैं इसके लिए आप टीचर को बुलाते हैं और उसको वोट देने का अधिकार नहीं देते हैं और उसकी ओपीनियन ले लेते हैं और बोर्ड की जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन्स होती हैं वह उसके ऊपर इम्पोज़ कर देते हैं सिर्फ एक चीज की मीटिंग अटेन्ड

(श्री श्रीमानसिंह)

करने में। फिर कमेटी की मीटिंग हुई तो दूसरे एक्सपर्ट को बुला लिया तो ऐसे आदमियों पर टीचर्स पर या डॉक्टर्स पर डिस्क्वालिफिकेशन्स इम्पोज़ कर देते हैं तो क्या आप ऐसे लोगों को एन्करेज करते हैं कि वह म्युनिसिपेलिटीज़ के साथ या कमेटीज़ के साथ को-ऑपरेट करेगा या अपनी ओपीनियन देगा, अपना वेल्यू एबल टाइम देगा ? टाइम देने के बाद उनकी ओपीनियन को कैरी आउट नहीं करा सके और जब वह बाहर जायें तो अपने साथ डिस्क्वालिफिकेशन ले जायें। तो यह तो एक क्राइम हो गया। एक एक्सपर्ट को कमेटी में बुलाना और फिर उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज़ करना तो क्राइम हो गया। बोर्ड की मीटिंग अटेन्ड करने के असेस तो मिलते नहीं हैं उनको और उल्टे उन पर डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज़ कर देते हैं। तो यह रखकर कि एक्सपर्ट की ओपीनियन को नहीं मानते हैं तो they can give their opinion in a general meeting of the Board जब मीटिंग में जाये तो डिस्क्वालिफिकेशन उनके साथ लागू कर दी जाये यह कहां तक ठीक है, कहां तक वाजिब है ? एक्सपर्ट पर डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज़ करना ठीक नहीं है, इसको देखते हुए माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है, उसको सपोर्ट करता हूं और जो राइट ऑफ वोट को डिनाई करना चाहते हैं उसको मैं अपोज़ करना चाहता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की ६७ वीं धारा पर जो संशोधन आये हैं, उनमें से पहला संशोधन जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

यह जो इस मूल विधेयक में धारा रखी है, मैं समझता हूं, उसका उद्देश्य यह है कि जो भी सदस्य नगरपालिका में चुन कर आते हैं वे आम तौर पर जो साधारण दूसरे दूसरे धंधों के, दूसरे दूसरे व्यवसायों के व्यक्ति होते हैं, उनको किन्हीं खास जैसे स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा सम्बन्धी, सार्वजनिक निर्माण कार्य संबंधी या दूसरे दूसरे इस प्रकार के जो विशेष कार्य होते हैं, उनका ज्ञान कम होता है और उनके वे विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इसलिये इसमें प्रावधान रखा है कि वह कमेटी इस प्रकार के कामों के लिये होती है कोई स्वास्थ्य या शिक्षा संबंधी या कोई निर्माण संबंधी होती हैं, उन में ये विशेषज्ञ अपनी राय दे सकते हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, पहले रियासतों के जमाने में म्युनिसिपेलिटीज़ होती थीं, उनमें इस प्रकार के व्यक्ति सरकार की ओर से नामजद हुआ करते थे। कम से कम भरतपुर का तो मुझे पता है, वहां पर जो लोग चुन कर आते थे उनके अतिरिक्त कुछ भाग नामज़द भी होता था। उनमें डॉक्टर होता था, इंजीनियर होता था और दूसरे इस तरह के लोग लिये जाते थे। इस कमी को पूरा करने के लिये, क्योंकि वे लोग चुन कर नहीं आते इसलिये यह रखा है कि उनके प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है इसलिये यह हो गया, लेकिन प्रश्न यह है कि प्रतिनिधित्व कितना हो........

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं इसे स्वीकार कर चुका हूँ। वन-थर्ड मान लिया है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट का अमेन्डमेन्ट वन-फोर्थ का है ?

Page No.43

श्री अध्यक्ष : इसे गवर्नमेन्ट ने मूव नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : चान्स नहीं मिला, इसलिये शायद मूव नहीं किया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : खैर, वे यहां पर आयेंगे लेकिन दूसरी चीज रखी है कि उन्हें मत देने का अधिकार न हो, यह उचित नहीं होगा। जैसा कि मेरे से पहले बोलनेवाले माननीय सदस्य ने बतलाया कि कोई भी आदमी जो अपने मान-सम्मान को रखेगा, वह किसी भी ऐसी समिति में सम्मिलित होना उचित नहीं समझेगा, जिसमें वह अपने विचार रख सकता है, लेकिन उसे निर्णय लेने का अधिकार न हो, ऐसी समिति में कोई भी विशेषज्ञ आना पसन्द नहीं करेगा।

दूसरा उनको इसमें सम्मिलित करने का असली उद्देश्य यह है कि उनको जो विशेष ज्ञान है उसका उपयोग किया जाय। यदि कोई डॉक्टर स्वास्थ्य के संबंध में अपनी राय देता है और दूसरे सदस्यों को किसी कारण से उसकी राय ठीक नहीं जंचती, उसके बारे में जिस समय मत लिया जाय, उस समय डॉक्टर को कहा जाय कि आप मत नहीं दे सकते, केवल अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो यह उचित नहीं होगा और किसी कारण से दूसरे चुने हुए व्यक्तियों की राय चल जाती है तो डॉक्टर का उसमें रहने का कोई अर्थ नहीं है और उसी प्रकार जो दूसरे विशेषज्ञ हैं उनका रहना भी बेकार है जब तक कि वे पुष्टि न कर सकें। इस दृष्टि से उनको राय देने का अधिकार न देना, उचित नहीं है। जब वे वहां पर बैठते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, विशेषज्ञ राय देते हैं तो उनको मत देने का अधिकार भी अवश्य देना चाहिये और उनके मत का विशेष महत्व होना चाहिये क्योंकि दूसरे लोग ले मैन होते हैं, उस विषय के बारे में उनके मत का विशेष मूल्य नहीं है इसलिये विशेषज्ञों को राय देने का विशेष अधिकार होना चाहिये। ऐसी दशा में जब कि उनको विशेष अधिकार होना चाहिये, उनको साधारण मत से वंचित रखना उनके प्रति अन्याय है। यह केवल उनके प्रति ही अन्याय नहीं है बल्कि उक्त उद्देश्य के प्रति भी अन्याय है जिस उद्देश्य को लेकर ये कमेटियां बनाई जाती हैं। उनका अनुपात आधे के बजाय एक तिहाई किया जा सकता है, इसलिये कि आधा अनुपात रखने से बहुमत भी कभी कभी बना सकते हैं इधर-उधर के लोगों को शामिल करके, तो यह भी बेजा है इसलिये एक तिहाई करने से यह भय भी दूर हो जाता है, लेकिन उनको मत देने से वंचित रखना उचित नहीं होगा। जिस कमेटी में विशेषज्ञ बैठें उसमें उनको राय देने का अधिकार होना चाहिये। इसलिये जो राय न देने का संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मूव नहीं करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६९ में जो संशोधन प्रस्ताव फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है........

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ ६६ नहीं है, ६७ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जारी) : मैं क्लॉज़ ६७ पर ही बोल रहा हूं, फुलेरा से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६७ में हमने यह प्रोविज़न किया है कि क्लॉज़ ६६ के अन्तर्गत जिन स्टेचुटरी कमेटीज़ का निर्माण किया जायगा और उनमें जो भी नगरपालिका के सदस्य रहते हैं उन सदस्यों के अतिरिक्त उन कमेटीज़ में यदि बोर्ड या कौंसिल चाहे तो किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो विशेष योग्यता रखता है, नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उन कमेटीज़ में नियुक्ति के लिये दो शर्तें हैं। एक तो यह कि बोर्ड की आधी संख्या उसके बारे में अपना मत प्रकट करे और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, यह है कि उन कमेटीज़ में जो भी व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे उनकी संख्या कमेटी की संख्या के एक तिहाई से ज्यादा नहीं होगी। इस ओरिजिनल बिल में संख्या शायद आधी है, लेकिन मंत्रीजी ने जो एक संशोधन रखा है उसमें इसको घटा कर एक चौथाई रखी है और अभी फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार किया है उसके अनुसार एक तिहाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तिहाई का अनुपात कमेटीज़ के लिये मान लिया है। दूसरा संशोधन फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है। सब-क्लॉज़ (२) में लिखा है कि कोई सदस्य जो विशेषज्ञ है वह यदि कमेटीज़ में नियुक्त किया जायेगा तो उसको वोटिंग राइट नहीं होगा। लेकिन भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने अभी जोरदार वकालत की कि उनको वोटिंग-राइट होना चाहिये। स्पेशल योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है, इसलिये उनको वोटिंग पावर जरूर होनी चाहिये। एक तरफ तो आप कहते हैं कि उनको वोटिंग राइट होना चाहिये और दूसरी तरफ कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो तो उनको डिबार नहीं किया जाय, मेम्बरशिप से उनको डिबार नहीं किया जाय। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य प्रोफिशियेन्सी और एफिशियेन्सी के नाम पर कभी कभी उदाहरण पेश करते हैं। अभी अभी काक महोदय की प्रोफिशियेन्सी-एफिशियेन्सी के बारे में चर्चा चली थी। एक तरफ प्रोफिशियेन्सी की बात करते हैं और दूसरी तरफ अदरवाइज़ डिस्क्वालिफाइड हो तो फिर उनको वोट देने का अधिकार देने की वकलत कैसे करते हैं? वे जोरदार शब्दों में कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात छोड़िये, स्पेशल क्वालिफिकेशन होने के कारण उनको वोट देने का हक होना चाहिये। इस तरह की बातें प्रश्नोत्तरकाल में ही नहीं बल्कि समय समय पर सदन में कही जाती हैं। एक तरफ तो इस तरह की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन भी हो तो इन्कार नहीं करना चाहिये। मुझे आश्चर्य होता है यह देखकर कि इस प्रकार से प्रोफिशियेन्सी, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी की बात करते हैं इनके साथ में चौथी बात इडियोक्रेसी की और बढ़ा दें तो और अजीब सी स्थिति हो जायगी। अपने मित्र के संशोधन का समर्थन करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिये आप समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी बात है। लेकिन जहां तक सिद्धान्त, नियम और उसूल का सवाल है, पहली बात गलत है। यह बैक डोर एन्ट्री है! हमारे बोर्ड चुने हुए होते हैं। लोग चुनाव लड़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं, घर घर जाकर वोट मांगते हैं, मुसीबत भुगतते हैं तब जाकर बोर्ड में आते हैं और इस तरह से २० आदमियों का बोर्ड बनता है और बहुमतवाली

Page No.45

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पार्टी के हाथ में सत्ता आती है। नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य जैसा कह रहे थे कि बहुमत को अधिकार होगा कि वह चाहे जैसे शासन चलावे। बहुमत है तो बहुमत का हाथ होना चाहिये या बहुमत के द्वारा शासन होना चाहिये। लेकिन तथ्य की बात यह नहीं है। २० या ३० सदस्य बोर्ड में चुन कर आयें और बोर्ड के लिये ५ कमेटीज़, दफा ६६ के तहत हम बनाना चाहते हैं और प्रत्येक में सात सात सदस्य होने चाहिये। अगर माननीय अध्यक्ष, ३० सदस्य उस बोर्ड में हैं और हमें ५ स्टेट्यूटरी कमेटीज़ बनानी हैं तो ५ स्टेट्यूटरी कमेटीज़ बनाने के बारे में अधिकार देकर उनकी संख्या ७, ७ सदस्यों की एक-एक कमेटी में रखी है. लेकिन हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, की ७, ७ के हिसाब से ५ कमेटियों में ३५ सदस्य चाहियें, और सदस्य हैं ३० तो नतीजा क्या होगा कि प्रत्येक मेम्बर को दो दो कमेटियों में रखना होगा। दो दो कमेटियों के मेम्बर होते हैं और ७ की संख्या इसमें रख दी है, और ७ सदस्यों में वन थर्ड वे सदस्य हो सकते हैं जिन्होंने कोई चुनाव नहीं, लड़ा है, कोई नोमिनेशन नहीं भरा है, और नोमिनेशन पेपर भर कर और चुनाव लड़कर जीतकर नहीं आये हैं। हो सकता है कि इस प्रकार के लोगों में इस तरह के लोग भी हो सकते हैं जो चुनकर नहीं आ सकते थे, लेकिन हम किसी प्रकार से उन पर मेहरबान हैं, वे हमारे कृपापात्र हैं, हमारे नजदीक के आदमी हैं, उन आदमियों को इसके आधार पर बोर्ड का मेम्बर नोमिनेट कर दें कि इन दो सदस्यों को इन अमुक अमुक कमेटीज़ में नोमिनेट किया जाता है। इसका नतीजा यह होगा, माननीय अध्यक्ष, कि उन ५ स्टेट्यूटरी कमेटीज़ के अन्दर पांच दूनी १० व्यक्ति ऐसे होंगे जो बोर्ड का चुनाव लड़ कर नहीं आये, जो चुन कर नहीं आये, जिन्हें पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया था जब कि जनरल इलेक्शन हुआ था, उन सारे लोगों को बैकडोर से इन कमेटियों में लाकर बैठाना चाहते हैं। इसलिए उनके बारे में कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो तो उसको हटा दें तो मैं समझ सकता हूँ ऐसे लोगों को लाकर बिठायेंगे, जिनमें कोई विशेष क्वालिफिकेशन या कोई प्रोफिशियेन्सी या एक्सपर्टनैस या कोई विशेष योग्यता हो तो मैं यह सोच सकता था। लेकिन एक्सपर्ट तो एक ही पर्याप्त होता है, फिर दो दो रखने की क्या आवश्यकता है? माननीय अध्यक्ष, यह कहां तक समझ में आ सकता है कि वन-थर्ड की संख्या रख ली, यानी दो एक्सपर्ट्स प्रत्येक कमेटी में हो सकते हैं। उन कमेटियों में यदि कोई मेम्बर्स उपस्थित नहीं हों तो जिन सदस्यों को नियुक्त किया है उनको भी वोटिंग राइट मिले, यह इसलिए कि पहले किसी कमेटी में यह हो सकता था पर अब तो वह अलॉउन्स मिलेगा नहीं, क्योंकि रूपबास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा था वह अस्वीकृत हो गया, उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए बोर्ड के सदस्य उन कमेटियों में १ या २ से ज्यादा भाग नहीं लेंगे। ऐसी भी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि ७ सदस्यों की कमेटी में तीन ही मेम्बर हाजिर हों और दो यहां उपस्थित होंगे, दो-तीन नोमिनेटेड या अपॉइन्टेड मेम्बर्स जो कि चुने हुए नहीं हैं, और जिन्हें कि वोटिंग राइट दिया गया है, उसका नतीजा यह होगा कि इलेक्टेड मेम्बर का बोर्ड होगा उनमें इन नोमिनेटेड या अपॉइन्टेड मेम्बर्स की कमेटी फन्क्शन करेगी जो कि बैक डोर से आये हुए सदस्य होंगे, वे उनके कृपापात्र होंगे जो कि बोर्ड

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के द्वारा एपॉइन्टेड होंगे, उनके द्वारा सारी कमेटीज़ फन्क्शन की जायगी।

माननीय अध्यक्ष, फिर यह कहना कि ऐसे सदस्यों की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, उनको वोटिंग राइट होना चाहिए। लेकिन वे सारे नोमिनेट नहीं किये जाने चाहिए जिनमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो। अगर कोई सदस्य किसी कारण से अयोग्य घोषित हो गया हो, जिस प्रकार कि म्युनिसिपेलिटी के खिलाफ वकालत करता हो, वह बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकता है। कोई सदस्य किसी क्रिमिनल कोर्ट से कन्विक्टेड होता है, वह म्युनिसिपेलिटी का सदस्य नहीं रहेगा। किसी सदस्य के खिलाफ टैक्स बाकी है तो वह म्युनिसिपेलिटी का सदस्य नहीं रह सकता है, कोई सदस्य इन्साल्वेन्ट हो जाता है या कोई सदस्य और किसी प्रकार से डिस्क्वालिफाइड हो जायगा तो बोर्ड की मेम्बरशिप में वह कन्टीन्यु नहीं रह सकता है। लेकिन माननीय सदस्य यह संशोधन रखते हैं कि यह जो सदस्य बैक दरवाजे से आये हैं, हमारे सिर पर चढ़कर बैठे हैं, इनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अपॉइन्टेड मेम्बर में कोई टैक्स बाकी है तो वह डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा, वह किसी प्रकार की म्युनिसिपेलिटी के खिलाफ वकालत करता है तो वह डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा, अगर वह इन्साल्वेन्ट हो जाय तो वह डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा, अगर वह किसी क्रिमिनल कोर्ट से कन्विक्टेड हो जाय तो किसी प्रकार से डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। और किसी मेटर में जिस पर म्युनिसिपेलिटी में विचार किया जा रहा है, उस कमेटी में विचार किया जा रहा है, वह ऐसी बातों में हिस्सा लेता है, शेयर लेता है डॉइरेक्टली या इन्डारेक्टली तो उसके लिए भी जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन है जो कोई सदस्य इलेक्ट होकर आता है उनके लिए जो प्रोविजन्स हैं उन सारे प्रोविजन्स को वहां पर रखा जाय। अगर उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो माननीय अध्यक्ष, नतीजा क्या होगा कि वहां पर कोई रीडिंग रूम कमेटी बनेगी, लाइब्रेरी कमेटी बनेगी, एज्युकेशन की सब-कमेटी बनेगी, जिसके संबंध में एक संशोधन हमारे रूपवास से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा था, उसका प्रश्न नहीं आता है। वहां पर लाइब्रेरी कमेटी बनेगी और कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रखें तो अजमेर के किसी कॉलेज के प्रोफेसर श्री इलियास मोहम्मद को मेम्बर रख देंगे जो कि सजायाफ्ता है, सजा पा चुका है, उनको एक्सपर्ट के नाते, क्योंकि उनकी प्रोफिशियेन्सी जेब काटने में है, ऐसे कॉलेज के प्रोफेसर को एज्युकेशन की सब-कमेटी का मेम्बर बना देंगे, तो माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या यह व्यवस्था वे कानून में करना चाहेंगे कि केवल प्रोफिशियेन्सी के आधार पर बोर्ड का मेम्बर बना देते हैं और अगर उनके पास किसी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन हो और उन्हें डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाय, क्या माननीय सदस्य इस बात को पसन्द करेंगे। माननीय सदस्य जिस समय बोल रहे थे, उन्होंने ये उदाहरण ध्यान में नहीं रखे हैं। उन्हें बाद में ध्यान आता है और पछताते हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूँगा कि यह जो वन-थर्ड का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूँ। नोमिनेटेड मेम्बर की डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में जो प्रस्ताव रखा है 'डिस्क्वालिफिकेशन' शब्द को हटा देने का, उसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि इस प्रकार से बैक-डोर के द्वारा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो सदस्य नियुक्त किये जाते हैं, जो चुने नहीं जा सके हैं। उनके लिए किसी प्रकार की कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं हो, इस प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव सब सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। मैं इसका विरोध करता हूँ और में सदन से निवेदन करता हूँ कि इस प्रस्ताव को पारित नहीं करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात थी, लेकिन बड़ी गरमागर्म और बड़े जोश के साथ बहस को गई।

मेरे ख्याल से, मेरी समझ में क्लॉज ६७ का जो मकसद है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, वह यह है कि जो म्युनिसिपेलिटी के अन्दर चुने हुए सदस्य आये हैं उन सदस्यों की सुविधा के लिए कुछ ऐसे आदमियों के ज्ञान, कुछ ऐसे आदमियों की राय लेनी चाहिए, जिन्होंने रोजमर्रा को बातों में काफी ज्ञान हासिल किया है। अकसर हम म्युनिसिपेलिटियों में इन्जीनियर्स या डॉक्टर्स की सलाह लिया करते हैं। तो ६७ में जो क्लॉज है वह है :

"........any persons who are not members, but who may in the opinion of such board possess special qualifications for serving on such committee, provided that the number of persons so appointed on any committee shall not exceed one-half of the total number of the members of such commttee."

सारे बोर्ड के सभी मेम्बर्स बैठ कर यह विचार करते हैं कि हमारी अपनी किन कमेटियों में छोटी छोटी जो हमारी कमेटीज बनी हुई हैं उन कमेटियों में किन लोगों को उनका ज्ञान हासिल करने के लिए उनकी नामजदगी कर सकते हैं, उनको अपॉइन्ट कर सकते हैं। अक्सर यह होता रहा है कि बोर्ड से जिन लोगों को नामजद करते हैं, व्यवहार में यह देखा गया है कि या तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारी तहसीलों में या हमारे यहां पर रहने वाले जो सरकारी नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इन्जीनियर्स होते हैं, उनको करते हैं। अब मुझे मालूम हुआ राजस्थान की हालत को देखते हुए और इस क्लॉज ६७ को देखते हुए कि इसका यह पर्पज है कि जिन म्युनिसिपेलिटियों में जो मेम्बर्स आते हैं वे मेम्बर्स एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, कई एक मामलों में उनको इन बातों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनके विशेष ज्ञान का लाभ उठाने के लिए हम उनको नामजद करते हैं।

जो नसीराबाद से आये हुए माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। सवाल यह है कि जो लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वे जिस कमेटी में आते हैं, उनकी राय जानते हैं। एक डॉक्टर आता है और वह सेनीटेशन पॉइन्ट ऑफ व्यू की बात बतलाता है और मकान के बनाने में उसकी इन बातों का ध्यान रखते हैं। आखिर जो एक्सपर्ट्स आते हैं वे अपनी राय देते हैं, वे अपने सुझाव देते हैं। जो उन्होंने ज्ञान हासिल किया है, जो इल्म हासिल किया है, उसके कुछ फैक्ट्स, उसके सिद्धान्त को कुछ मोटी २ बातें बतलाते हैं। मेम्बर्स का यह काम होता है कि उन बातों को जान कर अपनी राय के अनुसार वोट देने का अधिकार हो और अपनी राय के अनुसार काम करें। अगर एक्सपर्ट को कमेटी कुछ बातों की जानकारी के लिए बुलाती है, यही इसका मकसद है,

१ म० प०

और हर बोर्ड की बैठक के बारे में आप कहने लगें और बड़े जोर से चोर और उचक्के और न जाने किन किन बातों के उदाहरण दें। वहां न तो चोर उचक्के का सवाल है,

(श्री मूलचन्द डागा)

सवाल यह यह है कि बोर्ड निर्णय करता है, पब्लिक वर्क्स कमेटी में, सेनीटेशन कमेटी में, टाउन इम्प्रूवमेंट कमेटी में, फाइनेन्स कमेटी में वे किन्हीं लोगों की मदद लेना चाहें, रूल्स फ्रेमिंग कमेटी में मदद लेना चाहें और कमेटी में माननीय सदस्य किसी को बुलाना चाहते हैं, नाम दर्ज करना चाहते हैं ताकि वे अपनी राय दे सकें, यह सवाल इसमें है : यह जो क्लॉज़ है, इस क्लॉज़ में जो अमेंडमेंट किया है नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने वह इस बात का किया है, उसमें लिखा है : 'that the persons shall not have a right to vote......' उन लोगों का केवल यह काम है कि किसी बात पर उनकी राय पूछते हैं तो जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया है, उस आधार पर वे राय दे देते हैं अब मेम्बरों का काम यह रह जाता है कि उस राय को मानें या न मानें जो आपको एक्सपर्ट राय देता है किसी मामले पर, उसे मानने या न मानने का काम आपका है। आपका कहना है कि उनकी कीमत क्या हैं, कीमत यह है कि उनको बुला कर किसी बात की जानकारी की है। मैं जानकारी के लिए कहूँ कि अगर एक्सपर्ट इतना होशियार है कि उसकी जानकारी देने के पहले मेम्बर्स कोई गलत डिसीजन दे रहे थे, तो वह मेम्बर्स के सोचने की भूमिका, पृष्ठ भूमिका बनानेवाला है। और जो क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन को हटाने की बात है, मैं समझता हूं इसे बिल्कुल हटा देना चाहिए और जो अवेलेबल हो उसकी राय ली जानी चाहिए। राजस्थान में कितने एक्सपर्ट आपको मिल जायेंगे, जो आपकी पंचायतें होंगी आठ हजार की आबादी पर, ऐसी जगहों पर जो पंचायतें काम करना चाहती हैं तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि उन पंचायतों को वहां पर अच्छे डॉक्टर मिल जायेंगे, वहां पर इन्जीनियर मिल जायेंगे या वहां बहुत बड़े एक्सपर्ट उपलब्ध होंगे ? मैं समझता हूं कि वहां बहुत कम एक्सपर्ट होते हैं, वहां उपलब्ध नहीं होते हैं इसलिए क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल नहीं रहता। हम जानते हैं कि जो एक्सपर्ट होते हैं वे सरकारी अधिकारी होते हैं और सरकारी अधिकारी वे हो सकते हैं जो क्वालिफाइड हों, वे डिस्क्वालिफाइड होते नहीं हैं। वे केवल अपनी राय देने के लिए, जनता के लाभ के लिए और लोगों की सुविधा के लिए आते हैं, इसलिए इसमें जो क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न है उसको हटा देना चाहिए और उनको वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए, यह इस अमेंडमेंट में है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव क्लॉज़ ६७ पर उपस्थित हुए हैं, उनमें से फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य, ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष, उन उप-समितियों में किन किन को लिया जाय, कितने सदस्य लिये जांय, उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहे और क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है और जो दूसरी चीजें हैं वे इन पर लागू हों या न हों, यह सोचने की बात है। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे। जो १० हजार आबादी की म्युनिसिपेलिटी है, उसको अगर यह देखना है कि एक गली में पाइप लाइन लगाने में कितना खर्चा होनेवाला है,

(डॉ० बहादुरसिंह)

तो यह एक साधारण सी बात है। जो ठेकेदार उस गांव में रहता है वह अच्छी तरह राय दे सकता है, अच्छी तरह बता सकता है। यह कोई बड़ी बड़ी प्लानिंग की बात नहीं है, जिनमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती हो। दूसरी बात डॉक्टर के बारे में कहीं गई। हर एक व्यक्ति जानता है कि कोई बीमारी फैले तो उसको किस प्रकार से रोकने की व्यवस्था की जाय। उसके लिए सरकार स्वयं व्यवस्था करती है, फिर एक्सपर्ट की राय लेने की क्या जरूरत खड़ी होती है? अब यह सवाल आता है कि कितने सदस्य रखे जांय, और समितियों में पब्लिक के लोग, जनतन्त्रीय संस्थाओं के लोग, किस प्रकार के लोग रखे जांय, यह सवाल है। हमारी विधान सभा में भी समय समय पर उपसमितियां घटित करते हैं और उनमें एडवोकेट जनरल और अन्य व्यक्तियों की राय ली जाती है लेकिन उनको वोट का राइट नहीं दिया जाता,. वे अपनी ओपिनियन दे देते हैं और यह उन सदस्यों का नैतिक कर्तव्य है कि वे उस बात पर विचार करें। लेकिन उस राय को मानें या न मानें, यह सदस्यों की इच्छा पर निर्भर है। वे इससे बाउन्ड नहीं हैं कि उनकी राय मानी जाय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो संशोधन फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सदस्यों की संख्या पर विचार करने में आप मान लीजिये कि तीन सदस्यों की कमेटी है, वहां एक रखेंगे तो उनका पर्पज सर्व हो जायगा, लेकिन जहां पांच सदस्य रखे गये हैं वहां दो हो जाते हैं........

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप स्वायत्त शासन मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट मैं स्वीकार कर चुका हूं, मैंने निवेदन कर दिया है।

डॉ० बहादुरसिंह : तो ठीक है, मेरा पर्पज़ सर्व हो गया।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दीजिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, धारा ६७ में जो अमेंडमेंट है, एक अमेंडमेंट फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य का है, जिसमें उन्होंने यह कहा है : "In clause 67 sub-clause (I) substitute the word '1/3rd' in place of the word '1/5th' in the last line but one." इसको मैंने स्वीकार कर लिया है। ......

श्री अध्यक्ष : Inplace of 1/2.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दूसरा अमेंडमेंट है: 'Delete sub-clause 2.' इस पर बहस करते हुए उन्होंने कहा है कि जो मेम्बर्स की डिस्क्वालिफिकेशन है वह नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट हो सकते हैं जो म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर बनने के लिए क्वालिफाइड न हों, लेकिन उन्हें कमेटी में लाना जरूरी होगा। मैं निवेदन करूंगा कि सब-क्लॉज़ २ को उन्होंने पढ़ कर, ध्यान से देख कर यह अमेंडमेंट मूव नहीं किया है। सब-क्लॉज़ २ है : 'All the provisions of this Act relating to the duties, powers, liabilities, disqualifications and disabilities of members shall be applicable, so far as may be, to such persons.' इस क्लॉज़ को हटा देने का मतलब यह होगा कि उनकी कोई ड्यूटी नहीं रहेगी, उनकी पावर्स कितनी होगी, क्या होगी, वह उसमें नहीं रहेगी, उनकी लाइबेलिटीज क्या होगी

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

जिम्मेदारी क्या होगी, कोई गलत काम कर देता है तो क्या होगा, यह सब बात नहीं हो सकेगी। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को लेकर माननीय सदस्य ने बहस की है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ डिसएबिलिटीज़, डिस्क्वालिफिकेशन से डील-विद् नहीं करता है। जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि डिस्क्वालिफिकेशन धारा २३ में लिखी हुई है, धारा २३ इस प्रकार है कि चाहे कोई व्यक्ति सज़ा पाया हुआ हो, चाहे उसको सर्विस से डिसमिस किया हुआ हो, चाहे वकील होते हुए कॉम्पीटेन्ट ऑथॉरिटी ने हटा दिया हो तो भी वह व्यक्ति वोट का अधिकारी हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे व्यक्ति को किसी कमेटी में रखना उचित नहीं होगा। डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज़ है..

श्री पी० के० चौधरी : और डिस्क्वालिफिकेशन पड़ी हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके अलावा उन्होंने फर्माया कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज़ रख कर बहुत से ऐसे व्यक्तियों को अन्दर लाना चाहते हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि आप क्लॉज़ ६७ को पढ़ें, उसमें साफ लिखा हुआ है उसमें वे व्यक्ति आये हैं जिनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी। स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या हो, क्या न हो, इसके बारे में हम यह कानून बनाते वक्त नहीं कह सकते कि ये ये क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिये क्योंकि आखिर म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपल कौंसिल एक जिम्मेदार संस्था होगी, इसलिए हमें ऐसा मान कर चलना चाहिए कि वह सोच समझ कर काम करेगी, उनके जिम्मे बहुत बड़े बड़े काम हैं। जिनको हम बहुत विचार करके उनके सुपुर्द करते हैं। इसलिए ऐसे छोटे मामलों को लेकर कानून में नहीं कह सकते, ऐसा प्रावधान नहीं रखा जा सकता कि अमुक क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, इसलिए हमें यह छूट देनी चाहिए कि कमेटी के सामने जिस क्वालिफिकेशन के लोग उपलब्ध हों, वे आ सकेंगे। दूसरा इसमें अमेंडमेंट नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने किया है, वह है : Provided that the person so appointed shall not have a right to vote. मेरा निवेदन यह है कि पूरे मेम्बर के अधिकार और क्वालिफिकेशन सब रखते हैं तो यह अच्छा नहीं रहेगा कि उनको वोट देने का अधिकार न दें। अगर ऐसा कर दें तो जो कमेटियों में आयेंगे और अगर वे देखते हैं कि उनकी बात नहीं मानी जायगी तो वे दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे। सब-क्लॉज़ २ में रखा है उसमें सरकारी अधिकारी नहीं आ सकेंगे लेकिन सरकारी अधिकारी नहीं आते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर हो सकते हैं, प्राइवेट इन्जीनियर हो सकते हैं रिटायर्ड इन्जीनियर्स हो सकते हैं, जो इसमें आये हैं, उनकी सेवायें उपलब्ध हो सकती हैं और उनकी दिलचस्पी बनी रहे इसलिए इसमें यह हक दिया गया है कि वे मत भी दे सकेंगे। इन कारणों से ये दोनों अमेंडमेंट पहले का दूसरा हिस्सा और दूसरा अमेंडमेंट, मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इन संशोधनों को वापिस ले लें।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जबाब दिया है कि सब-क्लॉज़ '२' के मेरे अमेंडमेंट के बारे में, वह कुछ डिसएपोइन्टिंग है।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

यह चाहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशनवाले मेम्बर्स भी काउन्ट कर लिये जाय?

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir.

श्री अध्यक्ष : इसको हटाने पर यही इफेक्ट होगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जेल गया हुआ, डिसमिस हुआ, सभी हो जाय, बहस यही हुई है, डिस्एबिलिटी है वह हटा दी जाय।

श्री पी० के० चौधरी : मेरी मन्शा यह नहीं जो पावर्स ऑफ ड्यूटी हैं वे जरूर डिफाइन करायें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : How are you disappointed about this. It can be......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is a general clause which empowers the duties normally exercised by a member......

श्री अध्यक्ष : Without this they will have no power......

श्री पी० के० चौधरी : My submission is that there are precedent that even a modified amendment can be placed before this House.

श्री अध्यक्ष : Today we have a plenty of discussions on it......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इलियस मोहम्मद को चाहते हैं कमेटी में।

श्री पी० के० चौधरी : इलियए मोहम्मद नहीं है........About these disqualifications, Sir, in Clause 24 which the Hon'ble Minister has refused......उन्होंने सिर्फ इम्प्रिज़नमेंट का बात किया है पर........I draw your attention to sub-clause 5, 8 and 12 of clause 24......

क्लॉज ५ में रखा है :

'Who holds any place of profit in the gift or disposal of the board or...'

क्लॉज ८ में रखा है :

'Who holds a salaried or honorary or part time appointment under the Central or a State Government or a local authority, or...'

क्लॉज १२ में रखा है :

'Who, save as hereinafter provided, has directly or indirectly, by himself or his partner, employer or employee, any share or interest in any work done by order of such board, or in any contract or employment with or under or by or on behalf of such board, or' यह जो ३ डिस्क्वालिफिकेशन्स हैं, अध्यक्ष महोदय, यह जो कमेटी बनायेंगे उसमें स्पेशली हमने कहा है : 'disqualifications and disabilities of members shall be applicable.........' यह डिस्क्वालिफिकेशन हट जायगी तो भी दिक्कत होगी।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जो अधिकार म्युनिसिपेलिटीज़ के मेम्बर्स को नहीं देने जा रहे हैं वह कोऑप्टेड मेम्बर्स को नहीं दे सकते। कोऑप्टेड मेम्बर्स को ज्यादा नहीं दे सकते।

श्री पी० के० चौधरी : कोऑप्टेड

Page No.52

(श्री पी० के० चौधरी)

मेम्बर्स को नहीं दे रहे हैं, मंत्री महोदय ने समझा नहीं है :

My intention is that in such Committee the experts' opinion shall be taken from the Engineers, Doctors and Lawyers who are expert in it. Most of the main Doctors if he is a first-aid-doctor, he might be holding some Honorary job in the Board. If he is an engineer he might have an interest in some contracts. According to him, as I can visualise we can only utilise the experience and experts' advise of such persons and not of a lay man. Our intention is not to include the lay-man or any other such person. Most of the experts are residing outside Municipal area. Out side municipality is not doing anything except some construction work or public health work and the advise of such people will be necessary. According to sub-clause 5, 8 and 12 of clause 24 such persons will be debarred from becoming members of such committees. As in the arguments put forth by the Hon'ble Minister whether people like Mohd. Illias should be put on the Committee, I think, either we have no confidence in the propriety of the committee, the Municipal Board, that in the name of the experts they will take some favourities.

श्री अध्यक्ष : I will request the Hon'ble member not to take so much time if he is to withdraw, he should withdraw. Please convince them. But I think you are yourself not convinced.

श्री पी० के० चौधरी : I am quite convinced, Sir.

श्री अध्यक्ष : Please come to the point.

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज़ ६७, सब-क्लॉज़ (१) में रखा है :

'Substitute the words 'one-third' in place of the words 'one-fifth' in the last but one line.' इसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

संशोधित क्लॉज ६७, सब-क्लॉज (१) विधेयक का अंग रूप स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी ने जो दूसरा संशोधन प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री ज्वाला-

(श्री अध्यक्ष)

प्रसाद ने जो संशोधन रखा है उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ६७ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

(विराम)

संशोधित धारा ६७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

We now come back to class 66.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय इसमें संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज ६६ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ :

'(1) In sub-clause (1) substitute sub-sections (2A) and (4) for sub-section (4).

(2) After sub-clause (2) insert the following new sub-clause:—

(2A) In addition to the execution Committee, every Council also constitute the following committees, each constiting subject to the provisions of section 67, of such number of mambers not exceeding seven, as the Council may determine, namely :

(i) a finance committee,

(ii) a health and sanitation committee,

(iii) a buildings and works committee,

(iv) a rules and Bye-laws Committes, and

(v) a public conveyances committee.

3. In sub clause (3)

(a) Insert and the committees mentioned in sub-section.

(2A) after executive committee and

(b) Substitute 'to them' for 'to it'. Second amendment is–

in sub-cluase (4) substitute '71' for '70'.

श्री अध्यक्ष : एक और है आपका २२४। इन सब-क्लॉज (1), लाईन...

In sub-clause (1) line 1, substitute 'council' for board.'

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This need not be put. I don't want to move it.

श्री अध्यक्ष : Has it been covered ? Please make sure first, Please make sure. हां, तो मूव कर दीजिये।

(विराम)

Yes, taken as moved.

श्री ज्वालाप्रसाद।

Page No.54

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एमेन्डमेंट मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीमानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करता हूं :

"(1) Insert the words 'on the basis of proportional representation by method of a single transferable vote' between the words 'Council' and 'and' at the end of the part (iii) of sub-clause (1)."

"(2) Insert the words 'on the basis of proportional representation by means of a single transferable vote' between the words 'committees' and 'for' occuring in line one and two of sub-clause (4)."

(3) "In part (iii) of sub clause (1) insert between the words "elected and by" the words "from amongst its members in accordance with the principle of proportional representation by means of a single transferable vote."

"(4) In sub-clause (4) insert the following between 'committees' and 'for':- "of its members elected in accordarce with the priciple of proportional representation by means of a single transferable vote."

खण्ड ६६के अन्तर्गत कुछ कमेटियां बनाने का तय किया है और पहले तो एक एक्ज़ीक्युटिव कमेटी थी, अब तो कानून की मंशा है कि ५ कमेटियां बनाना तय कर दिया है जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन पेश किया है, उससे प्रतीत होता है। जहां तक म्युनिसिपेलिटीज के काम होते हैं अधिकांश एक्जीक्युटिव काम ही होते हैं और इसमें हमने यहां तक अधिकार देने का प्रयत्न किया है कि ऐसे सदस्य भी लिए जा सकते हैं जो चुनावों में नहीं आ सकें और उनकी सेवाओं की जरूरत है। उनकी सेवाओं की जरूरत चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे उनके एफिशियेन्ट होने के कारण से हो या उनको अनुभव होने से हो, उनको सदस्य बनाने का हमने प्रावधान किया है। लेकिन जिस तरह से आपने यह चुनावों का तरीका रखा है उससे यह साफ है कि आप विरोधी दल का बिल्कुल सफाया करना चाहते हैं। आपकी किसी भी प्रकार से यह मंशा नहीं है कि विरोधी दल के सदस्य भी इसमें आ सकें। आपने जिस प्रकार खण्ड ६७ में प्रावधान किया है कि आधे से ज्यादा सदस्यों द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो मेम्बर नहीं हो मगर स्पेशल क्वालिफिकेशन रखता हो, उसको आप बैक-डोर से ला सकते हैं। आपने रखे हैं '7 councillers of the council elected by the council.' कौन्सिल में जितने सदस्य हैं उन्होंने बहुमत से चुन लिया। बहुमत तो हमेशा अपने ही सदस्यों को चुनेगा। क्योंकि आज हमारे देश में इतनी उदारता नहीं आई है या हमारा देश इतना उदार नहीं

Page No.55

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हो गया है कि काम ठीक ढंग से होना चाहिये; इसलिए विरोधी पक्ष के सदस्य को चुना जावे। आज कोई भी देश ऐसा नजर नहीं आता जो ऐसा करता हो। आज हम सभी जगह यहां देखते हैं कि विरोधी दल का सफाया हो जावे। आज हमको इस बात का अभाव ही नज़र आता है। आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि किसी तरह से विरोधी दल का सदस्य न आवे आज डेमाक्रेसी में मेजोरिटी वोट पर ही डेमोक्रेसी चलती है। म्युनिसिपेलिटी में सिंगल कॉन्स्टीट्युन्सी होती है। वहां पर मेजोरिटी होनी चाहिए। यदि एक की भी मेजोरिटी है, तो उनका बहुमत है और उन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुनने की कोशिश की है। इस प्रकार का माननीय मंत्री महोदय ने प्रावधान किया है। विधान सभा में भी कमेटियों का चुनाव होता है। प्रवर समिति, जनलेखा समिति आदि का। यदि यहां पर भी इसी प्रकार के नियमों को लागू किया जावे तो सभी दलों के सदस्य नहीं आ सकते। लेकिन यहां पर इस बात का प्रयास किया जाता है कि सभी दलों के लोग आवें। जिस प्रकार सिंगल ट्रान्सफर वोट को लागू किया। हमारे दल के हम ११ व्यक्ति हैं, फिर भी हमारे दो सदस्य चुनाव में जीत कर आये हैं। यदि माननीय मन्त्री महोदय के हाथ की बात होती तो एक भी नहीं आ सकता था। सभी दलों के लोग आने चाहिये और उनकी राय ली जावे और अपने विचार प्रकट करें तो जनता के हित के लिये ज्यादा अच्छा होगा। चेयरमैन बहुमत का होगा। कमेटी काम करेगी। अगर उसने खराब काम किया है तो विरोधी दल के लोग उनको बतावेंगे। जब बहुमत उनका होगा; चेयरमैन उनका होगा, बहुमत उसी दल का आवेगा जिसका चेयरमैन होगा। उसके अलावा आप जो दूसरे सदस्य लेंगे वे सरकारी दल के समर्थक ही होंगे। दो या तीन जितने भी होंगे उनको लेने के बाद में आपको किसी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिये कि विरोधी दल का बहुमत हो जावेगा। आम तौर से आप लेंगे तो एक या दो विरोधी दल का सदस्य आवेगा।

१. २५. म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो अपने दल के विचारों को आपके सामने रखेगा।

एक माननीय सदस्य : परेशानी होगी।

एक माननीय सदस्य : बोर्ड में भी मत आने दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपका बहुमत भी आ गया और सरकारी दल के विश्वासपात्र नहीं आये और सरकार को उन्होंने धोखा दे दिया फिर भी कमेटी का काम फाइनल होने के लिये बोर्ड के सामने जावेगा। अगर आपकी मेजोरिटी बोर्ड में नहीं रहेगी तो चेयरमैन नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कमेटी पर भी बोर्ड है। अगर बोर्ड चाहे तो कमेटी के सब काम को रद्द कर सकता है। तो जब हम विरोधी दल के सदस्यों को नहीं आने देना चाहते हैं तो या तो हमें यह कहना चाहिये कि प्रगतिशील का जो हम नारा लगाते हैं, पंचशील का नारा लगाते हैं और उसके आधार पर म्युनिसिपेल्टीज़ का चुनाव कराने के लिये तैयार होते हैं, तो इस हालत में क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारा प्रजातन्त्र सफल होगा। स्मॉलेस्ट युनिट म्युनिसिपेलिटीज़ के हैं, उसमें भी आप यह नहीं चाहते कि विरोधी दल की आवाज हो

Page No.56

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

और उनकी बात ठीक ढंग से रखी जावे। इतना भी आप नहीं चाहते तो आपको वर्तमान ढंग को बदल देना चाहिये और ऐसा विधान बना लें जिसमें जिस प्रकार आपकी मर्जी हो उसी तरह से रूल करना शुरू करें। अगर आप यह चाहते हैं कि प्रजातन्त्र फले और पंचशीलता का नारा लगाते हैं तो रूस और चीन में माननीय मंत्री महोदय ने जाकर बड़े अच्छे भाषण दिये हैं।

प्रजातन्त्र की भावना में विरोधी दल को बहुत अधिकार हैं, उनको हम क्रश (crush) करें। चीन में भी उसके उदाहरण मिलेंगे। तो हमें अपने देश में अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो क्या व्यवस्था हो सकती है? छोटे-छोटे गांवों में विरोध....

एक माननीय सदस्य : ८ हजार से ऊपर....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप अमेन्डमेन्ट लाने में तो बहुत होशियार हैं। तो शहर हैं, कस्बे हैं, म्युनिसिपल कौन्सिल्स हैं, लोगों को यह भावना देना है कि विरोधी दल के आदमियों को वोट न दें। वे कमेटी के सदस्य नहीं बन सकते। बोर्ड में एक महीने में जनरल मीटिंग होगी। लेकिन वहां पर माननीय सदस्य को जाना पड़ेगा ५ या १० दफे। तो इससे यह होगा कि विरोधी दल को वोट मत दो। मगर यह मान लेना चाहिये कि कांग्रेस की यह बपौती नहीं है। सारे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस हो गई है मगर कई स्थानों पर अपने कारनामों के कारण हार रही है। अच्छे-अच्छे स्थानों पर हार रही है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: Point of order Sir, How this is relevant?

श्री उपाध्यक्ष : I thought it is not relevant. The Hon'ble Member will come to the question.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरा यह कहना है कि सभी म्युनिसिपेलिटीज़ में आपका बहुमत है। किसी स्थान पर अल्पमत भी आ सकता है। किसी स्थान पर किसी का बहुमत आ रहा है अगर इस प्रकार की स्थिति आई तो वहां पर उस विरोधी दल की क्या स्थिति होगी, जब दूसरे दलों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? जिस समय दूसरे दलों का बहुमत होगा उस समय वही व्यवहार होगा जिस तरह उनका दल दूसरे दलों के साथ कर रहा है।

वहां पर उन लोगों को भी नहीं लिया जायगा। ५, ७ सदस्य चुन कर आ सकेंगे, वे बैठे रहेंगे, उनकी राय बोर्ड के प्रशासन में, व्यवहार में नहीं आ सकेगी, वे राय भी नहीं दे सकेंगे। कमेटीज का निर्णय बोर्ड में आवेगा तो मीटिंग को किसी ने अपील की तो उस पर 'हां' या 'ना' के पक्ष के वोट लेकर उसको खत्म कर दिया जावेगा। विरोधी दल सब ही जगह नहीं है किन्तु बहुत सी म्युनिसिपेलिटियां में सत्ताधारी दल भी है। इस प्रकार आपसी संघर्ष दोनों दलों में होंगे। हमारे देश में हम प्रजातन्त्र की भावना को नीचे से लाना चाहते हैं वह तो नीचे से ही कटना शुरू हो जावेगी। प्रजातन्त्र हमारे देश में इस प्रकार से समाप्त हो जायगा। लोगों की प्रजातन्त्र के विरुद्ध भावना उठ खड़ी होगी और इस देश में अशान्ति हो जावेगी और उसका परिणाम क्या हो सकता है इसकी कल्पना सब ही कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में देश के विधान के अनुसार विधान सभाओं और पार्लियामेंट में भी चुनाव होते हैं, हमने एक व्यवस्था को अपनाया है इसलिए कि सब ही को ठीक ढंग से

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

प्रतिनिधित्व दे सकें, ठीक ढंग से सब हं, की आवाज को सुन सकें, करना नहीं करना तो यह बहुमत के ऊपर है और यह प्रजातन्त्र का उसूल है। कम से कम आवाज तो सुनें। यदि आवाज को सुनने से ही इन्कार करते हैं तो म्युनिसिपिल कमेटीज़ के चुनावों के वक्त हर स्थान पर आन्दोलन होंगे, झगड़े होंगे और फिर मन्त्री महोदय को मजबूर होकर मैंने जो संशोधन रखे हैं, वे ही लाने पड़ेंगे। इसलिए जो अमेन्डमेन्ट मैंने प्रस्तुत किये हैं उनको मंजूर करें और जो आप सह-अस्तित्व का सहिष्णुता का नारा लगाते हैं वे यह बतावें कि हम नारा ही नहीं लगाते हैं किन्तु उसको व्यवहार में भी लाते हैं और वे यह प्रमाणित करें।

श्री उपाध्यक्ष : There are no other amendments. मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : श्री श्रीमानसिंह जी के अमेन्डमेन्ट्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : He has not moved.

श्री श्रीमानसिंह : I thought that...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : You were called upon, but you were out.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Member-in-charge of the Bill.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : I am speaking, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : On what?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : समर्थन। में

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६६ में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखे हैं। वे प्रस्ताव देखने मे शायद बहुत सरल एवं बिना किसी महत्व के दिखाई देते हों, लेकिन यदि माननीय मन्त्री महोदय उनकी गहराई में जावें और मैं तो यह कहूँगा कि यदि बिना गहराई में जाये हुए उन्होंने संशोधन प्रस्तावों को अस्वीकार किया तो संशोधन प्रस्तावों के अस्वीकार करने की घटना इतिहास में दूसरी घटना होगी। एक घटना तो मोहम्मद तुगलक के जमाने में हुई थी, जब राजधानी बदली थी। एक गलती मोहम्मद तुगलक ने की राजधानी बदल कर और दूसरी गलती करेंगे मन्त्री महोदय इन संशोधन प्रस्तावों को अस्वीकार करके।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : या आप करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : इससे सारे देश के इतिहास में घटना हो जायगी?

(हंसी)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह आत्मा कहां है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वही बोल रहा हूँ।

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं उनके द्वारा यह व्यवस्था चाही गई है कि नगरपालिका द्वारा जिन कमेटियों का निर्माण होगा, उनके साथ साथ कौंसिल्स होंगी। जहां ५० हजार से ऊपर आबादी वाली नगरपालिका का निर्माण होगा, वहां पर नगरपालिका द्वारा चुनी हुई कौंसिल होगी और उसकी एग्ज़ीक्युटिव कमेटी बनाई जावेगी और उसमें प्रधान, उपप्रधान और नगरपालिका द्वारा चुने हुए सात सदस्य होंगे। माननीय उपाध्यक्ष, ये ७ सदस्य कौन से होंगे ? हम एग्ज़ीक्युटिव कमेटी बनाना चाहते हैं, शहर की सफाई के इन्तजाम के लिए, बोर्ड के प्रशासन के लिए, बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर शासन चलाने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, ये इतनी इम्पोर्टेन्ट कमेटीज़ हैं और मैं समझता हूँ कि उन सारी कमेटीज़ के गठन के बारे में एक महत्वपूर्ण मसला है। यह बात ठीक है, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारा बहुमत है और हम बहुमत के आधार पर ही राज्य का या म्युनिसिपल कमेटीज़ का शासन चलायेंगे। बहुमत की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिये। बहुमत अल्पमत की कद्र करना सीखे और यदि नहीं सीखेगा तो जनतन्त्र पनप नहीं सकता। डेमोक्रेसी का मूलभूत सिद्धान्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि जहां तक रीज़नल प्रपोरशन का प्रश्न खड़ा हो सकता है यह बात तो समझ में आ सकती है कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन को कॉन्फिडेस में ले, विरोधी दल की हर एक बात पर शायद मतभेद हो सकता है उन सबके बावजूद भी जहां देश की प्रगति का सवाल आता है, उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल को कॉन्फिडेन्स में लेना चाहिये। सन् १६४७ से लेकर आज १६५८ तक डेमोक्रेसी के मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना करने के कारण ही उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हमारे देश में आज जनतन्त्र नहीं पनप पा रहा है और हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा है, हमारी प्लॉनिंग्स पूरी नहीं हो पा रही हैं और यही कारण है कि देश की चोटी का नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी यह वक्तव्य देना पड़ा और वे बार बार कह रहे हैं कि देश की प्लॉनिंग को पूरा करने के लिए विरोधी दलों को कॉन्फिडेन्स में लेना चाहिये। आज कांग्रेस पार्टी के चोटी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हमें प्लॉनिंग की प्रगति के लिए विरोधी दलों से कोई मतभेद नहीं है, वे प्लॉनिंग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के डेवलपमेन्ट को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं, वहां नगरपालिकाओं की कौंसिल्स में विरोधी दल को कॉन्फिडेन्स में न लेना और इस प्रकार की व्यवस्था रखना चाहते हैं और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारा बहुमत है और इसीलिए हम बहुमत के ऊपर ही शासन चलावेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल बहुमत के आधार पर शहर की सफाई नहीं करा सकते हैं। जहां नगरपालिका के एरिया में उनको बहुमत का जोम है, शहर की सफाई नहीं करा सकते। जहां शहर की सफाई का सवाल पैदा होगा तो जनसंघ के सदस्य तो झाड़ू लेकर झाड़ेंगे और क्या कांग्रेसवाले कहेंगे कि हम सेविंग्स ब्रुश से झाड़ू लगावें। हम कहेंगे कि लाइट रहनी चाहिये, वे कहेंगे कि लाइट नहीं चाहिये, दिया जलाओ। शहर की सफाई के लिए कौनसा उनमें मतभेद होने वाला है। शहर की सफाई हो, लाइट का अच्छा इन्तजाम हो,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रोशनी की पूरी व्यवस्था हो, इस सारी व्यवस्था के लिए आपका और हमारा एक ही उद्देश्य है। केवल विचार करने का दृष्टिकोण गलत है। एक नजरिया बन जाता है, और उस नजरिया से हर चीज को देखना शुरू करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान करने जा रहे हैं कि नगरपालिकाओं का नया संगठन हो, नये ढांचे से नगरपालिकाओं का निर्माण करने जा रहे हैं। ८ हजार से नीचे की आबादी वाली नगरपालिकाओं का मुंडन कर दिया है। ८ हजार से ऊपर की आबादी पर ही नगरपालिका बनेगी।

इन नगरों में कई जगह हो सकता है कांग्रेस का बहुमत हो, कहीं जनसंघ का हो और कहीं विरोधी दल का बहुमत हो। ऐसी हालत में जब हम जनतंत्र के अनुकूल आचरण करना चाहते हैं जहां पर हम जनतन्त्र प्रणाली के अनुसार व्यवस्था करना चाहते हैं वहां हमें सब अनुपात के सिद्धान्त से मुंह नहीं फेरना चाहिये। जहां सात सदस्यों को चुनना है वहां हमें यह ध्यान में रखना चाहिये जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने फर्माया कि हमें कुछ कनवेन्शन निर्माण करने चाहिये परम्पराओं के आधार पर आपसी वातावरण से ऐसी स्थिति निर्माण करनी चाहिये, हमें स्टेटूटरी प्रोविज़न नहीं करना चाहिये। नगरपालिकाओं में जिस दल का बहुमत होगा वे अल्पमत की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कमेटियों का निर्माण करेंगे। जहां तक इस प्रकार की बातें कह देना आसान है वहां पर कार्य रूप में इसको परिणित होते देखना मुश्किल है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जयपुर नगरपालिका का ही उदाहरण ले लीजिये। यहां ६ कमेटियों का निर्माण किया गया जिनमें २२ तो कांग्रेस दल के लिये गये और १८ विरोधी दल के लोग लिये गये। चाहिये तो यह था कि पांच कनवीनर तो कांग्रेस दल के होते और चार कनवीनर अपोजीशन ग्रुप के होते। और चाहिये तो यह भी था कि फाइनेन्सेज़ कन्ट्रोल करने के लिये जो कमेटी का निर्माण किया गया उसके ११ सदस्य थे उनमें से ६ सदस्य तो कांग्रेसी पार्टी के थे और अन्य पांच सदस्य विरोधी दल के.... ...

श्री उपाध्यक्ष : How is it relevant to the debate Hon. Member ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is most relevant.

श्री उपाध्यक्ष : I do not allow that it is relevant.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल रिलेवेन्ट है जब तक उदाहरण नहीं दिये जायेंगे उनकी समझ में किस प्रकार से आवेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is most relevant. Without giving instances how can the Hon. Minister be made to understand ? जिस प्रकार का उनका समझने का स्टेन्डर्ड है उसी प्रकार से तो हमें समझाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : So far as the principles are concerned, it is alright, but now coming to the individuality of organisations, I will not allow it.

श्री पूनमचंद बिश्नोई : हमने अच्छी

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

तरह समझा है । जो बातें मैंने कही उनको ही आप दोहरा रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में माननीय मंत्री महोदय से यह तय हुआ था कि नोमिनेटेड जो मेम्बर्स होंगे उनका अनुपात १।४ रखा जायगा । जब आप किसी बात को आपस में तय कर लेते हैं उसके बाद आप वन-थर्ड रख देते हैं तो वैसी हालत में आपके समझ में आने वाली बात नहीं है । हम से बातें आप कुछ करते हैं हमें कॉन्फीडेन्स में लेने की कोशिश करते हैं फिर जो कुछ तय होता है उससे आप मुकर जाते हैं........

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई बोलने के लिये खड़े होते है)

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : I am in possession of the House, Sir, youtake your seat.

श्री उपाध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि जो कुछ बातें उनके और माननीय मंत्री महोदय के बीच हुई, सदन से बाहर हुई उनका सम्बन्ध सदन से नहीं है । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन बातों को सदन में न लाया जाय । I am confident that they cannot be referred in the House.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर भी इस प्रकार की बातचीत हो सकती है जो सम्बन्धित विचारधारा के सम्बन्ध में हो उसका उल्लेख करना मैं समझता हूँ अनुचित नहीं होगा । माननीय मन्त्री महोदय अस्वीकार कर सकते हैं, वे इन्कार कर सकते हैं यह तो दूसरी बात है...

श्री उपाध्यक्ष : No, they cannot be referred in the House.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां सिद्धान्त का प्रश्न है, जहां कोई तरीका तय किया जाता है, प्रोपोरशनेट रिप्रेजेन्टेशन की बात मान ली जाती है और फिर उस बात से इन्कार हो जाते हैं तो यह आपस में अविश्वास पैदा करने वाली बात होती है । मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा जोर देना नहीं चाहता । मैंने इस बारे में केवल एक नगरपालिका का उदाहरण दिया था जहां पर इस प्रकार की ११ कमेटियों का निर्माण किया गया था, उसमें दो विरोधी सदस्यों की थी और अन्य ६ कांग्रेस के सदस्यों की थी । मेरा ऐसा मानना है कि अगर विरोधी दल के सदस्यों को उनके अनुपात से नहीं लिया गया तो ये कमेटियां प्रोपरली फंक्शन नहीं कर पायगी । यही कारण है कि इस प्रकार की कमेटियों का जहां निर्माण होता है वहां काम होता नहीं, काम चलता नहीं, रोशनी होती नहीं, सफाई होती नहीं है, शहर सड़ता रहता है, मलेरिया फैलता है और उसका नतीजा भुगताना पड़ता है वहां की जनता को । जहां जनता की भलाई का सवाल हो, शहर की सफाई का सवाल हो, वहां यदि प्रोपोरशनेट रिप्रेज़न्टेशन रख देते हैं तो उसमें नुकसान की कौनसी बात है ? मान लीजिये यहां की नगरपालिका है और वह सफाई के लिए कमेटी का निर्माण करने जा रही है वहां सदस्यों की संख्या आठ रखते हैं उनमें से पांच कांग्रेस के और तीन विरोधी दल के होते हैं तो उसमें फर्क क्या पड़ जाता है वह तो एक्जीक्युटिव कमेटी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, अमेरीका में जहां इस प्रकार की कौन्सिल का निर्माण करने का सवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आता है वहां पर अपोज़ीशन से एक व्यक्ति ज्यादा रखते हैं न्युमरीकल स्ट्रैंग्थ की दृष्टि से ताकि किसी समय वोट का मौका आये तो उसमें अपोज़ीशन जीत नहीं सकता। वहां न्युमरिकल नम्बर ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ एक नम्बर का फर्क रहता है ताकि अपोज़ीशन बेजा फायदा उठाने की कोशिश न कर सके। मान लीजिये आपने किसी कमेटी में सात सदस्यों को लिया; उसमें से आप दो विरोधी दल के लेते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, यदि वोट का सवाल खड़ा होता है तो वहां पांच और चार में कोई अन्तर नहीं रहता है। प्रश्न तो बहुमत के लोग हैं उनके दिमाग, उनके दृष्टिकोण और उनकी समस्याओं का हल करने का तरीका है, उसको सुधार करने का है, इसलिये नगरपालिकाओं में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। इस भावना के आधार पर सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, वह उचित है। अगर हम इस प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन नहीं मानते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि इसके जो नतीजे निकलेंगे वे भयंकर होंगे। जो बहुमत हैं वे तो बहुमत में रहेंगे लेकिन नुकसान जनता का होगा। ऐसी अवस्था में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो संशोधन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको स्वीकार करें इस सवाल को वे प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें, यह उनकी पार्टी का सवाल नहीं और न दलबन्दी का ही सवाल है। वे यह न सोचें कि उनकी पार्टी वाले लोग क्या कहेंगे, कई प्रकार की बातें भी हो सकती हैं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, this sort of appeal, putting an insinuation against a party on the floor of the House cannot be allowed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What do you mean 'insinuation'? Do you understand it?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Persuading the minister......

श्री अध्यक्ष : Yes, yes. I have heard the Hon'ble Member.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनसीन्युएशन के लिये अपील करना जरूरी था....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे गवर्नमेन्ट की हैसियत से बैठे हुए हैं, वे पार्टी वालों की बात मानेंगे या नहीं, यह बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member, Yes, yes, the Hon'ble. Member will continue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He is very much excited, Sir.

मैं निवेदन यह कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता से विचार करें, हमें राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं का नव निर्माण करना है इसमें राजस्थान की प्रगति का सवाल है, नगर और शहरों के विकास का प्रश्न है, इसके अलावा अल्पमत वाले जो लोग हैं उनका सहयोग किस प्रकार इन नगरपालिकाओं के विकास में मिल सके, यह भी मूलभूत सवाल है। नगरों के विकास का बेसिक सवाल अवश्य है, इसमें कहीं भी दलबन्दी नहीं हो सकती, इसमें दल में दल नहीं हो सकते।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसलिये नगरपालिकाओं का जहां तक सम्बन्ध है उसमें अल्पमत कांग्रेस पार्टी और अपोज़ीशन इस भावना को स्थान ही नहीं देना चाहिये। जिस प्रकार से सदस्यत का अनुपात हो उसी के आधार पर सदस्यों का कमेटीज़ के लिये चुनाव होना चाहिये, यदि ऐसा किया गया तो सही रूप से नगर के विकास और सफाई आदि का सुचारु रुप से प्रबन्ध हो सकता है। यदि इसी अनुपात से सहयोग लिया जाकर विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने लगें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ नगरों और नगरपालिकाओं का कार्य सुचारु रूप से चल सकता है। यदि इस प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया गया तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ जो कल्पना है, आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा लेकर चले हैं उन पर अवश्य तुषारपात होने वाला है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से पुरजोर निवेदन करूंगा कि वे सीकर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार कर लें। अगर किसी कारण से मन्त्री महोदय इसे अस्वीकार करते हैं तो वैसी हालत में मैं सदन से निवेदन करूंगा कि अपना मत देकर इस संशोधन को स्वीकार करायें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा ६६ के अन्तर्गत जो संशोधन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है–उन्होंने एक तो संशोधन रखा है, उप-धारा (१) के अन्तर्गत और दूसरा उप-धारा (४) के अन्तर्गत। मैं इन दोनों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। धारा एक में जहां पर शब्द 'सेवन' Seven councillers of the council elected by the council वे बढ़ाना चाहते हैं। प्रपोर्शनेट रिप्रजेन्टेशन के आधार पर सदस्य लिये जाने चाहिये और दूसरा यह संशोधन है कमेटियां या छोटी छोटी कौन्सिलें हों उसमें भी सदस्य प्रपोर्शनेट रिप्रजेन्टेशन के आधार पर लिये जांय। अब इसमें यह प्रश्न पैदा होता है कि जिस तरह की यह धारा रखी गई है उसी धारा के आधार पर सदस्यों को लिया जाता है तो उसी पार्टी के मेम्बर्स को लिया जायगा जो बहुमत रखती है, इस तरह से एक ही पार्टी के व्यक्ति आयेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम इस प्रकार का वातावरण नगरपालिकाओं और कौन्सिलों में कर देंगे तो इससे आपसी कटुता विरोधी दल से चुन कर आने वालों में और सरकारी दल से चुन कर आने वालों में बढ़ जावेगी। जो सहयोग की भावना दिखाई देनी चाहिये, वह नहीं दिखाई देगी।

नगर के विकास का प्रश्न पहला है, इसके बावजूद भी कि वहां आने वाली पार्टियां भिन्न भिन्न दलों के आधार पर चुनाव लड़ना और चुन कर आने के बाद नगरपालिकाओं में दलबन्दी रखना, दो भिन्न चीजें हैं। चुनाव लड़ते समय भिन्न-भिन्न व्यक्ति अपने दल के घोषणा-पत्र के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिये, पर चुन कर आने के बाद में जब विभिन्न दलों के व्यक्ति नगर-पालिका में इकट्ठे होते हैं तो उनका यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अपनी-अपनी पार्टी के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भी नगर के विकास के हित में एक होकर काम करें, सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को अपना कर चलें, उस वक्त दलबन्दी के विचार वे त्याग दें।

Page No.63

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसके लिये जरूरी यह है कि सब-कमेटियों के चुनाव वहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हों जिससे सभी को नगर की सेवा करने का समान अवसर मिल सके। फिर यह भी है कि पचास हजार या इससे अधिक की जन-संख्या वाली नगरपालिकाओं में दो या चार सदस्य चुन कर नहीं आने वाले हैं और इससे बहुमत में कोई अन्तर भी नहीं पड़ने वाला है। हां जो छोटी नगरपालिकाएं हैं जिसमें चार या पांच सदस्य मुश्किल से आते हैं वहां यह प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन न रक्खा जावे, यह थोड़ा समझ में आ सकता है।

पर जहां तक पचास साठ मेम्बर आने वाले हैं वहां बहुमत अगर आधे से कुछ कम आने वाले विरोधी पक्ष के सदस्यों का सहयोग नगर के विकास के हित में नहीं लेगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपस की कटुता बढ़ेगी, दलबन्दी की भावना बढ़ेगी और बहुमत अगर जनहित की भी योजना रखेगा तो वह पार नहीं पड़ेगी, उसमें विरोधी पक्ष के लोग अड़चन डालेंगे।

इसलिए जिस विचारधारा को लेकर यह प्रोविजन रखा जा रहा है उसको हमें गहराई से देखना होगा। उसके परिणामों को ठीक से आंकना होगा। दिल्ली में कॉर्पोरेशन है। वहां भी छोटी छोटी कमेटियों में प्रपोशनल रिप्रजेन्टेशन रखा है। यह कोई कह नहीं सकता कि जो बहुमत में चुन कर आये हैं, उनका जो दल है उसमें ही इतनी योग्यता, सामर्थ्य या ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, जो सब कमेटियों का काम चला सकते हैं और विरोधी या अल्पमत में जो व्यक्ति चुन कर आये हैं उनमें कोई व्यक्ति उन जैसी योग्यता, सामर्थ्य या ज्ञान वाला नहीं है। योग्यता, ज्ञान और सामर्थ्य बहुमत और अल्पमत के आधार पर नहीं आंके जा सकते। ऐसी स्थिति में चूंकि वे अल्पमत हैं उनकी योग्यता का लाभ न उठाना कोई अच्छी बात नहीं है।

आप ६७ वीं उप-धारा के अनुसार १।३ व्यक्ति योग्यता के आधार पर बाहर से ले सकते हैं तो फिर जो निर्वाचित होकर नगर-पालिका में आये हैं उनमें अगर कोई इस प्रकार की योग्यता वाला व्यक्ति है तो उसकी योग्यता का लाभ उठाने में आपको क्या आपत्ति है? बाहर से ले सकते हैं पर इन चुन कर आने-वालों में से आप क्यों नहीं ले सकते? आपकी भावना इससे स्पष्ट है कि जो आपके व्यक्ति हैं पर जिनका जनता ने निरादर कर दिया है, चुनाव में जिनको जनता ने नहीं चुना, ऐसे लोगों को बैक-डोर से लाया जावेगा इस धारा की तहत और १।३ ऐसे आदमी रख लिये जावेंगे जिनको जनता नहीं चाहती इस प्रकार की बात रखना आप मन्जूर करते हैं। क्योंकि वहां आपकी पार्टी का बहुमत है, वे आने वाले आपकी पार्टी के व्यक्ति होंगे और इस तरह सब जगह अपना बहुमत बनाये रखना चाहते हैं और दूसरों को गिराना चाहते हैं। तो जब क्वालिफिकेशन की बात कह कर आप बाहर से आदमी लाने को तैयार हैं उनको बैक डोर से घुसाने को तैयार हैं, पर जो व्यक्ति जनता द्वारा चुन कर आये हैं पर अल्पमत में हैं, उनमें से क्वालिफिकेशन के आधार पर आप किसी को लेने को तैयार नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप उनकी योग्यता का लाभ इसलिये नहीं उठाना चाहते क्योंकि वे आपके दल के व्यक्ति नहीं हैं, आपकी बहुमत पार्टी के वे सदस्य नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पहले आप

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उन में से योग्य व्यक्तियों को लें, बाहर से न लें। यह सह-अस्तित्व की भावना का सुबूत होगा।

कहने को आप कहते हैं कि आपकी भावना सह-अस्तित्व को मान कर चलने की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में सब लोगों का सहयोग मांगा है। इसका कारण क्या है? इसके पीछे भावना क्या है? वे जान गये हैं कि एक पार्टी एक कार्य करने में असफल रही है, जिस प्रकार से जन-सहयोग और धन बढ़ाना चाहिये या जुटाना चाहिये, वे उसे प्राप्त करने एवं जुटाने में असफल रहे हैं। अब उससे उन्होंने यह सबक लिया है कि इस काम में, राष्ट्रीय हित के कामों में सब का सहयोग लिया जावे। इसी प्रकार नगर के विकास के लिये, नगर के हित के कामों में इसी विचारधारा से काम लेना चाहिये, इसी भावना से काम लेना चाहिये। जो विरोधी दल अल्पमत में है पर अगर उसके पास योग्य व्यक्ति हैं तो उनकी योग्यता का भी उपयोग किया जावे।

आज आप बहुमत में हैं। हमेशा इसी बहुमत के विचार से सोचते हैं। पर आप इस भुलावे में न रहें, ऐसा नहीं है। भविष्य के आने वाले चरण न जाने किस प्रकार किधर चले जावें, यह कोई नहीं कह सकता। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज राजस्थान में ऐसी कितनी ही नगरपालिकाएं हैं जो विरोधी समझे जाने वाले दलों के हाथ में हैं, विरोधी या अल्पमत में समझे जाने वाले व्यक्तियों के कब्जे में हैं। इस प्रकार की भावना वे विरोधी दल वालों के प्रति न रखें, नहीं तो इस संकुचित मनोवृत्ति के कारण आज बहुमत में बैठे व्यक्तियों को और उनकी सरकार को आने वाले भविष्य में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि इस प्रकार की भावना न सत्तारूढ दल रखे, न विरोधी दल रखे। राजस्थान का विकास, नगरपालिका का विकास, यहां की जनता का विकास, हम सबका विकास है। इसमें सिद्धान्ततः दो मत नहीं हो सकते। अलग अलग पार्टियां भले ही हों पर जहां सबके विकास का प्रश्न आता हो वहां उन सबको एक हो जाना चाहिये।

एक प्रश्न आता है, विधायिका बैठती है, यहाँ कानून बनाने के मसले में मतभेद हो सकते हैं पर नगरपालिका में इस प्रकार के प्रसंग नहीं आते। वहां मतभेद का सवाल नहीं पैदा होना चाहिये। कहां सफाई होनी चाहिये, कहां पटाई, कहां खरंजा होना चाहिये, कहां सड़क बननी चाहिये, कहां स्कूल खुलनी चाहिये, कहां डिस्पेन्सरी होनी चाहिये, कहां पुस्तकालय और कहां वाचनालय होना चाहिये, ये सारे कार्यक्रम किस प्रकार बनने चाहिये, इन सारी बातों में कोई ऐसी बात आकर खड़ी नहीं होती है कि जिसमें पार्टीबन्दी का प्रश्न हो। मेरा तो अपना तीन साल का नगरपालिका का अनुभव है। मैं अभी भी मैम्बर हूं वहां का। यद्यपि वहां वह हालत नहीं है कि जिस पर कहा जाय कि वहां विरोधी दल बिलकुल ही नगण्य अल्पमत में है। बहुमत वाले १५ सदस्य हैं और विरोधी पक्ष में १४। एक का बहुमत है। पर इसके बावजूद वहां जो आठ-नौ कमेटियां बनाई गई हैं वे पूरी तरह से एक दल विशेष के हाथों में चली गई, सत्तारूढ दल ने अपने ही अपने आदमी सब जगह रख दिये और १४ के तथाकथित अल्पमत का निरादर किया गया। मैंने सबसे पहले खड़े होकर इस

Page No.65

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रकार की बातें उनके सामने रक्खीं कि हमें सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को मान कर चलना चाहिये, सहयोग में काम करना चाहिये। भावात्मक अपील रखी कि हम यहाँ पर जब तक बैठे हैं तब तक एक हैं। यहां हम नगर के विकास के लिये जुटे हैं। १५ और १४ में कोई अन्तर नहीं है। हमें यह भावना यहां बैठते समय त्याग देनी चाहिये। इसलिये जितनी छोटी कमेटियां बनावें, मिलजुल कर बनावें, नगर के हित की भावना को रखकर बनावें। कन्वीनर भले ही आप बहुमत का रख दें। यह हो सकता है। पर इनमें अल्प-मत के आदमी भी रखे जाने चाहिये। पर ऐसी बात का ऐसी जगह पर भी निरादर किया गया। उस समय की मेरी अपील को नहीं माना। हमने इस पर वाक आँउट किया और परिणाम यह हुआ कि एक भी कमेटी सक्सेसफुली काम नहीं कर पाई। इसके पश्चात् दो साल बाद उन्होंने महसूस किया कि विरोधी दल के लोगों का सहयोग लेना चाहिये। पर तब हम लोगों ने, अल्पमत-वालों ने उनकी बातों को ठुकरा दिया। दो साल के बाद आज आपकी अक्ल में यह सह-अस्तित्व की और सहयोग की बात आई है।

तो इस उदाहरण से मैं यह बताना चाहता हूं कि नतीजा इन बातों का क्या आता है। पंडितजी आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो यह प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन की बात अनुभव की है। इसके कारण परस्पर प्रेम, स्नेह और सद्भावना का वातावरण रहेगा और अच्छा काम होगा। हो सकता है जहां छोटी नगरपालिकाएं हैं जिनमें पांच-छः सदस्य होते हैं तो उनसे कितनी कमेटियां आप बनावेंगे? जब तक कि आप विरोधी पक्ष वालों को नहीं लेंगे। आपको वहां विरोधी दल वालों को लेना चाहिये, अन्य जगहों पर भी लेना चाहिये, सब जगह लेना चाहिये, यह प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। उनको भी काम करने का अवसर मिलना चाहिये। उनमें भी जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। जनता ने उनको भी चुन कर आप ही की तरह भेजा है। जनता उनसे आशा रखती है कि वे भी वहां जाकर कुछ सेवा का काम करेंगे। जनता ने उनकी योग्यता पर विश्वास प्रकट किया है। जनता उन पर विश्वास प्रकट करती है पर हमारा यह बहुमत, यह सत्तारूढ़ दल अविश्वास प्रकट करके उस जनता के विश्वास को ठुकराता है। इसका मतलब यह हुआ कि नगर के उस वार्ड या पक्ष विशेष के तमाम लोगों की भावनाओं को, उनकी तमाम योग्यताओं को बहुमत ठुकराता है, उनका कोई आदर वह नहीं करता और जिस प्रकार उनकी भावनाओं का, जनता की भावनाओं का अनादर किया जाता है उसी प्रकार जनता के प्रतिनिधित्व का अनादर होता है। मैं निवेदन करूं कि यह आदर करने का प्रश्न है, सह-अस्तित्व की भावना को ध्यान में रख कर आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है।

२ म० प०

जितने भी जिसके लोग हैं वह उसमे मिलेंगे किसी एक आदमी का प्रश्न नहीं है। यह तो आने वाले समय का प्रश्न है हो सकता है आज उनका बहुमत है कल हमारा हो सकता है। कई इस तरह की बातें उत्पन्न हो सकती हैं। हमें प्रतिनिधित्व की भावनी लेकर चलना चाहिए और सह-अस्तित्व का पालन करते हुए जनतन्त्रात्मक तरीके से हम

(श्री दयाकृष्ण विजय)

चलें, दूसरों के दिये हुए मत का आदर करते हुए हम चलें। उस आधार पर निश्चय हो जाता है कि हम प्रतिनिधित्व दें आनुपातिक दृष्टि से नगरपालिका के अन्दर और सिटी कौंसिल्स में। फिर एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुमत के आधार पर जो संशोधन रखा गया है, उसको ठुकराया जा सकता है और यह हम मानते हैं कि बहुत से आये हुए संशोधनों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जायेगा। लेकिन इसके लिए आपको बाद में अनुभव होगा कि हमने इस चीज़ को नहीं रखा। आज बहुमत के आधार पर आप किसी भी चीज़ को ठुकरा सकते हैं लेकिन उसके परिणाम की बात जो कि परिणाम सामने आयेंगे उसके ऊपर बाद में संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिए वह संशोधन आप भविष्य में न लायें और आज ही उस पर विचार कर लें तो ठीक होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि जो संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन इसमें रखा गया है, उसको पास कराने में अपना योग दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो अमेंडमेंट पेश हुआ है, उसमें एक व्यवस्था की गई है इस तरह की कि जिससे जिसको काम चलाना है जो मेज़ोरिटी चुनने के बाद बनी है और जिसके सिर पर म्युनिसिपेलिटी की सारी जिम्मेदारियां आई हैं, वह लोग अपने अन्दर पूरा तालमेल बैठाने के लिए और सारी व्यवस्था के अन्दर पूरी हिस्सेदारी लाने के लिए वे मेज़ोरिटीवाले जो अपनी स्कीम रखते हैं, जो शहर के अन्दर वह सेवा करना चाहते हैं और उसके लिए सब-कमेटीज़ जिन सब-कमेटीज़ के नाम से जाहिर है कि तरह तरह के जो उनके ऊपर काम हैं उनके लिए सब-कमेटीज़ बनाने की व्यवस्था इसके अन्दर की है। अब सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल रखा है। सवाल यह है कि उसके अन्दर जो सदस्य हों किस तरह से हों ? जब मैं आज की और कल की बातों का मुकाबिला करता हूँ, उधर से बोलने वालों की बातों का, तो मुझे कानों में ऐसा सुनाई पड़ता है कि जैसे शैतान कुरान की आयतों को पढ़ने लगे हों। जब हमने कहा बहुत से लोगों ने इस बात को कहा कि चेयरमैन जब चुना जाता है उसके बाद में एक साल तक उसके लिए नो–कॉन्फीडेन्स की बात नहीं उटनी चाहिए······

श्री पी० के० चौधरी : Sir whether these words about the members of the House, 'preaching of gospel by Satean' are parliamentary ?

श्री भैरोंसिंह : लेकिन उन्होंने अपने आपको ही शैतान बताया है इसलिए यह अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने तो हिन्दी ट्रान्सलेशन कर दिया इसलिए बुरा लग रहा है। I have not spoken about the Hon ble Members.

श्री पी० के० चौधरी ; I would like to have a ruling, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I think you will not be serious about the expression.

श्री मोहरसिंह : जरा अंग्रेजी की ओर अंग्रेजी कर दीजिए।

('Devil quoting scriptures' ऐसी आवाज़)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं अर्ज कर रहा था कि मामूली सी बात

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है सेन्टीमेंट्स की बात नहीं है। आप चाहते हैं कि कल ही माइनोरिटी को यह अधिकार दें कि चेयरमैन जिस दिन चुने उसके दूसरे दिन ही मेजोरिटी पार्टी को माइनोरिटी काम नहीं चलाने दे और नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन भेज दे। इसको रखने की कल बहुत ज्यादा कोशिश की गई लेकिन सरकार का जितना सपोर्ट हो सकता था वह उसको मिला। डेमोक्रेसी के नाम पर कल और आज सदन में दुहाई दी गई। लेकिन जिस तरह से हिनहिनाहट आ रही है फिर भी आज डेमोक्रेसी में यह अपील की जा रही है कि वहां पर जो काम होते हैं वह नालियां बनाने के होते हैं, जो काम होते हैं वह तो रोज करने के होते हैं उसमें तो पार्टी का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, मैं इस बात को तसलीम करता हूं लेकिन इसके साथ ही पूछना चहता हूँ कि जनता के अन्दर जाकर पोलीटिकल पार्टीज क्यों लड़ती हैं ? उनके खुद के कामों को करने के लिए जिनके अन्दर राजनीति का काम नहीं है वहां पर जाकर अपने दिल की निकाल कर अपनी भांय भांय क्यों निकाले जा रहे हैं .....

श्री दयाकृष्ण विजय : यह सह-अस्तित्व का प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सिविक लाइफ के अन्दर......

श्री पी० के० चौधरी : Sir, this word 'Bhain Bhain karna' it is not in the dictionary.

श्री उपाध्यक्ष : It is newly coined.

श्री पी० के० चौधरी : It is not in the dictionary, Sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It is there. It is not expected that you know all the words. मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस सिलसिले के अन्दर जब यह अपील की जाती है कि अभी हमको घुस आने दो फिर देखेंगे कि तुम्हारे अन्दर कैसे झगड़ा कराते हैं। इस तरह की बातें इस सदन में की जा रही है। मैं कहता हूँ कि सिविक लाइफ के अन्दर आपको पूरा उतरना है तो जनसंघ वाले सदस्य यह चीज तय करेंगे कि आप पार्टी लाइफ के अन्दर इलेक्शन नहीं लड़े। जो सदन में बातें कही गई हैं वह गलत ढंग से अगर नहीं समझी गई हैं तो वे कसम खायें जनसंघ की कि कभी इलेक्शन नहीं लडेंगे......

श्री भैरोंसिंह : आप कांग्रेस की कसम खा जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस कसमाकस को रोकता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सदन के सामने यह पेश कर रहा था कि यह सेन्टीमेंट्स का सवाल नहीं था। सवाल इतना है कि उस चेअरमैन को, उस कमेटी को, उस मेजोरिटी को जिसने कि चेयरमैन बनाया है जिस पार्टी ने कि बहुमत पाया है और आपकी वह मानी हुई है और जब कल टू-थर्ड की मेजोरिटी की बात कही गई थी तो आप खतरे में उतर गये थे। एक साल की बात कल मैंने कही तो मेजोरिटी खतरे में पड़ गई थी और इसीलिए तुगलक की याद आती है। आप यह देखते हैं के ओस कैसे किया जाय ? इसके सिवाय कोई स्कीम नहीं है। जिस सरकार को जिम्मेदारी है सिविक लाइफ को चलाने की उसकी हर मसले में इस तरह की कोशिश की जाती है कि जाने वे क्या करते हैं। सही है, आपका सहयोग होना चाहिए। यह माइनोरिटी के ऊपर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मुनस्सर करता है और आप जो हैं उनको तोड़ने के लिए जाते हैं या सहयोग के लिए जाते हैं। आपके काम करने का ख्याल है तो आपकी इन्टीग्रिटी ऐसी होनी चाहिए कि माइनोरिटी मेजोरिटी का साथ देगी। मिसाल के तौर पर जैसे जयपुर की मिसाल दी गई में अजमेर के लिए कहता हूं कि पिछले ६५ साल से जब से म्युनिसिपेलिटी के चुनाव हुए हैं जब जब भी चुनाव हुए हैं तब तब माइनोरिटी में से वाइस चेयरमैन बनता आया है। हम प्रिफरेन्स इसके लिए हमेशा माइनोरिटी को देते है और इसीलिए झगड़े नहीं होते हैं और यह चीज गुड कन्वेनशन्स पर कायम हो गई। मेजोरिटी के ऊपर जब जिम्मेदारी आई है तो आप शेयर करना चाहते हैं तो उसको अपनी कीमत पर नहीं करते तो उनकी कीमत पर शेयर करिये। आज मैजोरिटी काम करती है तो आप इस तरह से बातें करते हैं। आपको इस तरह से उसका साथ देना चाहिए कि मेजोरिटी आपमें विश्वास करे कि आप मैरिट्स पर आये हैं। जिन झरोकों से लाइट निकल रहीं है उसी के बाहर ही आप लालटेन लगाने के लिए जिद कर रहे हैं। मेजोरिटी और माइनोरिटी के अन्दर तालमेल रहे तो जो अमेंडमेंट रखा गया है, वह अमेंडमेंट मौजूद है।

मैं समझता हूं कि म्युनिसिपल कमेटी के अन्दर जो यह सिंगल ट्रान्सफरेबल वाली बात सुझाई जा रही है वह सेबोटेज करना है सारे एक्ट को। दूसरी तरफ से यह भी अपील की जाती है, यह विचार किया जाता है, यह कहा जाता है कि हम भी माइनोरिटी में आने वाले हैं। यह तो जनता जानती है, आप जानते हैं। उसके लिए कि ये लोग मैजोरिटी में आजायेंगे, इसलिए पहले से इन्तजाम कर लें कि हम भी माइनोरिटी में आने वाले हैं, एलसिइ मरने से पहले ही कफन का इन्तजाम कर लें (हंसी) सरकार इस तरह की बातों में नहीं आने वाली है। जो निजाम आज वे कायम करेंगे उसके लिए यह जरूरी है कि वे मैजोरिटी में हों। अभी हमें जनता चाहती है। आपको चाहने लगेगी तो हमें कोई एतराज नहीं है। रास्ता ऐसा बना हुआ है। लेकिन जब जिम्मेदारी हमारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उसका निजाम बनाने के लिए, वह निजाम कैसे चलता है यह बहुत जरूरी है। माइनोरिटी के लोग, मैं कहता हूँ चाहे यहां पर हों या बाहर हो, एक ही बात कहना चाहते हैं कि किसी को पकड़ा तो क्यों पकड़ा और नहीं पकड़ा तो क्यों नहीं पकड़ा ? यह चंडी रानी का हिसाब चले तो कैसे ? कहीं पर कुछ नहीं करें तो कहते हैं कि गवर्नमेन्ट ने उसके बारे में क्यों नहीं किया और किया तो क्यों कर लिया ? इस तरह की स्थिति माइनोरिटी बनाते हैं तो मेरा विश्वास है कि वे जनतन्त्र को पनपने वाला नहीं बना सकते। इसलिए यह मेरा उपदेश नहीं, अपील है कि वे अपने गिरावान में मुंह डालकर देखें कि उनकी इच्छा राजनैतिक मैजोरिटी को बदनाम करने की रहती है या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि सेन्टीमेन्ट का कोई सवाल नहीं है। यह तो कमेटी सिविक लाइफ के काम को चलाने के लिए है। वह मैजोरिटी पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है। जीतने के बाद उसको सुविधा देने के लिए, पूरा निजाम रखने के लिए, काम की व्यवस्था की जिनकी जिम्मेदारी है उन्हीं को मरने देने के लिए, उनके काम को हलका करके एक टीम वर्क हो। १० आदमी हों वह बात सब को पता चल जाय इसलिए कमेटी का गठन होता है। वह मैजोरिटी से होना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : (श्री ज्वालाप्रसाद के बाहर जाने को खड़े होने पर) आप बैठिये, सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : He will come when he is attracted by your voice.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसका कारण यह है कि हमारे देश ने प्रजातन्त्र को अपनाया है। प्रजातन्त्र के आधार पर सारे चुनाव होते हैं और प्रजातन्त्र के आधार पर हमारी सरकार चलती है। प्रजातत्र में म्युनिसिपेलिटी और जितनी भी संस्थाएं हैं चलती हैं। अब यह कहा जाता है कि इस प्रजातन्त्र को अपनाया है और माइनोरिटी को मैजोरिटी वाले अगर नहीं देखते हैं तो प्रजातन्त्र ठीक नहीं चल सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र के मायने यही है कि जो देश कि या जिस नगर की जनता जिस पार्टी के उद्देश्य को मानकर अपने वोट देती है, जिनके ऊपर विश्वास करती है उनकी मैजोरिटी बनाती है; और बाकी के लोग माइनोरिटी में रहते हैं। अब यह सवाल पेश होता है कि माइनोरिटी को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जाय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यह देखेंगे कि जिस प्रकार राज्य सरकारें बनती हैं तो क्या राज्य सरकारों में अपने यहां माइनोरिटी को क्या प्रतिनिधित्व देते हैं। आप देखेंगे कि प्रजातन्त्र का एक तरीका है। प्रजातन्त्र के तरीके में जितने आदमी कामयाबी कर सकते हैं जब कि माइनोरिटी वाले मैजोरिटी वालों की जो स्कीम हैं उनको लागू करने में सहयोग दें अपना, तभी उन पर विश्वास किया जा सकता है और कमेटी में लिया जा सकता है। आप देखेंगे कि बहुत सी जगहों पर जहां पर जो आज ये बड़ी बड़ी बातें विरोधी पक्ष वाले कहते हैं, हमारे वहां पर ऐसा है कि किशनगढ़ का मैं उदाहरण बताता हूँ कि जहां इस चुनाव के बाद...

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं उदाहरणों से बहुत थक गया हूँ। आप कृपा करके उदाहरण को न कहें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : लेकिन उनका जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन उदाहरणों के साथ नहीं।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ऐसी स्थिति में जहां अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, उन विचारों को कार्यान्वित नहीं करते हैं बल्कि उनके विपरीत चलते हैं, ऐसी स्थिति में यह कहना कि कि मैजोरिटी वाले माइनोरिटी वालों को ठीक रिप्रज़ेन्टेशन नहीं देते, यह गलत है।

आज आप यह देखेंगे कि हिन्दुस्तान की किसी म्युनिसिपेलिटी के एक्ट में, किसी देश की म्युनिसिपेलिटी के एक्ट में यह लिखा है कि माइनोरिटी और मेजोरिटी का रिप्रज़ेन्टेशन एक्ट में निर्धारित किया जाय कि जो एक्ट बनाया जा रहा है या जो बिल अपने सामने लाया जा रहा है तो मैं तो निवेदन करूंगा कि कहीं पर ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जैसा कि आपने बताया है। जहां तक हो सकता है हर म्युनिसिपेलिटी में, हर कॉर्पोरेशन में माइनोरिटी वालों को हर समिति में लिया जाता है और हर एक में रिप्रज़ेन्टेशन दिया

Page No.70

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

जाता है। लेकिन यह कहना कि इस एक्ट में इस बात का प्रोविज़न ला दिया जाय, सब सील मोहर लगा दी जाय जिससे कोई हटा नहीं सकता। यहां सील मोहर लगाने बैठेंगे कि जिससे ज्यादातर संख्या जैसे कांग्रेस पार्टी की है किसी नगरपालिका में तो आपने जैसा कहा कि हम भी मेजोरिटी मैं आ सकते हैं तो आने दीजिये। हम आपकी विचारधारा का स्वागत करेंगे। अब बहुमत में आयेंगे और आप अपने सिद्धातों को जिस रूप में कार्य रूप में परिणत करेंगे तो उसका उदाहरण लोगों को मिलेगा। आज तक उदाहरण पेश किया है उससे यही प्रतीत होता है कि मैजोरिटी वाले जो भी काम करें, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, उन पर लांछन लगाने को तैयार रहते हैं। ऐसी अवस्था में इस एक्ट में जो प्रोविज़न रखा है इसमें माइनोरिटी वालों के लिए रिप्रज़ेन्टेशन की क्लॉज तय कर दी जाय, यह शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बिल सारे प्रदेशों के आधार पर बनाया गया है और उसी आधार पर यह बात लिखी है। इसमें इस प्रकार का प्रोविज़न रखना यह शोभा नहीं देता।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित संशोधन पर बहस चल रही है और इधर के पक्ष से जितनी दलीलें आई हैं, वे निष्कर्ष रूप में बड़ी मजबूत होते हुए भी जिन सिद्धान्तों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है वे कुछ गलत पेश किये जा रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों का मत रहा है कि जनतन्त्र की हुकूमत का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि बहुमत की हुकूमत हो। बहुमत अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करे और अल्पमत के लोगों का सहा जाना या उनका बर्दाश्त किय जाना इस पर आश्रित है कि वह बहुमत के निश्चय को क्रियान्वित करने में सहयोग देता है या नहीं देता है, अगर सहयोग नहीं देता है तो विश्वास नहीं किया जा सकता। उनको नुमायन्दगी नहीं दी जा सकती कमेटी में। अगर सहयोग करते हैं तो उस हालत में नुमायन्दगी देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। यह दृष्टि रखी गई है।

एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि आज जो अल्पमत में हैं कल बहुमत को लेकर आ जायं चुनाव में जीतकर तो हम उनके पीछे इसी तरह से चलेंगे। मैं समझता हूँ कि यह जनतन्त्र के सिद्धान्तों का गलत रूप है। यह हम जनतन्त्र के सिद्धान्तों को शक्तिवादी रूप में देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत क्या निजाम करती हैं, शक्ति के आधार पर चलती है, जिसकी तरफ शक्ति है सही करे या गलत करे, ठीक करती है। मगर जनतन्त्र के पीछे यह शक्तिवादी भावना नहीं है। जनतन्त्र की असली बुनयादी बुद्धिवादी भावना है। जनतन्त्रवादी संस्थाएं जितनी हैं उनमें सोच-विचार करने वाली संस्थाएं पहले होती हैं और निर्णय करने वाली संस्थाएं बाद में होती है। इसलिए उनमें डिक्शन का राइट पहले माना जाता है। जनतन्त्र में विरोध का काम यह नहीं है कि बहुमत के पीछे २ चलें, उनकी सारी योजनाओं में मदद करें, उनके असिस्टेन्ट बनकर काम करें, बल्कि एक बुद्धिवादी आधार पर जहां डेलीब्रेशन का काम होता है, सोच विचार कर काम होता है। वहां पर बहुमत केवल अपने सही या गलत फैसले शक्ति के आधार से नहीं करें। जनतन्त्र यह मानता है कि कोई कितना ही बलवान् हो लेकिन उसका जीवन बुद्धिवादी हो। उसमें शक्ति कितनी ही हो लेकिन बुद्धिवादी होने के नाते बहस-मुबा-

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

हिसा में किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझें और उस दृष्टिकोण से सोचकर उसका निर्णय हो। मगर डेलीब्रेशन्स से हम पहले प्रोसीड करते हैं। यह जनतन्त्रीय हुकूमत का आधारभूत सिद्धान्त है। इसको मैं बुद्धिवादी जनतन्त्र कहता हूँ। माननीय सदस्य ने जिस जनतन्त्र की बात की है वह शक्तिवादी है। उसको जनतन्त्र नहीं कहते हैं। विरोधी पक्ष से सहयोग की आशा नहीं, बल्कि विरोधी पक्ष से बहस-मुबाहिसे में डेलीब्रेशन्स के समय दूसरे दृष्टिकोण की आशा की जानी चाहिए।

तो यदि आपको सब-कमेटीज़ में कुछ डेलिब्रेशन कम होना है केवल निर्णय होना है और सोच-विचार कुछ नहीं करना है और केवल बन्धे हुए काम के अनुसार, रूढियों के अनुसार जैसा बन्धा हुआ है ऐसा ही निर्णय या फैसला करना है तो विरोधी पक्ष को नहीं लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन यदि सोच विचार कर निर्णय लेने की ज़रूरत है तो विरोधी पक्ष का रिप्रज़ेन्टेशन होना प्रजातन्त्र के ढांचे को आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए सदन इस दृष्टि से सोचे तो अच्छा होगा। इस प्रकार की चीज कही गई है कि दुनिया के किसी कानून में इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा है। आॅग्युमेन्ट की निगाह से आप कुछ भी कहें लेकिन यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौंसिल ऑफ स्टेट के चुनाव कराते हैं वे प्रपोर्शनल रिप्रज़न्टेशन के आधार पर कराते हैं और वह इसलिये कि इससे खुद ब अपोजिशन को रिप्रज़ेन्टेशन मिल जाता है। मैं इस बात के लिये जोर नहीं देता कि म्युनिसिपल कमेटीज़ में भी इस प्रकार की प्रणाली अपनावें, लेकिन दो तरह की चीजें होती हैं एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन के आधार पर चुनाव होता है और कहीं-कहीं कन्वेन्शन के आधार पर होता है। जैसा अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अजमेर में इतने अर्से से एक मुलजिम सदस्य को चेयरमैन बनाया, बारहाल कन्वेन्शन एक बड़ी चीज है और कन्वेन्शन के आधार पर कई चीजें होती हैं। संविधान को देखें तो पूरा चेप्टर ही डॉइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के बारे में है। हालांकि उसके आधार पर कोई दावा नहीं हो सकता, रिट पिटिशन नहीं लाई जा सकती, फिर भी यह है कि यह संविधान में लाया गया है यदि यह अनरिटन रहता तो भी सामने रहता, लेकिन आप बुनियादी सिद्धान्तों को उलझन में डालना चाहते हैं, कन्वेन्शन को भी पर्दे से हटा देना चाहते है इसलिये मुझे बोलने की जरूरत हुई। मैं समझता हूँ इन बातों पर सोच समझ कर किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिये। प्रोपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेन्शन के आधार पर करें या यह मानकर चलें कि ऑग्युमेन्ट्स जरूरी रहेंगे और जो डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स हैं उनको हम मानेंगे, म्युनिसिपल बोर्ड के लिये मूविंग पब्लिक ओपीनियन को मानेंगे इस प्रकार का विश्वास दिलाया जाता तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस आधारभूत चीज को बुनियादी रूप से अस्वीकार करना उचित नहीं होगा।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रोपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेन्शन का रखा है मैं उसके विरोधी में कुछ शब्द अर्ज करना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य

(श्री श्रीमानसिंह)

इसके सपोर्ट में बोले थे, उन्होंने कहीं तो जनतन्त्र की परम्पराओं की दुहाई दी, जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम जनतन्त्र में शक्ति के आधार पर और वह शक्ति फिज़ीकल शक्ति के आधार पर निर्धारित करना चाहते हैं। इससे जो अगर कहा जाय कि तथ्य से परे एक स्टेटमेंट या एक वाद-विवाद से कुछ कहने के तथ्य से परे है। हमें यहां जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है या राजनीति के अन्दर कोई भी हो, सबसे पहले हमें एक चीज करनी है और देखना है कि जनतन्त्र को हम चलाना चाहते हैं। इस भारतवर्ष के अन्दर तो कुछ जनतन्त्र के बुनियादी सिद्धान्त हैं जिन्हें पोलिटिकल पार्टीज़ और इन्डिविज्युअल्स हैं उन सब को उन सिद्धान्तों पर कुछ टोलरेन्स रखना पड़ेगा और कुछ गवर्नमेंट चलाने वाली पार्टीज़ हैं उनमें भरोसा और कॉन्फीडेन्स रखना पड़ेगा और जो बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं उन पर एक एग्रीमेन्ट करना पड़ेगा। जब तक टोलेरेन्स, भरोसा और ऐग्रीमेंट नहीं होगा तब तक इस देश का भविष्य जनतन्त्र के आधार पर कभी भी नहीं कहा जा सकता कि उज्ज्वल रहेगा। मैं उदाहरण के तौर पर कह दूं कि पाकिस्तान, जहां पर मिलिट्री रूल है, वह यों ही नहीं था। वहां पर विधान के पीछे न तो बेसिक प्रिन्सिपल्स थे और न कॉन्फीडेन्स था गवर्नमेंट पर और न टोलेरेन्स जैसी कोई चीज थी। मैजोरिटी या पोलिटिकल पार्टीज़ के लिये वहां पर टोलेरेन्स नहीं था। जिस जिस जगह पर मिलिट्री रूल हुआ है वहां यों ही हुआ है, जनतन्त्र के सिद्धान्तों को पहले वहां पर ऐक्सेप्ट किया गया और उसके बाद जो बुनियादी चीज है एक्सेप्ट करने की वह बुनियादी चीज वहां पर पनप नहीं सकी और नतीजा यह हुआ कि जनतन्त्र वहां चल नहीं सका।

अब सवाल यह आता है कि मूलभूत सिद्धान्त है क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन में मूलभूत सिद्धान्त है क्या? हमें देखना है कि हमारे सामने उसका नक्शा मौजूद है क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन के बारे में मैं बाद में कहूँगा। उदाहरण के तौर पर मैं व्हीमर रिपब्लिक की बात कहूंगा, वहां पर प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन के आधार पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट बनाई गई, उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर एक रोज भी वह गवर्नमेन्ट चल नहीं सकी और टोटली फैल्योर रही और वहां पर डिक्टेटरशिप कायम हुई। आज बहुत सी जगह पर जहां पर प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन लागू है वहां पर क्या हो रहा है? राजनीति को चलाने में जो बेसिक चीज मानते हैं, जो अगर डेमोक्रेसी चलानी है तो उसमें पोलिटिकल पार्टीज़ रहेंगी, इस चीज को मानना पड़ेगा। और यदि यहां पर माननीय सदस्य यह मानते हैं कि डेमोक्रेसी तभी चलेगी जब पोलिटिकल पार्टीज़ नहीं बल्कि ग्रुप्स रहेंगे तो मैं यह कह सकता हूँ कि इस प्रकार से डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। आपके सामने सबसे उज्जवल उदाहरण फ्रॉन्स का मोजूद है जहां पर ग्रुप्स हैं, दल बदलते रहते हैं, एलाइनमेंट होते रहते हैं उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर मिलिट्री पॉवर आई। ये मूलभूत सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर पोलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेसी को चला सकती है और जब डेमोक्रेटिक पार्टीज़ चला सकती हैं, पनप सकती है तो वहां पर माइनोरिटी और मैजोरिटी को मानना पड़ेगा और जो अगर हम ग्रुप बेसिस पर सोचेंगे तो न तो गवर्नमेंट चलेगी और न लोकल इन्स्टिट्यूशन्स चलेंगे। ग्रुप्स के आधार पर मेन्यावर होगा, बार्गेनिंग होगा और इन सब को

(श्री श्रीभानसिंह)

भगाने के लिये सैनिक रूल होगा। ये सब देखते हुए प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन के आधार पर और ग्रुप रिप्रज़ेन्टेशन के आधार पर आप चाहते हैं कि माइनोरिटीज़ की सरकार होनी चाहिये, हरेक गवर्नमेंट में या कमेटीज़ बनें उनमें माइनोरिटीज़ को रिप्रज़ेन्टेशन मिलना चाहिये तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माइनोरिटी का राइट जो है वह बर्थ-राइट नहीं है। माइनोरिटीज़ का सबसे पहला राइट आता है पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करने का। पहले आप पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करें और उसके बाद म्युनिसिपल बोर्ड्स में, लेजिस्लेचर्स में या पार्लियामेंट में आवें और वहां आकर जो बातें हों उन्हें पब्लिक के सामने रखदें, जो पॉलिसी है उसे पब्लिक के सामने रखें और जो मैजोरिटी काम कर रही है उसे पब्लिक को बतादें कि यह पॉलिसी जनहित के माफिक नहीं है।

यह तो उनका राइट है, मेम्बर्स का यह राइट है क्योंकि वे इलेक्शन में जीत कर आये हैं और माइनोरिटी में हैं। फिर भी जो मैजोरिटी का राइट है, जो और बातों का राइट है, वह राइट क्योंकि वे इलेक्शन में जीत कर आये हैं, इसलिए उन्हें वह राइट मिलना चाहिए, यह जनतन्त्र का आधार नहीं है, न यह जनतन्त्र को पनपाने का आधार है, न जनतन्त्र इस सिद्धान्त पर पनप ही सकता है। जैसा उदाहरण दिया कि गवर्नमेंट मैजोरिटी की है, ठीक है, कोऑपरेशन गवर्नमेंट लेती है दूसरे लोगों का, मगर अभी से हमने एक प्रिन्सिपल बना दिया कि लोकल सैल्फ बोडीज़ के अन्दर जो कमेटी बनेगी, उन कमेटीज़ के अन्दर माइनोरिटीज़ को लिया नहीं जायगा, यह हो कैसे सकता है कि माइनोरिटी को लिया नहीं जायगा। माइनोरिटी जहां तक सहयोग देगी, वहां तक सहयोग लिया जायगा और यह कहें कि किसी तरह का सहयोग नहीं दें तो सहयोग न दीजिये। मैजोरिटी को आप सहयोग न दें और उस इन्स्टीट्यूशन के फंक्शन को पैरेलाइज़ करना चाहें तो, हम मैजोरिटी उसे पैरेलाइज़ नहीं होने देंगे। मैजोरिटी एक पार्टी की है, कांग्रेस की मैजोरिटी है, आप चाहें कि कांग्रेस की मोनोपोली न हो, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की मोनोपोली तब तक रहेगी जब तक कांग्रेस जनता के हित का काम करेगी। जिस रोज अपोज़ीशन की पोलिटिकल पार्टी को जनता एक्सेप्ट करेगी, उस रोज आप मैजोरिटी की जगह बैठेंगे। लेकिन जब तक कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है, तब तक कांग्रेस बहुमत में रहेगी। आप जिस जिन समझ लेंगे कि जनतंत्र को पोलिटिकल पार्टीज़ के आधार पर चलाना है, जिस जिन पोलिटिकल पार्टी के आधार को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन लोकल बोडीज़ असेम्बली, पार्लियामेंट में प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन की दुहाई नहीं देंगे। प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन उन लोगों को देना चाहिए, जो स्वतंत्र चुन कर आते हैं, जिनका न सिद्धान्त होता है, न उनकी पार्टी का इन्फ्लुएन्स होता है, वे पार्टी के अलावा जीत कर आते हैं, वे इस बेसिस पर रिप्रज़ेन्टेशन चाहते हैं। उन्हें कमेटी में रिप्रज़ेन्टेशन नहीं मिल सकता क्योंकि वे व्यक्तिगत हैं, इसलिए प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन उनको दिया जाय तो इन्डिपेन्डेन्ट रूप से आते हैं, जो इन्डीविजुअली आते हैं उनको कहने में हिचक नहीं है। मगर अपोज़ीशन पोलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि उनका सहयोग लेना चाहिए, मैं समझता हूं कि ऐसे इन्डीज्युविअल subject to bargaining and manouvring जो चुने गये हैं और जो

(श्री श्रीभानसिंह)

इधर हैं, और कभी उधर चले जाते हैं, ऐसे इन्डीपेन्डेन्ट मेम्बर को एलीमिनिट करना पड़ेगा, जनतन्त्र तभी चलेगा। जो इन्डिपेन्डेन्ट हैं उनको रिप्रज़ेन्टेशन मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं कि रिप्रज़ेन्टेशन मिले, वह रिप्रज़ेन्टेशन मिल सकता है, वह मिलेगा। लेकिन आप जिस कन्वेन्शन की बात कहते हैं, कन्वेन्शन बहुमत का होता है, बहुमत कन्वेन्शन सेट करती है, मगर जो कन्वेन्शन है, वह एक आदमी डवेलप नहीं कर सकता, एक पोलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, वह कन्वेन्शन रखती है, उसको डवेलप करने का उत्तरदायित्व, या रेस्पोन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा नहीं, अपोज़ीशन पर है, और कन्वेन्शन को डवेलप करने के लिए आपको बहुमत को सहयोग देना पड़ेगा। म्युनिसिपेलिटीज़ के अन्दर कन्वेन्शन (कुछ गतिरोध) माननीय उपाध्यक्ष, शायद माननीय सदस्य नाराज हो गये हैं, मैंने इंडिपेंडेंट को रेफर किया था......

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a Point of clarification, Sir, I only said, when he said "Opposition should bear the responsibility of these conventions", that 'we are shouting for the very same thing.'

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य ने क्या कहा? मगर मैंने साफ कहा था कि जो प्रजा प्रगतिशील ग्रुप बताते हैं, वह क्या हैं, वह क्या ग्रुप है? जनता उनसे पूछे, आपका क्या एडवान्टेज है, वहां आप किसका प्रतितिधित्व करने जा रहे हैं, किसकी भलाई करने जा रहे हैं? यहां पर स्वतंत्र जीतकर आये और एक ग्रुप बना लिया, डाइवरजेन्ट एलीमेन्ट यहां इकट्ठा हो गया। ऐसे व्यक्ति म्युनिसिपल बोर्ड में चले गये, उन्हें यदि जनसंघ लेने को तैयार हो, तो वे जनसंघ में आ जायेंगे, कांग्रेस लेने को तैयार हो तो कांग्रेस में आ जायेंगे, पी.एस.पी. लेने को तैयार हो तो पी.एस.पी. में आ जायेंगे। और फिर वे क्लेम करेंगे कि प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन होना चाहिए। यह कोई आइडोलोजी नहीं है कि कमेटी में जनता की भलाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। आपने भलाई करने का सिद्धान्त जनता के सामने नहीं रखा, फिर कैसे कहते हैं कि भलाई करने का आपको मौका दिया जाना चाहिए? अगर यह मौका पाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूनाइट हो जाना चाहिए। भारतवर्ष में जो राजनीति चल रही है, डेमोक्रेसी चल रही है, जनतंत्र चल रहा है उसमें इन्डिपेन्डेन्ट को बलाये ताक में रख दें, तो ही यह जनतंत्र पनप सकता है, जनतंत्र चल सकता है, भलाई कर सकते हैं म्युनिसिपल बोर्ड की......

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आप कोशिश करें, हम आपको सहयोग देंगे।

श्री श्रीभानसिंह : आपका सहयोग थोड़े दिनों बाद कांग्रेस प्राप्त कर लेगी।

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष..............

श्री उपाध्यक्ष : बलाये ताक रख दीजिये, वहां से।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो इन्डिपेन्डेन्ट को बलाये ताक रख रहा था। एक माननीय

(श्री श्रीमानसिंह)

सदस्य ने दलील दी, वे तो जनतंत्र से अपील कर रहे थे कि जो स्प्रिट डी कोर्प है उसको डवेलप करने के लिए हमें प्रपोर्शनल रिप्रे-ज़ेन्टेशन की जरूरत है। जहां तक सहयोग, स्पिरिट डी कोर, और कॉ-ऑपरेशन का मतलब था न तो वह सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट से डवेलप हो सकती है और न प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन से डवेलप हो सकती है। यह तो मेन्टल एटीट्यूड का सवाल है, चाहे आप आपोज़ीशन में हैं, चाहे इन्डिपेन्डेन्ट हैं, चाहे किसी पोलिटिकल पार्टी में हैं, जहां सहयोग देना है, वहां सहयोग की भावना होगी तो स्पिरिट डी कोर डवेलप होगा; मैं समझता हूँ कि आपको सहयोग देना पड़ेगा और सहयोग देना चाहिए। म्युनिसिपेलिटी के डे टू डे के कार्य के अन्दर जब तक सहयोग नहीं देंगे तब तक सक्सेस नहीं होगी, आप सहयोग के लिए यह कन्डीशन रखें कि प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन होगा तो सहयोग देने के लिए तैयार हैं, प्रपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं होगा तो सहयोग नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि सहयोग एक ऐसा मामला है, जो कि आपकी मोरल ड्यूटी है, कि जो पार्टी मैजोरिटी में हैं, उसको आप सहयोग दें। जैसा कि डेमोक्रेसी के अन्दर कहते हैं कि minority must have its say जो से का राइट है, या डिस्कशन का राइट है, वह राइट है, वह राइट आप क्लेम कर सकते हैं लेकिन जब मैजोरिटी अपना काम करे, जो उसकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनने दें और दूसरी तरफ इकॉनामिक, सोशल रिफॉर्म्स, लाना चाहें, जनता का स्टेण्डर्ड बढ़ाना चाहें, जनता को जो एमेनिटीज़ देना चाहते हैं, वे डिसलोकेट नहीं होंगी। यह रेस्पोन्सिबिलिटी मैजोरिटी की है that the minority must have its say, then majority must have its say, then majority must have its way also. जब मैजोरिटी आपको अपने राइट देती है, से करने का, या जो पॉइन्ट ऑफ व्यू है, जो ओपीनियन है, उसको प्लेस करने का, आप अपनी से प्लेस करते हैं लोकल बोडीज़ के सामने, लेजिस्लेचर में और म्युनिसिपेलिटी के सामने, मगर वह व्यू सब्जेक्ट टू दी एक्सेप्टेन्स ऑफ मैजोरिटी है, वह एक्सेप्ट कर लेती है, तो ठीक है, मैजोरिटी एक्सेप्ट नहीं करती है तो क्या आपका यह राइट है कि आप उसके फंक्शन को पैरेलाइज़ कर दें? मैजोरिटी, एग्जीक्यूटिव काम न करे, अगर आपको अकॉमोडेट न करे। आप मैजोरिटी को कहना चाहते हैं कि माइनोरिटी सहयोग न दे तो मैजोरिटी काम न करे, जो इन्स्टीट्यूशन है वह चल नहीं सके, यह ठीक नहीं है। माइनोरिटी का जो 'से' का राइट है, वह राइट सुरक्षित रहेगा, चाहे मैजोरिटी कांग्रेस की हो यह मेजोरिटी चाहे आज रहे, या कल रहे और चाहे पांच १० साल तक रहे We have sworn by democracy डेमोक्रेसी को कायम रखने का उत्तरदायित्व कांग्रेस का उतना ही है जितना आप लोगों का है। आप लोग सहयोग चाहेंगे, तो आप लोगों को एक सिद्धान्त मानना पड़ेगा, जो बेसिक सिद्धान्त है उससे एग्रीमेंट करना पड़ेगा और जो मैजोरिटी का राइट है, उसके लिए हर एक स्टेज पर टोलरेन्स रखना पड़ेगा। चाहे वह टोलरेन्स प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन से आये, चाहे सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट से आये, आपको व्यवस्था से एग्रीमेंट करना होगा। मैं समझता हूँ कि प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन या सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट सिस्टम का सवाल कमेटी के अन्दर नहीं होता। कमेटी में कांग्रेस बहुमत में होती है, तो वहां यह सवाल नहीं है क्योंकि बहुमत अपोज़ीशन को साथ लेकर चले। जो राइट लेजिस्लेचर्स में मिला है, यहां इस

(श्री श्रीभानसिंह)

प्रकार है कि अपोज़ीशन का सहयोग लिया जाय। सहयोग लेकर चलने का कन्वेन्शन है, उसको डवेलप करना चाहिए, इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी हम फील करते हैं। अगर कांग्रेस आपका सहयोग नहीं लेती है तो फिर आपका राइट ऑफ क्रिटिसिज्म, पब्लिक ओपीनियन अपने फेवर में करने का राइट, पब्लिक ओपिनियन अपोज़ीशन के फेवर में में करने का राइट आपका बोर्ड में भी मौजूद है। कमेटी में आपको इस राइट से डेप्राइव नहीं करते। पोलिटिकल पार्टीज में जो पार्टी पब्लिक ओपिनियन को कन्ट्रोल करती है वही पार्टी मैजोरिटी में आकर वर्न करती है। आप उस मैजोरिटी पार्टी के अगेन्स्ट पब्लिक ओपिनियन क्रियेट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन क्रियेट करना चाहते नहीं हैं और राइट चाहते हैं, यह राइट इस स्टेज पर नहीं पा सकते। तो सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट से प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन एक्सेप्ट करने में कई कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो जायेंगे और वे कॉम्प्लीकेशन्स होंगे और वही कॉम्प्लीकेशन्स होंगे कि पहले कॉउन्टिंग में ऐसी कॉम्प्लीकेटिंग मशीनरी को इन्ट्रोड्यूस कर लिया है वह भी किसके लिये, कमेटी के लिये म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन्स के लिये रखते तो उसमें थोड़ा वेट भी होता, आॅग्युमेंट भी होता, एक वाइडर फील्ड में इस रिप्रेज़ेन्टेशन को प्लीड करते।

(श्री हरिप्रसाद के किसी अन्य माननीय सदस्य के साथ बातचीत करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Shri Hari Prasad will not distrub the House please.

श्री श्रीभानसिंह : मैं यह सजेस्ट करूंगा कि यह ऑउट ऑफ प्लेस है। मन्त्री महोदय की भावना है कि अच्छी हैल्दी लोकल बोडीज़ फंक्शन करें तो उसके लिये हैल्दी बिल्स आने चाहिये, उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी है कि इस संशोधन को वापिस ले लें तो अच्छा है।

(दो सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इसमें बोलने का इरादा नहीं था लेकिन.......

श्री उपाध्यक्ष : अब भी अगर फिर विचार कर लें तो अच्छा है।

(हंसी)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अब तो विचार कर लिया बोलने का। उनके विचार सुनने के बाद मुझे ख्याल हुआ कि मुझे भी बोलना चाहिये। उन्होंने दलीलें रखी हैं, वे बिल्कुल अच्छी दलील हैं और मैं समझता हूं जो डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग का कहा है कि किस तरह डेमोक्रेसी फंक्शन होनी चाहिये, उसके साथ में सहमत हूँ। डेमोक्रेसी बुद्धिवादी होनी चाहिये कि एक गवर्नमेंट बनी; उसका डिसिज़न मैजोरिटी डिसिज़न नहीं होना चाहिये, शक्तिवाद का डिसिजन नहीं होना चाहिये। जहां तक डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग का सवाल है, इस चीज को कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी ऐसी ही होनी चाहिये। यहां पर मैजोरिटी रूल नहीं होना चाहिये; डिस्कशन और आग्युमेंट्स से हमारी गवर्नमेंट को चलना चाहिये। पर मेरा एक मतभेद है। उन्होंने जो दलील पेश की है वह मेरे ख्याल से मिस्प्लेस्ड हैं। मैं जानता हूँ आप

(श्री पी०के० चौधरी)

काफी विद्वान् और इन्टेलिजेंट आदमी हैं पर उन्होंने मेरे ख्याल से इस क्लॉज को गौर से नहीं पढ़ा है। इस क्लॉज को पढ़ेंगे तो जहां कमेटी के लिये प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन से चुनने का रखा है वह कमेटी क्या है: In every city there shall be an executive committee of the Board एक कमेटी होगी, एग्जीक्युटिव कमेटी।

यह जो दलील उन्होंने पेश की है, शायद उन्होंने क्लॉज का हैडिंग नहीं पढ़ा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनको, उनकी तरफ से किसी तरह की गलत दलील पेश नहीं होती पर यह एग्जीक्युटिव कमेटी है। जहां तक पार्लियामेंटरी सिद्धान्त हैं हम एग्जीक्युटिव में डिस्कशन का सवाल नहीं रखते हैं। डिस्कशन पार्लियामेंटरी बोडीज में होता है। जो हमारी पॉलिसी मेकिंग बोडी है, पार्लियामेंट है, असेंबली है उसमें हम डिस्कशन्स करते हैं, दिल खोल कर डिस्कशन्स करते हैं, यह बात जरूर है कि वहां पर भी मेजोरिटी से ही फैसला होता है पर कोशिश यह होती है कि व्यू पॉइन्ट से माइनोरिटी को एकोमोडेट किया जाय, अपोजिशन की तरफ से पार्टी इन पॉवर को परस्युएड करना और पार्टी इन पॉवर की तरफ से अपोजिशन को अपनी तरफ लाने की परस्युएशन की कोशिश होती है, यह लॉ मेकिंग में बोडी होता है। पर एग्जीक्युटिव बोडीज में ऐसा नहीं होगा, एग्जीक्युटिव बोडीज में ऐसा नहीं होता। केबिनेट में हालांकि वह मैजोरिटी पार्टी की होती है पर जो लीडर होता है, उसकी मंशा के माफिक होता है, इन्टरजीनियस केबिनेट के हम खिलाफ हैं क्योंकि केबिनेट में जो एक एग्जीक्युटिव बोडी है, उसके सदस्य ऐसा चाहते हैं जिसकी विचारधारा एक हो, आउटलुक एक हो जो हर चीज को एक दिमाग से सोच सकें। क्योंकि एक काम को एग्जीक्यूट करना है तो उसमें डिस्कशन की गुंजायश नहीं है। एग्जीक्युटिव यह सोच कर काम करती है कि असेम्बली से, फलां काम को करने का आदेश मिला है, उसको एग्जीक्यूट करना है। वहां मतभेद का सवाल नहीं है। अलग व्यू पॉइन्ट का सवाल नहीं है, एक विचारधारा होनी चाहिये, आउटलुक एक होना चाहिये।

जिन माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट रखा है, उनके भी हो सकता है कि दिमाग में यह ख्याल नहीं था, उन्होंने शायद एग्जीक्युटिव कमेटी को पॉलिसी मेकिंग बोडी समझा है, पर वह पॉलिसी मेकिंग बोडी नहीं है। मैं क्लॉज ७० की तरफ माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करता हूँ, उसमें यह कहा गया है: "Subordination of committees to instructions of board and compliance with requisitions of board.

(1) Every Committee shall conform to any instructions that may from time to time be given to it by the board. The board may, at any time, call for any extract from any proceedings of any committee, and any return, statement of account or report concerning or connected with any matter with which any committee has been authorised or directed to deal, and every such requisition shall without unreasonable delay, be complied with by the committee so called upon.

(2) Every order passed by a committee appointed under section 55 shall be subject to revision by, and open to appeal to, the board in accor

(श्री पी० के० चौधरी)

dance with rules that may be framed by the board in this behalf."

यह यहां जो एग्जीक्युटिव कमेटी ६६ के अन्दर इलेक्ट करके बना रहे हैं उसका हर एक डिसीजन : it is subject to revision or cancellation by the board which is the policy making body.

तो प्रोपर फंक्शनिंग के लिये डेमोक्रेटिक तरीका भी अपनायें तो कोई आॅग्युमेंट नहीं है; जहां एग्जीक्युटिव में इन्टरलेजिटिनेस आई है ऐसी कोई मिसाल नहीं, एग्जीक्युटिव में प्रपोर्शनेट रिप्रजेन्टेशन का सवाल लिया है वह एक नई चीज है, ऐसा किसी भी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में नहीं होता, एग्जीक्युटिव में प्रपोर्शनेट रिप्रजेन्टेशन को मंजूर करते हैं तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। म्युनिसिपेलिटीज़ हैं वे इन्फेन्ट स्टेज़ में हैं, डेमोक्रेसी का फर्स्ट स्टेज है, वह इस तरह की बना देंगे तो सभी लोकल बोडीज पैरेलाइज हो जायेंगी। तो इससे अपोज़िशन का व्यू पॉइन्ट है एक्सप्रेस नहीं होने पावेगा और इससे जो डेमोक्रेसी का मूल सिद्धान्त है वह फेल हो जावेगा और डेमोक्रेसी नहीं पनपेगी। म्युनिसिपल बोर्ड में जितने लोग चुन कर आते हैं उनको जितनी रेस्पोन्सिबिलिटी के काबिल पब्लिक ने समझा उतने हैं नहीं। इसलिए अपोजिशन की आवश्यकता रहती है और पॉलिसी मेकिंग में हर एक रीजनेबल बात को और रीजनेबल व्यू पॉइन्ट को अपोजिशन वाले आपके सामने रखेंगे और जहां तक उनको मानने की गुन्जायश हो उनको माना जाता है। हमारे माननीय अजमेर से आने वाले सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है मैं समझता हूं कि उन्होंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है वरना यह अमेन्डमेंट पेश नहीं करते।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६६ में श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने अमेन्डमेन्ट रखा है, मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने घन्टे डेढ़ घन्टे से माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं और उसके बाद में मेरा खुद का ऐसा विचार है कि जो इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने दलीलें दीं वे कुछ थोथी मालूम पड़ती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने कहा........

एक माननीय सदस्य : थोथी कैसे हैं।

श्री गिरधारीलाल : (जारी) अभी बताता हूं। अभी-अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, पहले मैं उसका जिक्र लेता हूं क्योंकि मैं एक स्वतन्त्र व्यक्ति हूं किसी पार्टी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये उस बात का जवाब देना जरूरी हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्वतन्त्र सदस्य का जिक्र किया है। मैं भी स्वतन्त्र सदस्य हूं। असेम्बली तक में हमने ग्रुप बना रखे हैं। वैसे मैं कोई राजनैतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं। आपने कहा कि स्वतन्त्र व्यक्ति जो आता है उसके कोई सिद्धान्त नहीं होते। वे कोई काम नहीं कर सकते और जनतन्त्र में यह उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां पर नहीं है, मगर मैं यही कहूंगा कि हम स्वतन्त्र लोगों की स्वतन्त्रता उनसे अच्छी है जो किसी पार्टी में होते हैं। उन कांग्रेस पार्टी के लोगों से लाख दर्जे अच्छे हैं जो कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस की खिलाफत करते हैं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ये विषयान्तर हो रहे हैं।

Page No.79

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्वयं भी समझ रहा हूं कि ये विषयान्तर हो रहे हैं। जिन माननीय सदस्य ने कुछ इन्डिपेन्डेन्ट सदस्यों के बारे में कहा उनसे स्वयं से बात कर लेते।

डॉ० बहादुरसिंह : वे किसी के अनुशासन में नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल : यह स्वतन्त्र सदस्य का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : Independents vs. Political parties......

यह आपका प्रश्न नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : मैं यह कह रहा था कि मैं उन लोगों से अच्छा हूं जिन लोगों के कोई सिद्धान्त नहीं है। दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि जनतन्त्र में माइनोरिटी का यह कर्तव्य है कि जनता के हित में अपनी रीज़नेबल राय मेजोरिटी को दें। इसलिये उनका यह कर्त्तव्य है कि वे किसी कमेटी के सदस्य बनें और उसको अपनी राय दें। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, यह साफ है कि जब आप उस व्यक्ति को जो विरोधी ग्रुप या स्वतन्त्र जीत कर आया है, जब वह उस कमेटी का सदस्य नहीं बनता है तो कमेटी में सलाह देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि यह जो कमेटियां हैं वे कुछ छोटे-मोटे फैसले अपने आप कर लेती हैं। कुछ मामले कोर्ट तक नहीं जावेंगे। इसलिए उसमें विरोधी दल के सदस्यों का कमेटी में रहना जरूरी है। अगर नहीं रहते हैं तो मैं समझता हूं कि जनतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं होता है। यहां पर आप देखिये, पी. ए. सी. और एस्टीमेट के चुनाव होते हैं तो रेश्यों के हिसाब से करते हैं। हालांकि उसके लिए कोई रूल्स नहीं हैं फिर भी विरोधी ग्रुप से आदमी लेते हैं। हालांकि कमेटी कोई फैसला नहीं ले पाती है, बाद में हाउस में फैसला लेते हैं वह उल्टा हो जाता है। कमेटी कोई फैसला करेगी तो वह बोर्ड में जावेगा और इसके लिए विरोधी ग्रुप का रहना बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ अभी माननीय सदस्य ने कहा कि उस समिति से वह आगे बोर्ड में जावेगा और वहां पर उस पर बहस कर सकते हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो बोर्ड तक नहीं जावेंगे इसलिये विरोधी दल के सदस्यों का उस कमेटी में होना जरूरी है। आज हम जानते हैं कि बहुमत का राज्य है। जिसका बहुमत होगा वही चेयरमैन बनेगा और उसी के हाथ में सत्ता रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह विरोधी दल के सदस्यों की सही भावना की कदर न करे। वह भी एक सदस्य है और विरोधी दल का जो सदस्य चुन कर आता है, वह भी एक सदस्य है। जनता ने उसको और चेयरमैन दोनों को चुन कर भेजा है। विरोधी दल के सदस्यों में ईमानदारी हो सकती है, उनके दिल में जनहित की भावना हो सकती है बनिस्वत उन लोगों के जिनके हाथ में पॉवर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब तक आप उसमें विरोधी ग्रुप का कोई सदस्य नहीं लेंगे तब तक विरोधी ग्रुप की भावना का पता नहीं लगेगा और आपको विरोधी ग्रुप की भावना की कदर करनी चाहिये। यदि हम विरोधी दल के किसी भी सदस्य को नहीं लेते हैं तो हम उस भावना को दिल से दूर रख लेते हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अभी काफी माननीय सदस्यों को इस पर प्रकाश डालना है।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत क्लॉज़ पर जो वाद-

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

विवाद चल रहा है, वह बड़े महत्व का है। जिस दृष्टिकोण से इस पर बहस की गई है, मैं समझता हूँ कि उससे समस्या का हल नहीं होता। सबसे पहले हमको इस बात को देखना होगा कि प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्त क्या हैं। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रजातन्त्र आपस में पारस्परिक सहयोग से एक दूसरे के विचारों को समझने की चीज है। हमको यह मूलभूत में बात दृष्टिगत रखनी है और उसके अनुसार हम देख कर चलते हैं तो बहुत से तरीके इस विषय में प्रस्तुत किये गये हैं और यह कहा गया है कि जिस पार्टी का बहुमत होगा, म्युनिसिपल बोर्ड में वही पार्टी कमेटी बनावेगी और कमेटी बनाते समय दूसरी पार्टी, जो अल्पमत में होगी, उन अल्पमत वालों, को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहेगी, यह बिल्कुल ठीक बात है। हम एक तरफ से जिस समय उत्तर देते हैं यही कहते हैं, कि चाहे म्युनिसिपेल्टीज़ हो, चाहे विधान सभा में हो, चाहे पंचायत में हो, प्रजातन्त्र तभी सुचारु रूप से चलेगा जब हम पारस्परिक सहयोग से काम करें और एक दूसरे को सहयोग देकर चलें। जैसा कि अभी बतलाया गया कि मैजोरिटी (बहुमत) को, अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने का अधिकार है। किन्तु जहां हम इस बात को स्वीकार करते हैं वहां हमको दूसरी बात जो अल्पमत को कहने का अधिकार है उसको हम नहीं रोक सकते हैं। जैसा अभी बताया गया कि किसी म्युनिसिपेलिटी में १५ का बहुमत था। विरोध में १४ आदमी थे। ऐसा हो सकता है कि उन २९ सदस्यों के बोर्ड में उस क्षेत्र में चुने गये उसमें जो पर्सेन्टेज़ हैं, हम अगर कल्पना करना चाहें तो ऐसी बहुत सी म्युनिसिपेलिटीज़ हमको मिल जावेंगी। १४ आदमियों को जो मत मिलें हैं वे १५ आदमियों को जो मत मिले हैं उनसे ज्यादा होंगे। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि यदि सारे मतदाताओं के मतों को जोड़ा जावे तो १४ सदस्यों को ६० पर्सेन्ट मत आ सकते हैं और १५ सदस्यों को ४० प्रतिशत ही वोट मिल सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के अन्दर हम यह तय कर दें कि यह मेजोरिटी में, समितियां में तय होगा तो हम इस बात को भूल जावेंगे कि उस म्युनिसिपेलिटी में, उस बहुमत ने, जिन्होंने उन १४ आदमियों को चुन कर भेजा है, वंचित रह जावेंगे।

३ म० प०

यह बात ठीक है, जैसा कि मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा, कि इस प्रकार प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन वाले जितने प्रदेश हैं उनका इतिहास हम देखेंगे कि एक गवर्नमेन्ट आती है और दूसरी गवर्नमेन्ट चली जाती है। हमारे यहां मूलभूत रूप में, जहां तक हमारे विधान का सवाल है, इसको स्वीकार नहीं किया है। जो ब्रिटिश प्रणाली है, जो लोकतन्त्र की प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन में हैं उसको हमारे विधान में स्वीकार किया गया है। जहां हमने उसको स्वीकार किया है हमारे आन्तरिक मामले हैं, विधान सभाओं के मामले हैं उनमें हम ये बातें देखते हैं और रूल्स ऑफ बिज़नैस में भी अनुपातिक मत प्रणाली का समावेश किया गया है। यह केवल बहुमत की इच्छा पर ही नहीं छोड़ा गया है। हमारे नियमों में यह जोड़ दिया गया है और उनका विशिष्ट निर्धान कर दिया गया है कि अनुपातिक मत द्वारा उनका प्रतिनिधित्व होगा ही। यदि इसको आवश्यक नहीं किया जाता तो मुमकिन है दो चार मतों के कारण जो सदस्य चुन कर बहुमत में नहीं आ सके उनको किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता क्योंकि

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

हमारे में वह भावना नहीं आई है कि हम दूसरों के मत को अपने में समावेश कर सकें। जो मूलभूत ईमानदारी है, जो सिद्धान्त हैं जिसके लिए हम जनतन्त्र की दुहाई देते हैं वे सारे के सारे एब्सेन्ट रहते हैं और बराबर उनकी अवहेलना की जाती है। अल्पमत को बहुमत वाले समझ सकते हैं कि चाहे एक मत से ही बहुमत में आ गये इसलिए जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ऐसे कई नगर-पालिकाओं में उदाहरण दिखाई देते हैं। किसी नगरपालिका की बैठक के लिए दस बजे का नोटिस दिया जाता है और जहां १६ की म्युनिसिपेलिटी है और ७ में मत है, वहां सात आदमी उपस्थित होंगे। दस से बारह बजे तक बैठे रहते हैं क्योंकि नौ सदस्य नहीं आये, लेकिन दूसरे दिन वह ६ सदस्य चुपके २ प्रोसिडिंग्स लिख लेते हैं, उस पर दस्तखत किया और लिख दिया कि अमुक काम रिजेक्ट किया और यह भी लिख दिया कि मीटिंग हुई। सात आदमियों ने रिप्रेजेन्टेशन किया। विधान में ऐसा नहीं था। वही प्रोसिडिंग्स प्रमाणित मानी जायगी जिसको कि चेयरमैन सर्टिफाई करेगा। चेयरमैन उसको सर्टिफाई कर देता है। चूंकि मूलभूत ईमानदारी इस जनतन्त्र प्रणाली को चलाने के लिए नहीं है इसलिए प्रावधान रखना चाहिये कि अल्पमत वाले लोगों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिये। मैं यह बात समझ नहीं सका कि एक तरफ आप पारस्परिक समान्जस्य, सहनशीलता, सहिष्णुता और शालीनता से जनतन्त्र चलाने की बात करते हैं और चाहते है कि जनतन्त्र चले, वह आप उदारता और सदाशयता से नहीं चला सकते जब तक कि आप इस प्रकार की परम्परा न करें कि चाहे विरोधी दल का एक भी आदमी हो उसका प्रतिनिधित्व उसमें रखें। यदि परम्परा आप इस प्रकार की शुरु करेंगे तो जो इस प्रकार के प्रावधान, नियमों में करते हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। जब अल्पमत बार बार पुकार पुकार कर कहता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये फिर संशक क्यों होते है कि उनको बराबर प्रतिनिधित्व नहीं देते। यह बात स्पष्ट है कि जिनका बहुमत होगा वे भी जनता से जीत कर आवेंगे। यदि जहां नगरपालिका में १६ सदस्य हैं और ६ का बहुमत आता है, ७ का अल्पमत आता है लेकिन ७ को भी तो चुन कर जनता ने भेजा है, उनका भी बराबर यह अधिकार है कि वे म्युनिसिपल बोर्ड की कमेटियों में काम करेंगे। प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से ज्यादा अच्छी जनतन्त्र प्रणाली निकली नहीं है। जो लोग चुन कर आते हैं अस्तित्व के होते हैं और आगे जाकर जब गवर्नमेन्ट फॉर्म होती है तो मैजोरिटी ग्रिन्डर करती है, एक आदमी दूसरे पक्ष में जाकर गवर्नमेन्ट को शेटर कर देता है इसलिए जितने विधान बने हैं उनमें यह प्रणाली नहीं रखी गई है लेकिन इन्टरनल कामों में, आन्तरिक कार्यों में इस प्रकार की प्रणाली रखी गई है इसलिए जनसंघ के लोग या कोई और विरोधी लोग या कांग्रेस के लोग अल्पमत में हों, उनकी उदारता, सदायशता को आकर्षित नहीं करेंगे उनकी कोमल भावना को, जिनका जनतन्त्र चलाने का उत्तरदायित्व है, उनकी भावना को प्रेरणा देकर ऊंचा नहीं उठाना चाहते तो चाहे उनका एक आदमी रहे, चाहे दो आदमी रहें, आपकी म्युनिसिपेलटी या विधान सभा चल नहीं सकती। ये सारी की सारी बातें ऐसी हैं जिनकी मूलभूत बातों को देखना होगा। डेमोक्रेसी में यदि प्रत्येक मनुष्य के अच्छे विचार हैं, उदार कल्पनायें हैं, शिक्षायें

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

हैं वे प्रकट करती हैं कि मनुष्य के अन्दर अच्छे गुण विकसित हों और सदाशयता के साथ देश का कल्याण करें। जब तक यह भावना उनमें नहीं रहेगी तब तक हम समझते हैं कि जनतन्त्र का सारा ढांचा बेकार हो जायगा। जो विरोधी दल है उनको यदि आप प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन देना नहीं चाहते, अनुपातिक मत में नहीं रखना चाहते, उनका अधिकार है और आप देने वाले नहीं हैं किन्तु उनको भी जनता ने चुन कर भेजा है चाहे वह जनसंघ के हों, चाहे हिन्दू महासभा के हों, चाहे किसी पक्ष के हों। मैं यह मानता हूँ कि सब की एक विचारसरणी होती है। जिन पार्टीज़ का अस्तित्व नहीं होता है, वे विधान सभाओं में आकर संगठन करती हैं, जिनकी जड़ें बाहर नहीं होती उनके ऊपर अनुशासन की कार्यवाही कोई नहीं कर सकता। एक मेरे लायक दोस्त ने अभी कहा कि हम उनसे अच्छे हैं। अपने ही मुंह से मियां मिट्ठू बनने की बात सब कहते हैं। अनुशासन तो उन्हीं लोगों पर है जो कि किसी पार्टी के अनुशासन में हैं। अनुशासन उन लोगों में हैं जो जनता से चुन कर आते हैं। उनका प्रोग्राम रहता है और उसके अनुसार काम करते हैं। उसके अनुसार उनको पता चलना चाहिये कि सारी बातें प्रोग्राम के ऊपर चलती हैं और पार्टीज़ का प्रोग्राम होता है और सारी कार्यवाही होती है। जैसे भी हो यदि अल्पमत वाले म्युनिसिपल बोर्ड के कार्यों में सहयोग देना चाहें तो वे आवें और सहयोग दें। वे अगर म्युनिसिपल बोर्ड की कार्यवाही को ध्वंस करना चाहें तो कर नहीं सकते। उनके कार्यों का निरीक्षण करने वाली जनता है। जनता ने ही वोट देकर उनको भेजा है। उनकी कार्यवाही जनता में प्रकाशित होनी चाहिये। यदि एक बार जनता को धोका देकर कोई आ भी गये तो वे दुबारा आ नहीं सकते, जनता को अपना मुंह दिखा नहीं सकते। हमारा भाग्य तय करने वाली जनता है और जनता जिस प्रकार कहेगी म्युनिसिपल बोर्ड में वैसा रिप्रजेन्टेशन होगा। यदि उनको उन कमेटियों में भी लिया जाय तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जनतन्त्र के मूलभूत सिद्धान्त को भी मानना चाहिये। माननीय सदस्यों ने बातें कहीं उनके तर्कों को भी मैंने सुना। वे सारे के सारे तर्क जनतन्त्र के लिये हैं, यदि जनतंत्र प्रणाली में चलें, प्रपोशनल रिप्रजेन्टेशन की प्रणाली में चलें तो इससे अच्छा रिप्रजेन्टेशन नहीं हो सकता। मैंने बताया कि एक मैजोरिटी एक क्षेत्र की रहने वाली है, अधिक तादाद में होते हुए भी कम सदस्य चुन सकती है, अधिक विचार सरणी के होते हुए भी कम सदस्य चुन सकती है। कई जगह ऐसा हुआ है। कांग्रेस के चुनावों के स्टेटिस्टिक्स मालूम हुए हैं। कांग्रेस को जो मत आये उसमें मेजोरिटी कांग्रेस की है लेकिन जो मतदान हुआ है वह दूसरी पार्टी के लोगों को ज्यादा हुआ है। अपोजिशन और कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा वोट आये हैं। ये ऐसी बातें है जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिये प्रपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन देने में हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आखिरकार पांच वर्ष में जनतन्त्र बिगड़ने और सुधरने वाला नहीं है। इसका लंबा रास्ता है सहिष्णुता के साथ परम्परायें डाली जाती हैं इस प्रकार को परम्परायें किसी बोर्ड द्वारा डाली जा सकती हों यह बात नहीं, वह तो क्लॉजेज़ के जरिये से ही इस प्रकार के प्रावधान रखे जाते हैं ताकि मैजोरिटी पार्टी माइनोरिटी पार्टी को ओवरलुक नहीं कर सके। इस सिद्धात के अनुसार सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

संशोधन प्रस्तुत किया, वह बिल्कुल उचित है उसे स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में पक्ष तथा विपक्ष में माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिले । अगर मैं यह कहूं कि सिवाय नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य के भाषण को छोड़कर बाकी के जितने भी भाषण हुए उन भाषणों की सदन को आवश्यकता थी, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी उनके भाषण के अलावा बाकी के भाषणों का स्तर भी ऊंचा था और प्रजातन्त्र के विषय में जिस प्रकार के डिबेट की आवश्यकता थी, उसी प्रकार की डिबेट आज सदन में हुई । प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तों को दोहराया गया और यह बात शैतान से चलकर बढ़ती बढ़ती फ्रान्स तक पहुँची ।

उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य, सदन में उपस्थित हैं या नहीं मुझे दिख नहीं रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : उनके भाषण को भी मान लेते तो झगड़ा नहीं रहता ।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) तो उपाध्यक्ष महोदय, यहां फ्रान्स का भी जिक्र आया, पाकिस्तान का भी जिक्र आया, इसके अलावा ऐसे देशों का भी जिक्र आया, जहां पर सरकार प्रपोर्शनेट रिप्रेज़ेन्टेशन के आधार पर बनती है तथा बिगड़ती है । प्रपोर्शनेट रिप्रेज़ेन्टेशन के सम्बन्ध में उसके क्या प्रभाव हैं, उससे क्या लाभ हो सकते हैं, उनकी क्या हानियां है उन सब बातों का जिक्र सदन में हुआ । लेकिन सब के पीछे जिन माननीय सदस्य ने इस संशोधन का विरोध किया उन्होंने विशेष तौर से एक बात को बार बार दोहराया वह बात थी, कन्वेन्शन की ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं प्रजातन्त्रीय देशों में जहां प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों के आधार पर सरकार का गठन होता है उसी के आधार पर संचालन होता है वे । बातें कुछ ऐसी हैं कि अगर उसके संचालन में एक सीधा दृष्टिकोण रखा गया तो निश्चित रूप से स्वस्थ्य परम्परायें कायम होगी, लेकिन अगर कहीं दृष्टिकोण में अन्तर आगया तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इस प्रकार के प्रजातन्त्रीय शासन में परम्परायें स्वस्थ्य नहीं होंगी । इस प्रकार की परम्परायें बन सकती हैं, बन रही हैं, जिन परम्पराओं के आधार पर कोई भी आदमी यह कह सकता है और कह सकने की हिम्मत कर सकता हैं कि सारे देश में जिस प्रकार की प्रजातन्त्रीय अवस्था के अन्तर्गत जिस प्रकार की परम्परायें पड़ती जा रही हैं उससे प्रजातंत्र पनपेगा या प्रजातन्त्र को वही हालत होगी जैसी कि पाकिस्तान में जनरल अयूब खां ने की है । मुझे इस बात को कहने के लिये संकोच नहीं होगा कि आज का सत्तारूढ़ दल जो अभिमान से यह बात कहे कि हम देश के अन्दर इस प्रजातंत्र की पद्धति को पनपा रहे हैं जिनके कारण प्रजातंत्र टिक सकेगा यह उनकी एक प्रकार से गर्वोक्ति होगी जो वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है । आज देश के नागरिकों का प्रजातंत्र की पद्धति के अन्दर जिस प्रकार का विश्वास अबतक होना चाहिये वह न होकर उसके प्रति अविश्वास सा होने लग गया है और ऐसी स्थिति शनैःशनैः बनती जा रही है । यह अविश्वास रोका नहीं गया तो इसके भयंकर परिणाम

(श्री भैरोंसिंह)

हमें भुगतने पड़ेगें। उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार परम्पराओं की दुहाई दी जाती है और यह भी कहा जाता है कि सत्तारूढ़ दल के जो उच्च कोटि के नेता हैं वे विरोधी दल की भावनाओं की कद्र करते हैं। इस प्रकार जिक्र करते हुए उन्होंने लोकसभा का जिक्र किया, हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी का जिक्र किया उनके बारे में यह भी कहा गया कि वे विरोधी दल की राय लेते हैं, विरोधी दल को कॉन्फीडेन्स में लेकर काम करते हैं। एक तरफ तो हमारे प्रधान मंत्री और दूसरी तरफ हमारे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य दोनों में कितना अन्तर है। इस प्रकार का अन्तर किस विधान सभा में हो, जिसकी राय में हो, जिनके सोचने की दायरे में हो...

श्री उपाध्यक्ष : अलग अलग विधान सभा और संसद् में हैं।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान सभा का जिक्र कर रहा हूँ। जो लोग परम्पराओं की दुहाई देते हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। अगर इस बारे में हमारे देश के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू कुछ कहें तो समझ में आ सकता है लेकिन कोई ऐसा सदस्य कहे जो उनकी तुलना में टिकता नहीं, बल्कि यह कहा जाय कि एक तरफ तो राजा भोज और दूसरी तरफ गंगू तेली तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर गंगू तेली खड़ा होकर राजा भोज की तुलना करने लग जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, सन्देह हुए बिना नहीं रहेगा। निश्चित रूप से सन्देह होगा। वह एक ऐसे महापुरुष की तुलना में खड़ा होना चाहता है जिसकी वह तुलना नहीं कर सकता, पहले तो खड़ा ही नहीं हो सकता और अगर खड़ा होने की कोशिश भी करेगा तो स्वयं अपने आप धोखा खा जायगा........

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: असफल प्रयास तो कर ही सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : वह असफल प्रयास ही तो वास्तव में घातक है, उनके लिए ही केवल घातक हो यह बात नहीं, बल्कि सारे समाज के लिये वह घातक हो सकता है। इस प्रकार के प्रयास करने वालों को हमें रोकना चाहिए। इस सम्बन्ध में झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचारधारा व्यक्त की उसका असर माननीय सदस्यों के मस्तिष्क पर हुआ होगा। आज आप राजस्थान की नगरपालिकाओं को देखें, उनकी स्थिति को देखें उन्होंने आज तक क्या क्या कन्वेन्शन रखे हैं, म्युनिसिपेलिटी में सदस्यों के नामजद करने का प्रोविजन रखा है उसके अन्तर्गत जितनी भी म्युनिसिपेलिटियां हैं वहां इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है कि केवल सत्तारूढ़ दल के ही व्यक्तियों को नोमिनेट किया जाय, लेकिन जितनी भी म्युनिसिपेलिटियों में नोमीनेशन हुआ है उसमें सभी में सत्तारूढ़ दल के व्यक्तियों को ही लिया गया है, अगर मैं गलत कहता हूँ तो माननीय मंत्री महोदय मुझे करेक्ट कर सकते हैं। वे एक भी म्युनिसिपेलिटी का नाम बतावें, १४५ नगरपालिकायें हैं, उनमें कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को नामजद किया गया हो, आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। आज आप कन्वेन्शन की बातें करते हैं जो कन्वेन्शन आपका स्वायत्त शासन विभाग डवेलप कर रहा है उससे हमें सबक लेना पड़ेगा और उसी अनुभव को काम में लेकर आगे की व्यवस्था करनी पड़ेगी लेकिन जब इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

का कटु अनुभव सामने आता है तो मजबूर होकर कहना पड़ता है कि जिन कन्वेन्शनों की बातें करनी हों, वे यहां हाउस में न की जावें। पहले स्वयं करें। उनको पहले अपने ऊपर उतारें और बाद में दूसरों से अपेक्षा करें कि वे भी उनके आधार पर आचरण करें। पर प्रश्न तो यह आता है कि स्वयं को कन्वेन्शन की परवाह नहीं, पर दूसरों से मांग करें, इस प्रकार की बात आज के युग में हर व्यक्ति समझता है और किसी भी प्रकार से इन बातों से भ्रम में नहीं आ सकता।

मैं आज, यदि यह कहूँ कि जैसे एक सदस्य ने कहा कि जो व्यक्ति माइनोरिटी में है उनको हम प्रतिनिधित्व क्यों दें, उनका सार कहने का यह था कि जो अल्पमत में हैं उनको यदि रिप्रेजेन्टेशन दिया गया तो वे झगड़ा पैदा करेंगे। मैं यह कहूँ कि यदि अल्पमत से झगड़ा पैदा होता है तो आपकी सरकार को चाहिए कि जिस समय चुनाव हो जावें, जिस पार्टी का उसमें बहुमत हो जाये, वह पार्टी सत्र से पहले यह डिसीज़न ले कि जो अल्पमत में आये हैं उनको कोई अधिकार नहीं, वे न इस विधान सभा के, न नगरपालिका के और न उनकी किसी कमेटी के सदस्य रह सकते हैं, तो बात समझ में आ सकती है। यदि झगड़े का डर है तो उनको मूल से ही दूर कर दो। आगे जाकर झगड़ा बढ़े इसकी चिन्ता न करें, जहां से झगड़ा पैदा होता है उसके मूल में आघात करना चाहिए। पर हम मेम्बरों को हटा नहीं सकते : तो झगड़े को भी हमें एप्रिशियेट करना होगा। अगर किसी कारण से वह किया गया है। वह कारण जनहित में हो; समाज का उससे भला होने वाला हो तो वाद-विवाद का झगड़ा, उससे काम हल हो तो निश्चित रूप से हमें झगड़ा करना पड़ेगा, करते हैं, पहले भी हुआ था। हमें इसमें गर्व का अनुभव होगा। एक जेब कतरे प्रोफेसर को राजस्थान सरकार ने नियत किया। हमने झगड़ा किया। करेंगे और आगे भी करते रहेंगे जब तक ऐसे जेब कतरे राजस्थान सरकार में से नहीं निकाल दिये जावेंगे।

(करतल-ध्वनि)

यदि राजस्थान के लोगों की भलाई के मामलों में सरकार कोई झगड़ा करे तो हम यह झगड़ा करने में अपना सौभाग्य समझेंगे और झगड़ा करेंगे और लगातार करते रहेंगे, नाथद्वारा के मामले को लेकर यदि राजस्थान की इस सम्पत्ति को बचाने की बात पर झगड़ा हो, जिन्होंने उस सम्पत्ति को हज़म कर लिया है और करने की चेष्टा करें उनसे वह सम्पत्ति निकालने की बात पर अगर झगड़ा हो तो हम झगड़ा करेंगे, उसको राजनैतिक झगड़े की बात कहकर दबाने की चेष्टा करेंगे या दबाना चाहेंगे तो मैं कहूँगा हम जरूर झगड़ा करेंगे। हमारा यह अधिकार झगड़ा करने का है और तब तक करते रहेंगे जब तक कि वह सम्पत्ति हज़म होने से बचा न ली जावेगी हम इन बातों पर झगड़ा करेंगे। हमें इस बात की चिन्ता नहीं कि हमारे सामने कौन सी सरकार है, क्या है। अगर वह झगड़ा करेगी तो हम भी झगड़ा करेंगे। और अगर यह झगड़ा वे नहीं चाहते तो म्युनिसिपेलिटी से हम लोगों को बाहर निकालें या राजस्थान विधान सभा के बाहर निकालें। हमें यहां जनता ने भेजा है और जनता की मांगों को सरकार के सामने रखने के लिये भेजा है। आपके बहुमत के जितने बुरे कारनामे हैं उनको जनता के सामने रखने के लिये जनता

(श्री भैरोंसिंह)

ने हमें यहां भेजा है तो कहिये अगर झगड़ा इसमें खड़ा होता है तो हम अगर इससे बचना भी चाहें तो नहीं बच सकते।

शैतान वाली कहावत कही थी एक मेरे माननीय सदस्य ने। अगर आप अपना मुंह आइने में देखें तो पता लगेगा कि शैतान किस प्रकार की बात करता है। वह कहने वाला उस आइने में स्वयं शैतान मालूम होता है या जिन पर इल्जाम लगाया जाता है वह मालूम होता है? पर अफसोस यह है कि वाजिब बात वे स्वीकार नहीं करना चाहते। यदि इस प्रकार की बात कहीं जावें तो उसे तोड़ मरोड़ कर रखना जानते हैं। अफसोस इस बात का है कि हम अल्पमत वालों को वे कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं दें। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी सदन में जब उसके कुछ सिद्धान्तों के बारे में बात हो रही थीं कि अल्पमत को क्यों इन कमेटियों में प्रतिनिधित्व दिया जावे, एक सदस्य ने इसकी धारा ७० का हवाला दिया जिसके अन्दर उल्लेख यह है कि "Every Committee shall conform to any instructions that may from time to time be given to it by the board"

तो यह कहने से शायद उनका तात्पर्य यह था कि जो कमेटियां बनेंगी, उनके जितने भी फंक्शन्स होंगे, उनके द्वारा जितनी कार्यवाहियां होंगीं........

श्री पी० के० चौधरी : पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर। यह अमेन्डमेन्ट कमेटियों के लिये नहीं है, ओनली फोर दी एग्जीक्युटिव ऑफ दी बोर्ड के लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात का भ्रम हो जावे और यह भ्रम होना स्वाभाविक भी है क्योंकि इस बिल के सम्बन्ध में जो ओरिजिनल बिल मूव हुआ है उसमें स्टेच्यूटरी कमेटी का जिक्र नहीं था, इसलिये भ्रम यह रहा कि इसका तात्पर्य एग्जीक्युटिव कमेटी से है। पर जब सरकार ने और विशेष तौर से हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने जो अमेन्डमेन्ट हमें सर्क्युलेट किया है उसकी मंशा यह कि सरकार ने स्टेच्यूटरी कमेटी के बनाने का सिद्धान्त स्वीकार किया हैं और इसके अनुसार वह ५ स्टेच्यूटरी कमेटी बनाने को तैयार हैं। एक फाइनेन्स कमेटी, दूसरी हैल्थ और सेनीटेशन कमेटी, तीसरी बिल्डिंग और पब्लिक वर्क्स कमेटी, चौथी रूल्स और बाई लॉज कमेटी और पांचवीं पब्लिक कन्वेयन्स कमेटी का प्रोविजन रखा गया हैं। इस प्रस्ताव को मूव करने वाले हैं राजस्थान के माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री बद्रीप्रसाद जी गुप्ता हैं।

इससे ऐसा लगता है कि, लगता ही क्या हैं बल्कि स्पष्ट है कि उन्होंने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है, स्टेच्युटरी कमेटी के बनाने का। और अमेन्डमेन्ट को भी अच्छी तरह देखा जावे तो वह भी इन कमेटियों के सम्बन्ध में है जो बोर्ड द्वारा बनाई जा सकती हैं। तो बोर्ड के द्वारा जो भी कमेटियां बनाई जावें चाहे वह स्टेच्यूटरी हों चाहे बोर्ड अपनी मर्जी से बनावे, कोई भी कमेटी हो उसमें प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन के आधार पर इलेक्शन हों इस प्रकार का वह संशोधन हैं। पर जो बातें बार बार कही गई यदि मैं उनका हवाला दूँ और यह कहूँ कि हमने बोर्ड को कुछ पॉवर दिये हैं, बोर्ड अपनी मर्जी से इस प्रकार की कमेटियों को कन्स्ट्रक्ट करके सुपरविजन करेगा, बोर्ड

(श्री भैरोंसिंह)

इनमें अपना डिस्क्रेशन यूज़ कर सकता है पर यहां प्रश्न है डेलीगेशन ऑफ पावर का। बोर्ड में एक पार्टी की मेजोरिटी है वह कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसके बाद में पॉवर्स डेलीगेट की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह नगरपालिका का प्रश्न है। नगर उत्थान का, उसके भले का प्रश्न है और नगर में रोजमर्रा की दिक्कतों को दूर करने का प्रश्न है, इसमें एक एक व्यक्ति दिलचस्पी रखता है। आज राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उनमें जो विकास समितियां हैं उन विकास समितियों के फंक्शन्स देखे जावें तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि दुर्भाग्य से कई ज़िलों में विरोधी दल के लोग नहीं पहुँचे हैं और चूंकि विरोधी दल के लोग उनमें नहीं पहुँचे, इसलिये उनमें सरकारी रूख के अलावा दूसरे रूख का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। आज मन्त्रीजी, या उपमन्त्रीजी या सत्तारूढ़ दल के कोई भी व्यक्ति बाहर के गांवों में जाकर देख लें। एक तस्वीर निश्चित रूप से उनके सामने आवेगी। जिस गांव में जो व्यक्ति चुनकर आयें उसके अलावा विरोध में वोट देने वाले हैं उनका किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है। एक फीलिंग निश्चित रूप से हमारे देखने में आती है कि जिसने उनका, सरकारी पक्ष वालों का वोट नहीं दिया, उनका कोई भी विकास का काम नहीं होनी चाहिये। मैं स्वायत्त शासन मन्त्री या उपमन्त्री या सरकार के कोई भी प्रतिनिधि हों, उनको आमन्त्रित करता हूँ; राजस्थान का ऐसा कोई भी गांव वे स्वयं निकाल लें, कुछ एक क्षेत्र को छोड़कर, एक गांव वे निकाल लें, अपने आप निकाल लें, और उसमें देखें कि आपके विरोध में वोट देने वाले थे उनका किस प्रकार से विकास जो हुआ है। राजस्थान की सभी विकास समितियों में ये बतावें........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोगों का विकास कहां हुआ है ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो सब जगह होता है। राजस्थान की विकास समितियों में सब ये ही हैं। तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका के जो फंक्शन्स हैं रोज़मर्रा के काम से सम्बन्धित हैं। अब हमने हैल्थ कमेटी बनाई। उसका काम है सफाई करने का, बीमारियों को दूर करवाने का या शहर के नागरिकों की हैल्थ सम्बन्धी व्यवस्था करने का। उपाध्यक्ष महोदय, उस कमेटी में ऐसे लोगों का बहुमत है जो एक पार्टी के हैं। अब सबसे पहले प्रश्न आवेगा उनके सामने कि जिस वार्ड से हम चुन कर आये हैं उनकी हैल्थ का प्रबन्ध करें, उसके अन्दर ही कोई सफाई करावें। उनमें अगर बिजली की व्यवस्था करनी है तो वह करें, वहां डिस्पेन्सरी खोलनी है तो वह खोली जावे, दूसरे पक्ष से चुनकर आने वाले लोगों के वार्डों की उनकी चिन्ता नहीं, उनको चिन्ता है केवल मात्र अपने वार्डों की। यह स्वाभाविक है। यह मनुष्य की वीकनैस है। जो ऑब्लीगेशन दूसरों का वोट के रूप में उनको मिलता है उसको वापिस चुकावें और यह चुकाया इस तरह से जाता है विकास सम्बन्धी काम उनके हल्के में कराके या कमेटियों के जरिये जो वोट के द्वारा उनको वहां फंक्शन करने का अधिकार मिला है, उन फंक्शन्स के जरिये। और यह मनुष्य की वीकनैस है। आज चाहे कोई भी बड़े से बड़ा डेमोक्रेट हो वह भी यही कहता पाया जावेगा कि वह अपने वोटरों की तरफ बाकी के वोटरों से ज्यादा ध्यान दें। इसलिए स्वाभाविक है कि नगरपालिका के अन्दर ऐसे कई सदस्य आते हैं

(श्री भैरोंसिंह)

वहां बहुमत ऐसी पार्टी का होता है जिस पार्टी को एक क्षेत्र के वोट मिले है और दूसरे से नहीं मिले और कोई विरोधी पक्ष का सदस्य जीता है तो विरोधी दल का आदमी उस नगरपालिका से अपने क्षेत्र का काम नहीं करा सकता और यदि यह चीज़ देखनी है तो आप जयपुर की नगरपालिका के अन्दर पहुँच जाइये वहां जाकर देखें कि जिस क्षेत्र से विरोधी दल का सदस्य जीता है, उस जगह पर कितनी टूटियां लगीं हैं वहां कितने बिजली के लट्टू लगे हैं और बाकी के जो सत्तारूढ़ दल के ह उनके क्षेत्रों में कितना काम हुआ हैं। हमारे यहां जयपुर का आदर्शनगर है जिसमें शरणार्थी रहते हैं और जो शरणार्थियों की बस्ती है उसके अन्दर क्या काम हुआ हैं, सउकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसी तरह से उनके विकास का काम नहीं होता हैं। वहां किसी चीज का इन्तजाम नहीं होता। न वहां लाइट लगाई जाती हैं और न रोड्स बनाई जाती हैं, सब का सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यह सब इसलिए कि वहां के लोगों ने वोट कांग्रेस के पक्ष में नही दिये। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कमेटीज़ बनती हैं उसमें वह सदस्य ले लिये जाते हैं तो उनमें सरकार को हिच क्यों होती है। वहां पर जो भी सदस्य विरोधी दल के चुनकर जाते हैं उनमें एक चला गया, दो चला गया, तीन चले गये वह इस नियत से नहीं जाते कि हम अपना घर भर लें और यदि इस नीयत से जाते हैं तो फिर सारे बोर्ड के ही सदस्यों की इस प्रकार की नीयत होगी। डेमोक्रेसी के अन्दर वाच डोग का काम एक प्रकार से विरोधी दल करता हैं। विरोधी दल इसलिए होता है कि बहुमत के जोश में कोई बुरा काम न कर दें कोई गलत कदम न उठा दें, उसको रोकने के लिए समय समय पर समझाने के लिए उनका विरोध करके सही स्थिति बनाई जाये और इसी कारण उनका विरोध किया जाता है। प्रजातंत्र के अन्दर जो सत्तारुढ़ दल होता है उसका प्रथम कर्तव्य और धर्म हो जाता है कि वह विरोधी दल के सदस्यों का भी विचार करता रहे। विरोधी दल के भी विकास का ध्यान उसे पूरा पूरा रखना चाहिए और प्रजातांत्रिक सिद्धांत के ऊपर सहयोग दें। लेकिन राजस्थान के अन्दर बिलकुल एक विपरीत परिस्थिति चल रही है। उसको लेकर मुझे भय है कि हमारो राजस्थान सरकार ने जहां जनता ने नॉमिनेशन का विरोध किया है, मैं समझता हूँ कि विधान सभा में कुछ अंशों में इस बात को स्वीकार किया गया है कि सरकार की तरफ से नगरपालिकाओं में सदस्यों की कोई नामजदगी नहीं होगी। ऐसा रुख हमारे सामने आया। तो ऐसी स्थिति में जब कि नामजदगी नहीं होगी तो फिर सरकार का मर्जी के आदमी कैसे आयेंगे। तो कुछ ऐसा लगता है कि नगरपालिका के अन्दर जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, शहरों में जहां पोपुलेशन ज्यादा पढ़े लिखों की होती है, जहां पर जनता सरकार के कामों को देखती है, समाचारपत्रों को पढ़ती है और जहां सरकार की आलोचना भी करने वाले होते हैं और इस तरह से अगर राजस्थान का नक्शा देखा जाये तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस को बहुमत इसलिए ही मिला कि वहां नामजदगियां हुई हैं। इस बैकडोर एन्ट्री के कारण से हमारी सरकार को सत्ता प्राप्त हुई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने सोचा कि जब कि नामजदगी से सदस्य नगरपालिका में नहीं रखे जायेंगे तो फिर और कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना चाहिए। वह यह कि इस प्रकार की कमेटीज बना लो जायें कि बहुमत के आधार पर उनको पॉवर्स डेलीगेट कर दीं जाये और बोर्ड अगर

(श्री भैरोंसिंह)

चाहे तो उनको डाइरेक्शन्स इशु करे। आज एक जगह सफाई का काम करवाने के लिए दस हज़ार रुपये खर्च करने के लिए एक कमेटी बनाई। अब कोई उनको डाइरेक्शन दे जिसमें कि कांग्रेस का बहुमत है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि उस बोर्ड के सामने दरख्वास्त पेश करें। लेकिन होगा क्या कि बोर्ड कोई उनकी बातों को ठुकरायेगा और ठकुरायेगा इसलिए कि वह अल्पमत में है। उन विरोधी सदस्यों न तो बोर्ड के रिप्रेजेन्टेटिव हैं और न कमेटी के। इस तरह से राजस्थान के अन्दर तो कम से कम सरकार परम्परा कायम न करें। मुझे तो उनके इस प्रकार के जनतांत्रिक तरीकों के ऊपर तरस आता है। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। इतना जरूर जानता हूं कि अगर अल्पमतवालों को भी अगर रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा तो आपका प्रजातंत्र गिरेगा नहीं, इसके ऊपर कोई आघात होने वाला नहीं है। लेकिन प्रजातंत्र की प्रणाली स्वीकार करके राजस्थान की जनता बाकी दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में गर्व से आगे आकर कहेगी कि प्रजातंत्र के विकास में जो विरोधी दल का महत्व होना चाहिए, उसको स्वीकार किया और हर क्षेत्र में चाहे पंचायत हो, नगरपालिका हो, विधान सभा हो, प्रत्येक क्षेत्र में विरोधी दल को पनपाने का अवसर दिया है। अब नगर पालिका के ऊपर आपका कब्ज़ा रहता है या नहीं इसकी आवश्यकता नहीं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि पाली की कांग्रेस नगरपालिका है उसमें अगर कोई विरोधीदल का सदस्य होता तो वहां पर एक लाख रुपये की कीमत की जमीन १०,००० रुपये में नगरपालिका ने डिस्पोज़ ऑफ कर दी, वह नहीं होती। ६०,००० रुपये की जनता की बचत होगी, सरकार की बचत होती अगर वहां पर कोई विरोधी दल का सदस्य होता। लेकिन वहां पर विरोधी दल नहीं था और विरोधी दल के नहीं होने के कारण ऐसा हुआ उस जमीन को लेने वाले कोई गरीब जनता के लोग नहीं है, उसको लेने वाले कोई साधारण व्यक्ति या नागरिक नहीं हैं, उसको लेने वाले कोई हरिजन नहीं है, लेकिन उसको लेने वाले हैं राजस्थान विधान सभा के दो सदस्य यदि इसके लिए कोई पूछना चाहे तो मैं प्रमाण भी रखूं कि उन्होंने किस प्रकार से इस जमीन को अपने अधिकार में ली है...

कुछ माननीय सदस्य : नाम तो बता दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं नाम नहीं बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए मैं माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि कृपया ऐसी स्थिति से वंचित रहें।

श्री भैरोंसिंह : मैं नाम नहीं बता रहा हूँ।

कुछ माननीय सदस्य : नाम बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : No, No Please I will not allow the name to be mentioned.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय सदस्य ने यह बात बिलकुल गलत कही है कि पाली के अन्दर कांग्रेस की नगरपालिका है।

श्री गिरधारीलाल : कांग्रेस का बहुमत तो है।

श्री भैरोंसिंह : नगरपालिका तो चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा होती है वह कांग्रेस की हो या किसी और दल की, इसकी परिभाषा तो...........

श्री पूनमचंद बिश्नोई : आपने यह इम्प्रेशन दिया कि वहां कांग्रेस की नगरपालिका है और कांग्रेसी बहुमत है और वहां कांग्रेस का ही चेयरमैन है, यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा मुश्किल यह है कि किस नगरपालिका को कांग्रेस की नगरपालिका कही जाये...

श्री रावतराम : जो जनता द्वारा चुनी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने कांग्रेस की नगरपालिका की परिभाषा ठीक तरह से कर दी........

श्री उपाध्यक्ष : मेरा विश्वास है कहीं हम परिभाषा पर ही सीमित न रह जाएं हमें विषय पर चलना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि जहां तक माननीय सदस्य का भाषण है वह अच्छा है, मगर माननीय सदस्य ने यह कहा है और जो चार्ज सदन के एक सदस्य या दो सदस्य पर या कुछ सदस्यों पर लगाया तो एम. एल. एज़. पर यह एक तरह का चार्ज यहां विधान सभा के सारे सदस्यों पर लगाता है इसलिये या उन सदस्यों का नाम बताना जरूरी है नहीं तो फिर यह जो चार्ज लगाया है इसको वापिस लेना जरूरी है। और जिसका नाम आप बतायेंगे उनको यहां पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा वरना माननीय सदस्य को चार्ज वापिस लेना पड़ेगा। इसलिये या तो वह नाम लें और यदि वह इस स्थिति में नहीं हैं तो उनको चार्जेज वापिस लेने चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : I think the point raised by Hon. Member is very appropriate and it should be done. There should be on doubt left in the minds of the members of the House that one of them is involved in such a transaction and that member concerned should be given an opportunity to clarify his poosition.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा इसके विषय में अर्ज कर दूं...

कुछ माननीय सदस्य : उनका नाम बताइये...

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री भैरोंसिंह : नाम तो बता दूंगा लेकिन मैंने यहां आंख पसार कर देख लिया कि वह दोनों सदस्य यहां नहीं हैं नहीं तो मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं होता।

कुछ माननीय सदस्य : फिर भी नाम बता दीजिए।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : If the member is not present, he is present through the Chair and any insinuation upon a member of this august House must be cleared and he must be given an opportunity to rebut it and give his explanation as he is entitled to give an explanation of the charge which is levelled against him. If he comes on any other day, he should be asked if he wishes to explain it.

३. ४० म० प०

श्री महेन्द्रसिंह पवार (अजमेर पूर्व) : I draw your attention to Rule 223;

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

sub-clause (2). The Speaker may prohibit any member from making any such allegation...Here the Deputy Speaker has prohibited the Hon. Member from making any personal allegation and no question of taking any explanation arises.

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था है कि यदि माननीय सदस्य इस विशेषण को वापिस लेने पर मुस्तैद है तो दूसरी स्थिति है, और नहीं तो माननीय सदस्य जिनके संबंध में यह बात कही गई है उनके नाम का यहां पर उल्लेख सदन में कर दें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं पहले भी बता रहा था........

एक माननीय सदस्य : विद्ड्रॉ कर लें।

श्री भैरोंसिंह : विद्ड्रॉ करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

अनेक माननीय सदस्य : नाम बतायें।

श्री भैरोंसिंह : आप चिन्ता नहीं करें। मैं नाम बता रहा हूं। मैं पहले भी नाम बता रहा था, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति नहीं मिली थी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस स्थिति को विषय नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आप आगे आरंभ रखें।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन मुझें सारी घटना बतानी पड़ेगी।

अनेक मनानीय सदस्य : घटना नहीं, नाम बताइये।

श्री भैरोंसिंह : नाम बता रहा हूं। नाम हैं, एक सदस्य हैं श्री शंकरलाल एम. एल. ए. और एक सदस्य हैं श्री मनरूपराम जी दोनों सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Shankar Lal and the other one Shri Manrup Ram.

श्री भैरोंसिंह : जिस समय चाहें, उपाध्यक्ष महोदय, वे अपना एक्सप्लेशन दे दें। वह घटना मामूली घटना नहीं है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में वे जांच करें। जांच करने से उन्हें पता लगेगा कि मैंने जो कुछ कहा है वह थोड़ा हो सकता है। कम ही हो सकता है मैंने जो कुछ कहा है। लेकिन यदि वे जांच करें तो मैंने जो फेक्टस दिये है, उससे ज्यादा फेक्ट्स उसमें होंगे कि किस प्रकार से जमीन पर अधिकार प्राप्त किया है। चूंकि वे यहां नहीं हैं, मैं इस संबंध में विशेष कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुझे फिर मौका मिलेगा जिस समय कि वे अपना एक्स्प्लेनेशन देगें अपनी स्थिति को साफ करने का तब।

श्री उपाध्यक्ष : I mean Shri Manroop Ram who belongs to the opposition ?

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि उन्होंने चार आने की सदस्यता का कांग्रेस का फॉर्म भर दिया है। अपोज़िशन से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करें।

श्री श्रीभानसिंह : It is not a question whether one belongs to Congress or whether he is proportionally represented by the opposition, but both are Hon'ble Members and belong to this House Sir.

श्री भैरोंसिंह : (जारी) मैं निवेदन कर रहा था कि आज ऐसी स्थिति के अन्दर हमें इस बात को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि इन नगरपालिकाओं की जो कमेटियां निर्माण की जाती हैं उनमें अल्पमत के प्रतिनिधित्व की इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते है या नही। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यहां पर नगरपालिका को चेन्ज करने का, प्रश्न नहीं है। एक कमेटी में विरोधी दल के सदस्य यदि किसी प्रकार से चले जाते हैं तो वे कमेटी के काम में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे या कमेटी को आउट कर देगें या उसके कारण से नगरपालिका भंग हो जायगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात नहीं है। जिस प्रकार की कल्पना माननीय सदस्य जिन्होंने इस बात का विरोध किया है अपने दल की किया करते है उसी प्रकार की कल्पना हमारे दल के लिए भी करने का अधिकार है। हम भी यह विश्वास करते हैं कि यदि नगरपालिका में जाकर कांग्रेस और जनसंघ ने इस प्रकार की बातों पर विचार करना शुरू किया तो निश्चित्‌रूप से नगरपालिका का नुकसान होगा, हम भी इन चीजों में विश्वास करते है कि नगर के कामों में राजनीति के आधार पर कोई करता है तो निश्चित् रूप से राजनीति का नुकसान होगा। उस राजनीति द्वारा जिस समाज की वे सेवा करना चाहते है उस समाज का नुकसान होगा जो कल्पना आप अपने दल के लिए करते हैं हमारा भी अधिकार है कि हम भी इस प्रकार की कल्पना करें। आज उनके दिमाग में केवल इतनी सी बात ही है कि विरोधी दल को मौका देने से या अमुक कमेटी में रखने से नगरपालिका का काम अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के बारे में इस प्रकार की आशंका उसके दिमाग में होना, यह किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। उनको अपने मस्तिष्क को साफ करके उन को इस बात की चिन्ता करनी चाहिए कि हम विरोधी दल को मौका दें हमारी कमेटी में आने का, हमारी नगरपालिका में आने का और अपनी बातें रखने का, जनता की आवाज उनके कानों तक पहुंचाने का। यदि इस प्रकार की बात नहीं हुई, इस प्रकार की स्थिति नहीं आती है, तो मुझे भय है कि जो लोग कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कि झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कई बार ऐसा हो जाता है कि नगरपालिका में बहुमत किसी पार्टी का है लेकिन वोटों की कुल संख्या देखी जाय तो अल्पमत को ज्यादा वोट मिले हैं। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है तो मैं यह कहता हूं कि बहुमत विरोधी दल के साथ में है, इसलिए नम्बर ज्यादा होने के बावजूद जो जिस पार्टी के मेम्बर ज्यादा है और वोट कम मिले हैं वह पार्टी नगरपालिका के काम को अपने हाथ में नहीं ले सकती है। मैं समझता हूं यह बात बिल्कुल असंगत होगी। हम इस बात में विश्वास नहीं करते हैं। हम कम से कम उस सिद्धान्त की कद्र करते है कि जनता का चाहे बहुमत विरोध में है इस नाते यह हो जाना चाहिए कि अल्पमत वाले बोर्ड में कम संख्या के अन्दर है उनकी कद्र करें और कद्र करने के साथ साथ उनको मौका दें अपनी बात को रखने का, और मौका मिलता है तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे विरोधी दल बिखरा हुआ है, विरोधी दल में प्रजा प्रगतिशील दल, रामराज्य परिषद्, जनसंघ अलग अलग दल हों, लेकिन ऐसी स्थिति के अन्दर जितनी कार्यवाहियों में विरोधी दल का सहयोग चाहिए, उतना सहयोग हर समय मिलता रहेगा। नगर के विकास के संबंध में होने वाली कार्यवाही में निश्चित् रूप से सहयोग मिलेगा, लेकिन जमीन हड़पने के मामलों

(श्री भैरोंसिंह)

में, पैसे का दुरुपयोग करने के मामलों में मैं स्पष्ट कर दूँ, उन काम में सहयोग नहीं मिलेगा बल्कि उन कामों को रोकने की कोशिश की जायगी, कोशिश करते रहेंगे और करते जायेंगे।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

ऐसी स्थिति के अन्दर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ कहा है उसका असर निश्चित् रूप से नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य पर पडेगा, हालाकि सबसे पहले जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था तो यह कहावत कही थी कि शैतान भी कुरान की आयतें पढने लगा.... ...

श्री उपाध्यक्ष : उसका जवाब आपने बाद में राजा भोज और न जाने क्या क्या कह कर दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : यह केवल उनकी अदम मौजूदगी में था। अब एक प्रकार से वे अपनी मौजूदगी में सुन लें।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि यदि कोई भला आदमी यह कहे कि यह आपकी भलाई की बात है यह समझ में आ सकती है, लेकिन जहां शैतान ही कहे कि शैतान कुरान की आयतें पढ़ता है, इस प्रकार की बात ऐसे ढंग से निकले तो कुछ समझ में नहीं आता है...

श्री उपाध्यक्ष : अब मेरा विश्वास है कि इस प्रश्न पर अधिक न बोलें, क्योकि वह ढंग बेढंग का होता चला जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : एक मौलाना साहब कुरान की आयतें पढ़ते थे और उन्होंने यह देखा कि कुरान की आयतें पढ़ा कर एक शैतान को दुरुस्त किया जाय। एक आयत पढ़ी, दूसरी आयत पढ़ी, और तीसरी आयत में शैतान का उल्लेख आ गया तो जो सामने शैतान बैठा था उसने पूछा कि इसमें क्या लिखा है और शैतान किस तरह का होता है? तो मौलवी साहब ने कहा कि शैतान बदसूरत होता है। उसने पूछा कि शैतान और किस तरह का होता है........

श्री उपाध्यक्ष : I hope you relaxing the House. Is that the intention? Otherwise it is not al all relevant.

श्री भैरोंसिंह : किसी भी तरह से जब मौलाना साहब के सामने शैतान बैठा था, उसको क्वीन्स करा दिया कि जो शैतान के अन्दर गुण होने चाहिए वह जो सामने बैठा है उसमें भी हैं और जब शैतान के सामने कोई रास्ता नहीं रह गया तो उसने गुस्से में आकर कहा कि आप भी शैतान है। आखिर किसी भी प्रकार से हो जो शैतान है वह शैतान है ही और मौलाना मौलना ही है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सामने बैठे हुए हैं शैतान।

श्री भैरोंसिंह : शक्ल सूरत बहुत अच्छी है।

(हसी)

श्री उपाध्यक्ष : मुझ पर इसकी व्यवस्था छोड दीजिये।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था माननीय मंत्री जी से कि सदन के अन्दर जिस प्रकार के भाव प्रकट किये गये हैं प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर, उन बातों को

Page No.94

(श्री भैरोंसिंह)

ध्यान में रख कर अपना भाषण देंगे और सदन से इस प्रकार की अपेक्षा करेंगे कि जिस प्रकार का भाषण वह सदन के अन्दर दें उसमें अल्पमत की व्यवस्था करें तो निश्चित् रूप से उनके भाषण का सहयोग देगा। यही शब्द में अपने भाषण के द्वारा प्रस्तुत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस पर काफी बहस हो गई है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलालजी इतना आवश्यक नहीं होगा यदि आप नहीं बोलें तो।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) **:** मैं सिर्फ १० मिनिट ही बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, धारा ६७ में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उस संशोधन का मैं समर्थन करता हूँ। इस बिल की धारा ६७ के अन्दर यह बताया गया है कि म्युनिसिपेलिटीज़ के अन्दर जो कमेटीज़ बनाई जायेंगी वे बहुमत की होंगी और इस आधार पर जैसा चाहेंगे वैसी कमेटीज़ बनायेंगे। लेकिन माननीय सदस्य ने अपने संशोधन में बताया है कि दूसरे जो विरोधी दलों के सदस्य होंगे उनको भी इन कमेटीज़ में शामिल करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्षजी, जब कि सारे हिन्दुस्तान में हम लोग यह आवाज़ उठाते हैं कि सारे हिंदुस्तान में हम समाजवाद को लाना चाहते हैं और जो शासन चलाया जाय वह ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलाया जाना चाहिये......

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सारे संसार की आवाज़ हो रही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : धीरे-धीरे सब बता देता हूं।

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हर बात में चीफ मिनिस्टर साहब का यह कहना है कि धारा सभा के मेम्बर्स और जनता को आवाज उठानी चाहिए कि मिल जुल कर देश के काम में हाथ बंटाना चाहिये। लेकिन जब आगे हाथ बढ़ाने का प्रश्न पैदा होता है और धारा सभा में इस तरह का कानून बनाने जा रहे हैं, इसके अन्दर आज इस तरह की चीज़ न हो और सिर्फ भाषण देने की चीज हो तो कहां तक उचित होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यदि सही मायने में जैसा कि आज जनता के सामने, राजस्थान के अन्दर पंचायतों के अन्दर जिस तरह का मन्त्रीजी ने उदाहरण पेश किया है उस तरह से सब लोगों को साथ लेकर चलने में क्या आपत्ति होती है? माननीय सदस्यों से यह मेरी प्रार्थना है कि मनुष्य मात्र तो एक ही है वे लोग भी मनुष्य हैं और हम लोग जो अपोज़िशन में हैं वे भी मनुष्य हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है........

एक माननीय सदस्य : रंग भेद है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह तो मेरे अकेले का है।

श्री उपाध्यक्ष : रंग भेद ज़रूर है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : म्युनिसिपल बोर्ड में........

श्री उपाध्यक्ष : आप तो विधान सभा की बात करिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सदस्यों को यह चाहिये कि जो कमेटीज़ म्युनिसिपेलटी में बने और जो कानून बनाने जा रहे हैं उसमें विरोधी सदस्यों को उन कमेटीज़ में अनुपम अनुपात से रखा भी जायगा तो उसमें झगड़ा क्या होगा । काम ज्यादा होगा । उस म्युनिसिपेलिटी के अन्दर जितना काम होना चाहिये उससे ज्यादा काम होगा, यदि ये लोग काम नहीं करेंगे तो ....

श्री उपाध्यक्ष : ये सब बातें दूसरे सदस्य कह चुके हैं । कोई नवीन बात हो तो बतावें ।

श्री भैरोंसिंह : रूस का तजुर्बा पूछा जावे ।

डॉ० बहादुरसिंह : वहां पर म्युनिसिपेलिटीज़ हैं ही नहीं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां पर म्युनिसिपेलिटीज़ तो हैं लेकिन विरोधी दल नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करेंगे तो अच्छा होगा । दूसरे मौके पर अधिक बोल लें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : गैर शब्द मैं एक भी नहीं बोलूंगा । तो माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मन्त्रीजी से और माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि दूसरे सदस्यों को भी साथ रखने का माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उस संशोधन को मानना चाहिए और कितना काम करते हैं विरोधी दल वाले इसको भी देखना चाहिये । इसलिए इस संशोधन को मंजूर करना चाहिए । यदि इसमें कुछ कमी-बेशी हो तो मन्त्रीजी बैठकर उसे तय करलें, लेकिन चीज अवश्य रहनी चाहिये, उनको मौका दें । यह देश का काम है । बदलती हुई दुनिया है, और कोई काम हो

(हंसी)

तो मौका न दें लेकिन यह तो खुद का काम है । पांच छः कमेटीज़ बनती हैं, कोई बिल्डिंग्ज़ की कमेटी बनती है, कोई सड़क की बनती है, तो कोई बिजली और पानी के लिये बनती है, तो कोई सफाई के लिये बनती है, इनमें काम करने का मौका उनको भी सरकार दे तो इसमें क्या बुराई है । अन्त में तो जिनका बहुमत होगा उनका चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन होगा लेकिन कमेटीज़ में उनको मौका नहीं दिया जाय यह कहां तक उचित होगा, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister-in-charge of the Bill.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रपोर्शन रिप्रेजेन्टेशन के सम्बन्ध में अमेंडमेंट रखा गया और उस पर काफी विचारपूर्ण और भावपूर्ण भाषण हुए.......

श्री उपाध्यक्ष : रोषपूर्ण भी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) जी हां, रोषपूर्ण भी हुए । इस प्रश्न पर थोड़ी गहराई और गंभीरता से विचार करना चाहिये दो बातें इस सम्बन्ध में कही गईं । माइनोरिटीज़ के जो फंक्शन्स हैं और उनके जो कर्त्तव्य हैं उनको निभाने के लिए उनको सब-कमेटीज़ में या जो कमेटीज़ बनती हैं उनमें रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये । और दूसरी बात यह

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कही गई कि माइनोरिटी का सहयोग प्राप्त करना मैजोरिटी का फर्ज है इसलिए माइनो-रिटी को प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन के जरिये स्थान मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो बेसिक बात है कि हम हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र को चलाना चाहते हैं तो अब सवाल यह है कि मैजोरिटी और माइनोरिटी के फंक्शन क्या हैं और जिम्मेदारियां क्या हैं और उनको निभाने के लिये क्या करना चाहिये यह वेसिक उसूल है, बहुत मोटा उसूल है । सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि जहां डेमोक्रेसी है वहां यह माना हुआ सिद्धान्त है कि मैजो-रिटी की जिम्मेदारी है, जिसकी मैजोरिटी है चाहे पंचायत में है, म्युनिसिपेलिटी में है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में है, या गवर्नमेंट में है या पार्लियामेंट में है उनके एग्ज़ीक्युटिव फंक्शन्स को निभाना और इन्स्टिट्युशन को चलाना, यह हमेशा मैजोरिटी की जिम्मेदारी है, हरेक कानून को और दुनिया के किसी भी कानून को देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि माइनो-रिटी की जिम्मेदारी हो एग्ज़ीक्युटिव को निभाने के लिए । वे कहें कि हमारी जिम्मेदारी है, यह कहीं भी नहीं है । डेमोक्रेसी में अपनी बात को कहने और एग्ज़ीक्युटिव अगर गलत रास्ते पर जाती है और कोई डेलीब्रेशन की बात होती है तो उसको जनता के कानों तक पहुं-चाना उनका उसूल है । यह एक मोटा उसूल है और उसे सभी मानते हैं । मुझे ऐसा कोई डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युशन नहीं मिला जिसमें माइनोरिटी वाले माने कि एग्ज़ीक्युटिव में हमारा हिस्सा होना चाहिये । यदि यह उसूल मान लें तो राजस्थान में जो केबिनेट है या दूसरे प्रान्तों की केबिनेट्स हैं या हिंदुस्तान के लिये जो सेन्ट्रल केबिनेट है उसमें भी माइनो-रिटी का हिस्सा होना चाहिये । यदि यह सिद्धान्त मान लें कि एग्ज़ीक्युटिव में उनका हिस्सा होना चाहिये तो यहां की केबिनेट, सेन्ट्रल केबिनेट या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचा-यतें जितने भी हैं उन सब के लिये इस बात को मानना पड़ेगा ।

४ म० प०

मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रिसीडेन्ट कहीं भी नहीं है, आज तक किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी में इस तरह का उदाहरण नहीं है कि कहीं मिली-जुली एग्ज़ीक्युटिव बॉडी बना दी गई हो, या केबि-नेट बनी हुई हो, उसमें अपोजीशन मेम्बर हों, और जो गवर्नमेंट से एग्री करते हैं वे हों । उसूल यह है कि डेमोक्रेसी के मुताबिक पहले एक आदमी इलेक्ट होता है, वह केबिनेट बनाता है और एग्ज़ीक्युटिव के फंक्शन की रेस्पोन्सिबिलिटी एक्सक्ल्यूज़िवली उसकी होती है और किसी की जिम्मेदारी नहीं । इसलिए जो दलील दी जाती है कि कि माइनोरिटी वालों को भी उसमें स्थान मिलना चाहिए, एग्ज़ी-क्युटिव को फॉर्म करने में । मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि उसूलन यह बात गलत है । आप प्रिसीडेन्ट तलाश कीजिये, जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया है, वे प्रिसीडेन्ट बतावें कि जहां एग्ज़ीक्यूटिव के फंक्शन में मेजोरिटी और माइनोरिटी को हिस्सा दिया गया हो । मैं समझता हूं ऐसी मिसाल कहीं भी नहीं मिलेगी । जहां तक माइनोरिटी के फंक्शन का सवाल है, वे अपनी बात कहते हैं and having had there say उनको कहने का राइट प्रजातंत्र में है, यहां भी है और जो हमने कानून बनाया है, उसके मुताबिक जो म्युनिसि-पल बोर्ड होंगे, उनके अन्दर भी बात कहने का अवसर मिलेगा । जब कभी मीटिंग हों तो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

क्वेश्चन के जरिये, प्रस्ताव लाकर या जब कभी कमेटी के सामने कोई बात आवे, जैसे यहां आप अपनी बात कह रहे हैं, उसी तरह वहां बात कहने का अधिकार है, इस अधिकार को सुरक्षित रखा है। इसलिए यह कहना कि माइनोरिटी को दबाया जा रहा है, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि यह कहना बिल्कुल गलत है, यह कहना अनडेमोक्रेटिक होगा, ऐसा दुनियां में कहीं नहीं मिलेगा।

दूसरी बात कही गई कि मैजोरिटी माइनोरिटी का सहयोग नहीं लेती, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि हमने प्रपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के जरिये प्रोवाइड किया है कि सात मेम्बर की एक सबकमेटी बनी हुई हो, उसमें माइनोरिटी के दो मेम्बर आ जायें तो क्या इससे यह बात समझी जायगी कि उनमें आपस में कॉपरेशन हो गया ? कॉपरेशन की बात रिप्रेज़ेन्टेशन से ताल्लुक नहीं रखती। कॉपरेशन का सम्बन्ध स्पिरिट से है, यह स्पिरिट से ताल्लुक रखता है। माननीय सदस्य जो इस सदन में आये हुए हैं, चाहे अपोज़ीशन के हों, चाहे मैजोरिटी के हों, उनके दिल के अन्दर कॉपरेशन की भावना है, मैं दोनों के लिए कहता हूँ, मैजोरिटी के लिए भी कहता हूं और माइनोरिटी के लिए भी कहता हूं, अगर दोनों के दिल में यह भावना मौजूद है तो कॉपरेशन होने वाला है। लेकिन प्रपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन मिल जाने से कॉपरेशन नहीं मिलने वाला है। मैंने ऐसे झगड़े देखे हैं कि अपोजीशन के आदमी चुन कर आये, म्युनिसिपेलिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, वहां आपको यह देखने को मिलेगा, कि उनके दिल में कॉपरेशन की भावना नहीं होती, कॉपरेशन की स्पिरिट नहीं होती और वह स्पिरिट कानून बनाने से पैदा नहीं हो सकती इस बात को मान कर चलना चाहिए। आप कहें यह जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्ननमेंट तो पकड़ कर दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर सकती है, लेकिन दोनों नहीं मिल सकते, तो यह बात नहीं होने वाली है। इस सदन में कहा जाता है कि माइनोरिटी का कॉपरेशन मैजोरिटी वाले नहीं लेते हैं। आप इस सदन में आये हुए हैं मैं आपको बताऊं कि पहले मैजोरिटी वाले तो बहुत कम थे, उस समय माइनोरिटी की संख्या बहुत ज्यादा थी। उस वक्त क्या कॉपरेशन हुआ है ? अगर हुआ है तो इस वजह से हुआ है कि कॉपरेशन की स्पिरिट थी और अगर नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं हुआ कि कॉपरेशन की स्थिति नहीं थी। मैं मैजोरिटी की तारीफ की बात नहीं कहता, और मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि इसमें कसूर किसका रहा। चाहे म्युनिसिपल कमेटी का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का और चाहे असेम्बली का हो, अगर कॉओपरेशन नहीं है, तो मैं समझता हूं कि कसूर इस बात का है कि हमारे अन्दर कोऑपरेशन की स्पिरिट की कमी है। इस बात की कमी नहीं है कि मौका नहीं मिला है। आज मैजोरिटी और माइनोरिटी सब जगह होती है लेकिन फिर भी एग्जीक्युटिव में माइनोरिटी आ गई हो, ऐसी बात कहीं भी नहीं है। मैं जानता हूं कि म्युनिसिपेलिटीज़ में आपस में कॉओपरेशन नहीं होता है। इसी सम्बन्ध में जो हिन्दुस्तान के लिए एक खतरा बताया गया और कहा गया कि पाकिस्तान के समान भारतवर्ष में होने वाला है, मैं समझता हूं यह जिम्मेदारी एक पार्टी पर नहीं है, यह तो सब पार्टियों की जिम्मेदारी है। सब पार्टी मिल कर एक कन्वेन्शन बनावें, कॉओपरेशन देने की कोशिश करें, मैं इस बात को

Page No.98

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जानता हूं और चाहता हूं कि जहां पर कोई आदमी कोऑपरेशन देने की कोशिश करता है, इस बात की कोशिश करता है, तो मैं मानता हूं कि कोऑपरेशन दिया जाने वाला है, कोऑपरेशन लिया जाने वाला है। आप यह बात कह सकते हैं कि हमारा झगड़ा करने का राइट है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर झगड़ा करने का राइट मानते हैं तो इससे कोऑपरेशन नहीं मिलने वाला है, इससे डेमोक्रेसी पनपने वाली नहीं है। बल्कि सहयोग करने का, सहयोग लेने का जनतन्त्र की बात करने का राइट जरूर है, क्रिटिसाइज़ करने का राइट आपका है, लेकिन झगड़ा करने का राइट मैं नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह : मूल में सहयोग की भावना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रजातन्त्र को पनपाना है, तो वह इस उसूल के मुताबिक ही पनपने वाला है। कांग्रेस पॉवर में आई है, वह सबसे बड़े प्रिन्सिपल्स को मानने वाली है, उसको फुलफिल करने वाली है, इसलिए ही वह पॉवर में रहने वाली है, इसलिए ही कांग्रेस की ताकत है। ऐसी पब्लिक पार्टीज़ पनपने वाली नहीं हैं जो झगड़े को चाहती हैं, वह चाहे जो नीति रखे, उसमें हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन झगड़े की स्पिरिट से किसी पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि पार्टी जिस कारण से पनपती है, वह जनता की सेवा करने से पनपने वाली है। इसलिए हम समझते हैं कि सहयोग देने की भावना और सहयोग लेने की भावना के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दूसरी पार्टी का कांग्रेस सहयोग नहीं लेती, या हम कहें कि वे सहयोग नहीं देते। यह दोनों तरफ से बात होनी चाहिए कि सहयोग दें। इस चीज को हम इम्पोर्टेन्ट समझें कि डेमोक्रेसी को हिन्दुस्तान में पनपाना है, तभी कोऑपरेशन की भावना दोनों तरफ पैदा होने वाली है। मुझे माफ करें, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि लोकल बॉडीज़, जितनी म्युनिसिपेलिटीज़ या पंचायतें हैं, उनको पोलिटिकल पार्टीज़ अपने भाग्य का निर्णय करने के लिए छोड़ दीजिये, उनके कार्य के अन्दर, चुनाव के अन्दर हम दस्तन्दाज़ी न करें, तो मैं समझता हूं कि उनका बहुत हद तक सुधार हो जायगा। पोलिटिकल पार्टीज़ जाती हैं म्युनिसिपेलिटीज़ में, उसकी वज़ह एक तनातनी का वातावरण पैदा हो जाता है। मैं इस बात को मानता हूं इस तरह पंचायतों के चुनाव करने के कारण से गांवों की शान्ति नष्ट कर दी गई है। म्युनिसिपेलिटी शहरों में पहले भी थीं, मैं समझता हूं आगे भी चलेंगी, लेकिन पार्टी बेसिस पर इलेक्शन आदि करा करें और कहें कि डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा उसूल कायम किया है, आप यह कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो इस बात को मानता हूं कि बिना पार्टीबाजी के चुनाव होने दीजिये और जो म्युनिसिपेलिटीज़, लोकल बोडीज़ हैं, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिये, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि वहां सफाई का काम होना है, लाइट का काम होना है, टूट-फूट सुधारने का काम होना है, बजट में थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ा कर जनता की सेवा करनी है तो वहां बहुत बड़े उसूल को लेकर पोलिटिकल पार्टीज़ जायं, मैं उसूलन इसको मानता हूं किसी पोलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कहता, लेकिन बड़े प्रिन्सिपल्स लेकर लोकल बोडीज़ में उन उसूलों को लाना चाहें, उसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, तो वहां दूसरा वातावरण पैदा हो जायगा।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
जो दलील इस सम्बन्ध में दी गई है वह यह है कि प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन होना चाहिए, इसके साथ ही यह बात भी कही गई कि यदि रिप्रजेन्टेशन नहीं होगा और माइनोरिटी वाले हैं, उनको मैजारिटी वाले खींच लेंगे, वहां माइनोरिटी की कमी रहेगी। मैं चाहूं तो ऐसी मिसालें दे सकता हूं; लेकिन पाली के बारे में जो मिसाल दी गई, उसके बारे में निवेदन करूंगा कि यह फैक्ट नहीं है। मुझे बतलाया गया है कि पाली की म्युनिसिपेलिटी है वहां कांग्रेस के चेयरमैन नहीं हैं, लेकिन उन्होंने गलती की है, मैजोरिटी पार्टी ने गलती की है, तो मैं उसे अच्छा नहीं समझता हूं। वैसे मैजोरिटी पार्टी के कारण हिन्दुस्तान में कई जगह काम चलता है। हम कहते हैं कि एक सफाई की कमेटी बनाई, पब्लिक वर्क्स कमेटी बनाई, उसके लिए माननीय सदस्य यह ख्याल करते हैं और यह दलील दी गई है कि जो लोग वोट देने वाले हैं, उनका उत्थान होने वाला है और जो लोग वोट देने वाले नहीं हैं, उनका उत्थान होने वाला नहीं है। मैं बड़े अदब से निवेदन करूं कि मैं इस दलील को समझ नहीं सका। वे कहेंगे कि मुझमें समझने की कमी है, कई बार वे इस बात को कह चुके हैं, लेकिन मैं उनसे इस बात को जानना चाहूंगा कि एक वार्ड में बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं, उसी वार्ड में ऐसे आदमी भी रहते हैं जो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, अब वे यह बता दें कि उस वार्ड में जो सड़क बनी है, वह कांग्रेस को वोट देने वालों के सामने बन गई है और जो जनसंघ को वोट देने वाले हैं, उनके सामने नहीं बनी है........

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान के गृह मन्त्री के मकान तक सड़क बन गई है लेकिन उसके आसपास ही आप कीचड़ पायेंगे। क्योंकि वे राजस्थान के गृह मन्त्री हैं, विधान सभा के सदस्य हैं इसलिए उनके घर तक सड़क बन गई है।

श्री ज्वालाप्रसाद : केवल इस लिये ही नहीं बल्कि वे भी नागरिक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!! "केवल इसलिये ही" इस पर वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) जो रोड कनेक्ट करके बनाई गई हैं, उनके बीच में केवल कांग्रेस को वोट देने वाले ही सब रहते हों ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले हो नहीं हैं, उससे सबको फायदा पहुँचता है। एक गांव में २००० की आबादी है उनमें से एक हजार ने कांग्रेस को वोट दिये और बाकी एक हजार ने दूसरी पार्टी को वोट दिये, तो क्या जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिये हैं वे ही जी रहे हैं और बाकी सब लोग मर रहे हैं? ऐसी बात तो कहीं नहीं है, यह बात तो मैं नहीं समझा। माननीय सदस्य अगर बाद में मुझे समझा देंगे तो मैं उनका अहसानमन्द होऊंगा। कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट में गांव-गांव में काम होते हैं तो वह सारे गांव को फायदे के लिये हैं बिजली की लाइन डालते हैं तो क्या कनेक्शन्स केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि कांग्रेस के वोटर हैं, औरों को कनेक्शन्स नहीं दिये जाते? तो इस तरह की बात का ख्याल किया जाना, यह कयास किया जाना डेमोक्रेसी की भावना के खिलाफ है, ऐसी बात सदन में नहीं कहनी चाहिये। इस बात को हम जस्टीफाई नहीं कर सकते। मैं तो अपने इलाके के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि हरिजनों

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

के लाभ के लिये कोई बात हुई तो उससे सभी हरिजनों को फायदा होता है, फायदा सबको होने वाला है । सवाल यह है कि अपोजीशन एग्जीक्युटिव फंक्शन लेना चाहता है, आप बाहर कहिये, इलेक्शन आयें तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात कहिये, वह राइट आपका यहां सुरक्षित है; पर आप यह क्लेम करें कि एग्जीक्युटिव कमेटीज़ में आपको शेयर मिलना चाहिये, फिर आप कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में आको शेयर मिलना चाहिये, फिर आप कहेंगे कि केबिनेट में आपको शेयर मिलना चाहिये और फिर आप क्लेम करेंगे कि सेन्टर की केबिनेट है उसमें आपको शेयर मिलना चाहिये, हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट में आपको शेयर मिलना चाहिये, वह डेमोक्रेसी के खिलाफ है, डेमोक्रेसी में कहीं पर ऐसा नहीं होता, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती ।

इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इन सब बातों को समझकर वे अपना प्रस्ताव वापिस लेने का कष्ट करेंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष, प्रस्तावित संशोधन के ऊपर इस प्रकार का वाद-विवाद हुआ है और मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय ने जो कहा कि गहराई से इसको सोचना चाहिये, स्वयं मन्त्री महोदय ने इस बात की उपेक्षा करते हुए, इस चीज का उत्तर दिया है । आपने स्वयं माना है कि माइनोरिटी और मैजोरिटी के फंक्शन्स अलग हैं, Minority must have its say.

इस प्रकार जो रूपावास से आने वाले माननीय सदस्य ने और मन्त्री महोदय ने भी कहा । हमने और कोई बात क्लेम नहीं की है, उन कमेटियों के द्वारा अपोजीशन को अपनी बात कहने का अवसर मिले । जैसा कि मन्त्री महोदय ने यह रखने का प्रयास किया कि पहले एग्ज़ीक्युटिव कमेटीज़ में हिस्सा मांगेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, फिर यहां मन्त्री मण्डल में, फिर कहेंगे कि केन्द्र के मन्त्री मण्डल में हिस्सा दो । स्वायत्त शासन मन्त्री जी अगर ऐसी बात कहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि वे वे खुद स्वायत्त शासन के कार्यों को नहीं समझते ।

(हंसी)

ये दोनों चीजें कभी आइडेंटिकल नहीं, स्टेट की एग्ज़ीक्युटिव और लोकल बोडीज़ की एग्ज़ीक्युटिव हैं उनमें दोनों में लोट ऑफ डिफरेंस हैं, इस कल्पना से दूर जा रहे हैं । म्युनिसिपेलिटीज़ की एग्ज़ीक्युटिव कमेटीज़ में होता क्या है, लाइट कमेटी है, उसमें होता क्या है ? उस कमेटी में निश्चय होगा कि उस मोहल्ले में बल्ब देंगे । इसे निर्णय करने में आप यदि अपोजीशन को मौका नहीं दें, अपोजीशन को अपनी राय देने का मौका नहीं दें तो इसके माने यह हुए कि बोर्ड में दूसरे मोहल्लों के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गई, बोर्ड में यह बात भी नहीं कही गई क्योंकि अपोजीशन को कोई कहने का मौका नहीं मिलेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद : कहीं कानून में ऐसी बात नहीं है कि बाहर वाले नहीं लिये जायेंगे । सिर्फ झगड़ा यह है आज कि चुनाव किस तरह से हों ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! माननीय सदस्य जारी करें ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह तो हम भी जानते हैं कि मना नहीं किया है पर

Page No.101

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

व्यवहार में लिया नहीं जाता है। इस चीज के हमारे सामने कई उदाहरण हैं, कोटा की म्युनिसिपेलिटी का, जयपुर की म्युनिसिपेलिटी का उदाहरण दिया, प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी में यही होता है कि प्रतिनिधित्व नहीं लिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो अपनी म्युनिसिपेलिटी को देखता हूं कि वहां पर बराबर लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : आपका जमाना दूसरा था, आप जैसे चेयरमैन तो बहुत कम हैं....

(अनवरत हंसी)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हम तो आशा करते हैं कि आप चेयरमैन फिर से हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) मंत्री महोदय ने सिद्धान्त की बात बताई, सिद्धांत में और व्यवहार में बहुत फर्क है। आपने कहा कि कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, कानून बनाने से एक दो सदस्य हो भी गये तो क्या उनकी बात चलेगी, मैजोरिटी चाहेगी वही होगा। मेरा निवेदन है कि राइट ऑफ से को तो मानना चाहिये, हम भी जानते हैं कि होगा तो वही जो मैजोरिटी चाहेगी। हम तो सिर्फ राइट ऑफ से मांगते हैं, खास बात जो समझने की है वह यह है कि एक मेम्बर को ले कर आप कोई राइट ऑफ एग्जीक्युटिव नहीं दे देते हैं, एक मेम्बर एग्जीक्युटिव में चला जाता है तो वह एग्जीक्युटिव फंक्शन थोडे ही करता है, वह तो अपोजीशन का व्यू पॉइन्ट रखता है। तो यह जो कहा गया कि इस में हिस्सा मांग कर यहां की और सेंटर की केबिनेट में हिस्सा मांगेंगे, यह दलील ठीक नहीं बैठती। इसमें तो राइट ऑफ से मांगा गया है। कन्वेन्शन्स निर्माण किये जाते हैं, उनमें मैजोरिटी और माइनोरिटी दोनों के कन्वेन्शन्स के आधार पर निर्माण किये जाते हैं।

(श्री भैरोंसिंह और श्री ज्वालाप्रसाद को सरकारी पक्ष की ओर बैठे बात करते देख कर)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष, इधर दाहिनी तरफ कोई कॉन्स्प्रेसी की जा रही है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : I think one of the Hon'ble Members has crossed the floor.

श्री भैरोंसिंह : Not that Sir.

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट काफी हो चुकी है माननीय सदस्य इसे संक्षिप्त करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, सब जगह इस तरह के कन्वेन्शन्स हैं कि अपोजीशन के मेम्बर्स को भी इस तरह की कमेटीज़ में लेना चाहिये, हमारी विधान सभा की कमेटियां हैं उनमें प्रपोर्शन से हमें लेते हैं, अभी तक कोई झगड़ा नहीं चला। कई स्टेट्स में कन्वेन्शन है कि कमेटीज़ में अपोजीशन का चेयरमैन होना चाहिये। यह कन्वेन्शन कौन बनायेगा, जो पार्टी मैजोरिटी में है वही ऐसे कन्वेन्शन बना सकती है, उसे ऐसे कन्वेन्शन बनाने चाहिये। यह कन्वेन्शन नहीं बनाते हैं और अपोजीशन पर दायित्व देते हैं। आपने कहा कि देश में कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है, तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं देहली का कोऑरपोरेशन एक्ट बना उसमें प्रत्येक कमेटी के कन्वीनर्स का चुनाव होता है, वहां कई कमेटियां ऐसी हैं जिनके अध्यक्ष अपोजीशन के हैं........

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : एक्ट में इस तरह की धारा है क्या ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एक्ट में है, एक्ट आपके पीछे पड़ा है, देख लीजिये।

वहां पर सब कमेटियां, स्टेन्डिंग कमेटी से लेकर........

श्री ज्वालाप्रसाद : यहां पर कोऑरपोरेशन की बात हो रही है। यहां दिल्ली और बम्बई की बात नहीं हो रही है। यहां पर राजस्थान की बात हो रही हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अजमेर जैसा नगर........... राजस्थान वाले प्रगतिशील हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जारी रखें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सड़क पर सभी चल सकते हैं। सड़क सब के लिये है। लेकिन मैं स्वयं अपने घर का उदाहरण देता हूँ। मेरे वार्ड में कांग्रेस के सदस्य चुने गये....

श्री उपाध्यक्ष : He will not introduce a new matter

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं वहां का रहने वाला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : He will reply to the debate only.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो उस वार्ड की सड़क है उसकी हालत बहुत खराब है। उस पर एक कंकर भी नहीं डाला गया है, क्योंकि लोग चेयरमैन के खिलाफ थे। यह घर की बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद : आपको कौन पकड़ता है ? आप भी उनके साथ हो जाइये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वे लोग भ्रष्टाचारी के साथ नहीं होना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : You will kindly not introduce a new matter by citing instance because he has no right to controvert them now.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस प्रकार पॉवर का प्रश्न है। अगर सड़क....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे कहा है कि कोई एग्ज़ाम्पल नहीं दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि कोई एग्ज़ाम्पल आप बतावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कुछ भी कहें। मैंने जो कहा उस पर आप ध्यान दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस प्रकार की हजारों एग्ज़ाम्पलें आपको मिल सकती हैं। यह तो फिर भी होगा। अगर अपोजीशन के सदस्य रहेंगे तो भी होगा लेकिन एक बात होगी और वह यह कि कम से कम उनकी वहां पर वोइस तो रहेगी। आप यह चाहते हैं कि एग्जीक्युटिव फंक्शन

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

में कोई उनका हाथ नहीं होना चाहिये। इसका मतलब यह कि विरोधीदल सहयोग देना चाहते हैं और आप उसको लेना नहीं चाहते। यह कोई मामूली बात नहीं है। मैं यह कहूंगा कि हमें हमारे देश के भविष्य के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हमने जो हमारे देश में चुनावों की पद्धति मुकर्रर की है उसके कारण यह स्थिति हो रही है। सदस्य कोई चुना जाता है, वोट किसी को ज्यादा दिये जाते हैं। हमें चाहिये कि उस पद्धति में परिवर्तन करें। जब तक इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक प्रतिनिधि सही रूप में नहीं आ सकेंगे और न पब्लिक का सही रूप से हित हो सकेगा। किसी देश में ऐसी बातें असफल रही हों यह एक अलग बात है और इसलिये उनको यहां पर लागू नहीं करें, यह उचित नहीं। हमने विधान सभा और पार्लियामेंट में लागू किया है और चुनाव हुए हैं और इससे सन्तोष हुआ है। इसलिये इसको सारे वार्ड्स में आप चाहें तो भले ही मत दीजिये क्योंकि सारे वार्ड के मतदाता उनका ठीक ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो सदस्य चुन कर म्युनिसिपेलिटी में आ गये हैं वे तो इस पद्धति को ठीक ढंग से उपयोग करेंगे। सारे लोग ठीक ढंग से इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे; इसीलिये आपने यह नहीं रखा है। मगर मैं यह कहूँगा कि इन स्थानों पर तो रखते। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : On a point of information, Sir. दिल्ली म्युनिसिपेलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट का हवाला दिया और माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि......

श्री उपाध्यक्ष : No, I will not need any explanation now please.

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : सभी हंसते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ६६ के अन्तर्गत 'In sub-clause (1), after sub-clause (2) and in sub-clause (3),' श्री बद्रीप्रसाद 'गुप्ता' ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद ने प्रस्तुत किया (क्लॉज़ ६६ के अन्तर्गत) उसे स्वीकार किया जावे।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to have a division then ?

श्री भैरोंसिंह : We claim division.

(विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६६ के अन्तर्गत श्री जगदीशप्रसाद ने जो संशोधन रखा है, उसको स्वीकार किया जावे।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

Page No.104

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

(विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, 17.

Noes, 32.

The amendment is lost.

(विभाजनानुसार सदस्य सूची निम्न प्रकार है :)

'ना' पक्ष

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

श्री भैरवलाल 'काला बादल'

श्री भीमसेन

श्री छोटूसिंह

श्री धन्नालाल हरित

श्री ज्ञानचन्द मोदी

श्री हरिदेव जोशी

श्री हरिकिशन

श्री हरिप्रसाद यादव

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री

श्री हजारीलाल बकोलिया

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

श्री लालूराम टटवाड़िया

श्री लक्ष्मण हीरात

श्री मांगीलाल

श्री मूलचन्द डागा

श्री नरोत्तमलाल जोशी

श्री फूलाभाई

श्री पी० के० चौधरी

श्री पूनमचन्द बिश्नोई

श्रीमती प्रभामिश्रा

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

श्री रामचन्द्र

श्री रावतराम

श्री सम्पतराज जैन

श्री सोहनलाल भटनागर

श्री श्रीभानसिंह

श्री सूबेदारसिंह

श्री सुगनचन्द जैन

श्री विद्यासागर

श्री वली मोहम्मद

'हां' पक्ष

श्री अनूपसिंह

श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)

श्री चन्द्रसिंह यादव

श्री दयाकृष्ण विजय

श्री गिरधारीलाल

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री लक्ष्मीचन्द

कुंवर श्री मंगलसिंह

श्री मोहरसिंह

श्री मुक्तिलाल मोदी

राव बहादुर रावल श्री नरेन्द्रसिंह

श्री नाथीसिंह

श्री रामकरणसिंह

श्री रामनारायण वर्मा

श्री रूपाराम

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री बेनाराम गहलोत]

(राज्यपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : More than 50 percent.

श्री हरिदेव जोशी: Yes, yes ofcourse. If that is any consclation to you.

श्री ज्वालाप्रसाद : अब एड्जोर्न कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस क्लॉज़ को पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६६, एज़ अमेन्डेड स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ६८

श्री ज्वालाप्रसाद : आज निमन्त्रण आये हुए हैं, जो मंत्री महोदय के भी हैं मेरा ख्याल, है वहां जाना है।

श्री उपाध्यक्ष : एक अमेन्डमेन्ट है उसमें। श्री ज्वालाप्रसाद तो शायद विदड्रॉ कर रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद : मिनिस्टर साहब कह रहे है कि एड्जोर्न कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Is it ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में कि "In sub-clause (1) insert "a" before "member". दूसरा है सब क्लॉज़ ४ में "its members" के पहले "among" शब्द इन्सर्ट करने का है।

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मिनिस्टर महोदय को आपके मार्फत यह खबर देना चाहता हूं कि ६६ क्लॉज़ एक्सेप्ट कर दिया है इसलिए इसमें कॉन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट की आवश्यकता हो गई है। स्थिति यह है कि ६७ को जल्दी में पास करना........

४.३४ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : ६७ पास हो चुका।

श्री ज्वालाप्रसाद : हाउस में पास हो गया इसलिए क्वेन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स आने चाहिये। मुझे इतनी ही दरख्वास्त करनी है। क्वेन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स आ जाने के बाद ही इसको पास करना होगा। ६६ पास हुआ है उसके अनुसार जो क्वेन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स आ सकते हैं और उसका असर इसमें पड़ रहा है इसलिए इसको उसी लाइट में पास करना होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन से कॉन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स होंगे ?

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमैन महोदय, मेरे ख्याल से किसी अमेंडमेंट की इसमें आवश्यकता नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद : ६८ में लिखा है चेयरमैन ऑफ दी कमेटीज़ :

"(1) The Chairman of the board, if member of any committee shall be ex-officio chairman there of.

(2) The vice-chairman of the board, if appointed a member of any committee of which the chairman is not a member, shall be ex-officio chairman thereof

(3) The board may appoint a chairman of every committee of which there is no ex-officio chairman.

(4) Every committee, of which there is an ex-officio chairman or a chairman appointed by the board, shall at each meeting which such chairman does not attend, appoint from its members a chairman for such meeting.

(5) Every committee, of which there is no ex-officio chairman or chairman appointed by the board, shall apoint from time to time its own chairman from among its own members.,,

श्री पुरुषोत्तमलाल : कहां है ऐसा।

श्री ज्वालाप्रसाद : यह मैं पढ़ रहा हूँ।

'Clause 68 from sub-clause (1) to sub-clause (5).

मैं पढ़ने से पहले यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जब कमेटीज़ का प्रावधान सदन ने पास कर दिया है तो उन कमेटीज़ का काम कैसे चले ; उन कमेटीज़ के ऊपर काम चलाने के लिये यदि चेयरमैन को कर भी दिया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि उन छोटी कमेटियों के थ्रू वह सारा का सारा जनरल बोर्ड हो जाता है चेयरमैन होने से।

इसलिये यह जरूरी है कि इसमें न्यूटेबल अमेंडमेंट रख सकते हैं कन्वीनर्स चुने हुए हों और उन कमेटीज़ को प्रीसाइड करने का राइट कन्वीनर्स को है। जो प्रोसीजर आप रूल्स में ले डाउन करें जो मामले कमेटियों में जाने की जरूरत है वे वहां से पास होकर उसको जनरल बोडी में भी उसको पास कराना चाहिये।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि क्या आपने कॉन्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट इस बारे में रक्खे हैं, तो वे बताइये।

Page No.107

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं अर्ज यह कर रहा था, चेयरमैन महोदय, जो प्रोसेस हमने कमेटियों के बारे में रखा है उसके कारण सदन यह महसूस करेगा कि इसमें ऐसे अमेंडमेंट आने चाहिये और आना जरूरी है जिससे कौंसिल......

श्री पी०के० चौधरी : Hon'ble member may tell us what are the conquential amendments that will have to be made, instead of taking the time of the House by his speech.

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं अर्ज जो कर रहा था वह चेयरमैन महोदय ने मुझे पूछा था कि कॉन्सीक्वेशल अमेंडमेंट्स है क्यों, उस पर मैंने यह बताया था। मैंने जोबातें रखी हैं अपने दिमाग से नहीं बल्कि चेयरमैन महोदय के कहने से रखी हैं अगर समय व्यर्थ गया तो यह तो चेयरमैन महोदय का कार्य था कि मुझे फिजूल औरव्यर्थ में टाइम दिया।

श्री सभापति : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमैन महोदय, धारा ६८ में मैं अपना अमेंडमेंट मूव कर चुका हूं, अमेंडमेंट नंबर २७ सब-क्लॉज़ वन यह लेंग्वेज़ के करेक्शन के बारे में है :

1. Insent "a" before "member" in sub-clause (1).

2. In sub-clause (4), insert "among" before "its members."

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं फिर से अपील करूंगा कि इस क्लॉज-कोडेफर कर दिया जाय। कमेटीज़ का काम कैसे होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने देख लिया है इसमें कोई कॉन्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : (श्री ज्वालाप्रसाद से) Do you preses your amendment ?

What about your amendment ?

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करूंगा।

श्री सभापति : What about your amendment.

श्री ज्वालाप्रसाद : It may be taken as moved.

श्री सभापति : Unless you move it it cannot be taken as moved.

श्री ज्वालाप्रसाद : Then I move it.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I move that the House may adjourn. It is zero hour and we are unable to follow the debate. Instead of wasting time like this...

श्री सभापति Yes, any body to speak on the amendment ?

श्री श्रीमानसिंह : A motion for adjournment has been made and that has to be decided first.

श्री सभापति : Let us pass this clause.

श्री पी०के० चौधरी : I think there can be only one consequential amendment after the amendment is accepted and that in will be that clause 68 and in other

(श्री पी॰ के॰ चौधरी)

places the words 'concil' or 'board' both will have to be included. It would be board or concil as the case may be

श्री सभापति: Board includes both.

श्री पी॰के॰ चौधरी : No Sir, the board is for municipality and council is for......

श्री सभापति : No, no. The word is for both. Wherever it occurs, it is for both. You can see the explanation which is given in the definitions. You please refer to sub-clause (7). In the explanation it is given:—

"References in any provision of this Act other than clause (2) and (15) of this section, sub-sections (1), (2) and (3) of section 58,... ...to a board or municipal board......in the case of a city be construed as being references respectively to a council...

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : चेयरमैन महोदय, धारा ६८ की उप-धारा के अन्दर यह है 'The charman of the Board, if member of any committee, shall be ex-officio chairman thereof

मेरा इसमें यह विरोध है म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा कोई भी एग्ज़ीक्युटिव कमेटी बनती है अथवा सब-कमेटी बनती है उन कमेटियों के लिये इस प्रकार का प्रावधान रखते हैं चेयरमैन जो बोर्ड का हो वह किसी भी कमेटी या सब-कमेटी में न रहे। जितनी भी कमेटियां बनें उन कमेटियों में चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन को ले लेते हैं तो उनको उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। यह नहीं होना चाहिये। क्यों कि चेयरमैन को डेली ऑफिस अटेन्ड करना पड़ता है, उसको अपीलें सुननी पड़ती हैं, इसलिये इन कमेटियों में चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन को नहीं रखा जाना चाहिये और न चेयरमैन किसी भी कमेटी का अध्यक्ष ही होना चाहिये।

दूसरा इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया गया है जो भी सब-कमेटियां होंगी उनका चेयरमैन नियुक्त किया जायगा। वह इलेक्टेड नहीं होगा। मान लीजिये बोर्ड द्वारा सात कमेटियों का निर्माण किया गया, उसमें बाहर से भी सदस्य लिये गये वैसी हालत में एक कमेटी बनने के बाद कमेटी का चेयरमैन कौन हो, तो उस हालत में क्या होता है वाइस चेयरमैन को उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। इस तरह से जो नियुक्ति की जाती है उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is not the chairman, it is the board.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) वह तो मैं नहीं चाहता बोर्ड नहीं करे बल्कि जिन जिन सदस्यों की कमेटी बनाई गई है वे ही कमेटी के सदस्य अपने में से चेयरमैन का चुनाव करें। बोर्ड उसमें दखल न करे। the committee itself should elect.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : But there is no such amendment as proposed by the Hon. Member.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Even then I would like to oppose the clause.

श्री सभापति : क्या आपने धारा ६८ में कोई संशोधन रखा है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं पूरी धारा का विरोध कर रहा हूं, अगर इस क्लॉज़ में ऐसा नहीं है उसका चेयरमैन सदस्य नहीं रखना चाहिये। कमेटीज का जो चेयरमैन हो वह कमेटी के मेम्बर्स द्वारा ही चुना जाना चहिये। इसलिये मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : धारा ६८ के अन्दर यह बताया है कि जितनी कमेटियां बनेंगी, उनका चेयरमैन म्युनिसिपेलिटी कमेटी का चेयरमैन होगा।

श्री सभापति : यह नहीं है, आपने धारा पढ़ी है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : हां, पढ़ी है।

(हंसी)

कोई गलत नहीं बोलूंगा।

(हंसी)

और यह भी डिसाइड किया गया है कि इन कमेटियों का चेयरमैन बोर्ड भी नियत कर सकता है। तो जब धारा ६६ में माननीय मन्त्रीजी ने यह मान लिया है कि जो एग्ज़ीक्युटिव कमेटी होगी वह बहुमत के द्वारा बनाई गई म्युनिसिपल कमेटी द्वारा बनाई जावेगी और उसका चेयरमैन भी वही बनावेंगे। इसमें भी जिसकी मैजोरिटी होगी उसका चेयरमैन होगा....

(बीच में सदस्यों द्वारा आपस में बातचीत करने पर)

श्री सभापति : Order ! Please Order !! Yes. आप जारी रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : धारा ६६ में क्लॉज़ पास हो गया कि जिसका बहुमत होगा उसका ही चेयरमैन होगा। तब फिर इसमें चेयरमैन का क्या जिक्र आया। सब कुछ तो बहुमत वालों का होगा, फिर यह इलेक्टेड शब्द क्यों आया ? बहुमत कांग्रेस का है तो कमेटी और सब-कमेटियां सभी उनकी ही बनेंगी, सब में उनके ही आदमी चेयरमैन होंगे। तो फिर ६६ में जब पास कर दिया आपने तो फिर ६८ के अन्दर यह क्लॉज़ हटाने में क्यों ऐतराज़ है। जिनका बहुमत होगा, उनका चेयरमैन हो जावेगा, इस कानून में आपको क्या ऐतराज़ है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : जो धारा ६८ में यह बात रक्खी गई है····

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, इसमें आजकल का जो एक्ट है उसके अनुसार कमेटियों के कन्वीनर ही सभापति का पद ग्रहण करते थे और उनको ही प्रेसीडेन्ट के सारे अधिकार होते थे और उनके द्वारा जो निर्णय वहां कमेटी में होता था उसकी अपील फुल म्युनिसिपल बोर्ड की मीटिंग में आती थी। इसमें शायद सैक्शन १२ है। पर अब इसमें जो बोर्ड के चेयरमैन को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन सब-कमटियों के भी चेयरमैन हो सकते हैं तो यह वाजिब नहीं होगा। वे कन्वीनर या दूसरे व्यक्ति ही सभापति होने चाहिये।

श्री रामचन्द्र (डग) : सभापति महोदय, बिल में जो धारा रखी गई है यह इस बिल के लिये बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें हमें यह देखना है कि जो काम सब-कमेटियां द्वारा कराया जावे वह भले रूप में हो। अब कोई

(श्री रामचन्द)

इस दृष्टि से कोई बात तै करता है कि उसका काम भले रूप से चले तो इसके लिये बोर्ड को ही चेयरमैन चुनने का अधिकार मिलना चाहिये; इसमें जिम्मेदारी तो आखिर बोर्ड की है। सब-कमेटी तो उसकी एक सहायक कमेटी है। इसलिये जब कभी सब-कमेटी बने उसका चेयरमैन बोर्ड के द्वारा ही चुना जाना चाहिये इसलिये इस बिल में यह प्रावधान ठीक है।

अब सीकर से आने वाले माननीय सदस्य का यह कहना है कि सब-कमेटी अपना चेयरमैन स्वयं चुन ले। ऐसा करने से बोर्ड की जिम्मेदारी वहीं खतम हो जाती है। इसमें यह सम्भव हो सकता है कि पार्टीबन्दी के कारण अथवा और किसी दूसरे कारण से ऐसा आदमी कन्वीनर या चेयरमैन उस सब-कमेटी का चुन लिया जावे जो उस कमेटी के काम को भले रूप से न चला सके और कमेटी के द्वारा जैसा कार्य होना चाहिये वह ठीक रूप से न होकर गलत रूप में हो जाये, इसीलिये इस चीज को रोकने के लिये बोर्ड द्वारा चेयरमैन का चुना जाना ही ठीक प्रतीत होता है। इसलिये इस बिल में जो संशोधन रखा गया है वह बिल्कुल अनुचित मालूम होता है। मैं इस संशोधन का इन कारणों से विरोध करता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो धारा ६८ है उसमें यह बात रखी है कि जो इलेक्टेड मेम्बर हैं उसमें चैयरमैन आता है तो वह एक्स-ऑफिशियों चेयरमैन रहेगा और वाइस चेयरमैन आता है तो वह भी एक्स-आफिशियों चैयरमैन रहेगा।

इस पर सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस संशोधन को रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

बोर्ड के जो चेयरमैन या वाइस-चेयरमैन होते हैं उन पर एग्ज़ीक्युटिव वर्क करने की बड़ी भारी जिम्मेदारियां रहती हैं। अधिकतर जगहों पर जैसे बाबू या हाकिम आकर दफ्तरों में बैठते हैं वैसे उनको बोर्ड में बैठना पड़ता है। इसका उनको थोड़ा अलॉउन्स मिलता है और काफी समय देना पड़ता है। अब इसके अलावा वे स्वयं अपना धन्धा भी करते हैं क्योंकि अलॉउन्स इतना नहीं मिलता कि अपना व अपने परिवार का उससे भरण-पोषण पूरा कर सकें। तो ऐसी स्थितियों में, उनको इतना अवकाश इन कामों से ही नहीं मिलता कि वे सब-कमेटियों में भी चेयरमैन बनकर बैठें और उनका काम भी करें।

दूसरा कारण यह है कि जब हमने सब-कमेटियों के फैसलों पर अपील का प्रोविजन रखा है कि वह बोर्ड में अपील कर सकता है जो नीचे की कमेटियों के फैसले से प्रभावित होता हो तो ऐसी हालत में जिस सब-कमेटी का चेयरमैन स्वयं बोर्ड का चेयरमैन होगा और उसके फैसले से कोई प्रभावित व्यक्ति बोर्ड की जनरल मीटिंग में अपील करेगा तो वहां बोर्ड में भी वही चेयरमैन होगा और वह इसे अपनी प्रैस्टीज का सवाल बना लेगा और मेम्बरों को प्रभावित करेगा कि नीचे से जो-जो फैसला मैंने सब कमेटी में दे दिया है वही बोर्ड में भी बरकरार रहे। इस तरह की हालत में एग्रीव्ड पार्टी को न्याय नहीं मिल पावेगा। ऊपर जब अपील जावेगी तो चेयरमैन निश्चित रूप से अपने पद के अधिकारों का दुरुपयोग करेगा और जो निर्णय उसने नीचे कर दिया था उसको ऊपर भी कैरी ऑउट कराने में अपने अधिकारों का उपयोग करेगा और इस तरह से वह पार्टी न्याय

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्राप्त नहीं कर सकेगी और अपील की जो मंशा है वह भी समाप्त हो जावेगी। इसलिये इन दो आधारों पर मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ।

इसके बाद निवेदन है कि यदि इस प्रकार से........

श्री सभापति : और समय लेने वाले हैं क्या ?

श्री दयाकृष्ण विजय : जी हां।

श्री सभापति : तो सदन की कार्यवाही कल प्राप्तःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजे, दिनांक ४-१२-५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई गई।)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार ३ दिसम्बर, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

आमेर की पुलिस द्वारा नाथद्वारा के महन्तश्री से जेवरात की जब्ती ।

नेशनल हाई वे भाखरा स्कीम में पड़ने वाली जमीन को पंचायत पीलीबंगा द्वारा कम दामों में बेचना ।

केन्द्रीय क्रय-विक्रय सहकारी संघ, बीकानेर ।

मोरेल बांध की नहरों का कार्य इस वर्ष पूरा करने का आश्वासन ।

पीलीबंगा पंचायत द्वारा जमीन को कम दामों में बेचना ।

सेक्रेट्री, ग्राम पंचायत मलारना डूंगर के विरुद्ध पंचायत धन के दुरुपयोग के मुकदमे ।

श्री रामजी काक का राजकीय पद ।

केकड़ी राष्ट्रीय नगरपालिका मजदूर संघ का रजिस्ट्रेशन ।

कपासन नगरपालिका ।

ग्राम बालूहेडा के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ।

कोटा चम्बल बांध पर मच्छरों को मारने हेतु डी. डी. टी. छिड़कने के लिए स्वीकृत बजट ।

नगरपालिका झालावाड़ के चेयरमैन पर सफर खर्च ।

बूसी बृहत् सहकारी समिति में मैनेजर की नियुक्ति ।

अकलेरा (जिला झालावाड़) की जेल से गंगाराम का भागना ।

बूसी के सरपंच द्वारा गबन ।

हाई कोर्ट की जयपुर बैंच को बनाये रखने के सम्बन्ध में आन्दोलन ।

म्युनिसिपेलिटी, पाली के चेयरमैन को चैकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार ।

कुशुन से लालसोट सड़क का निर्माण ।

श्री सरदारसिंह, इन्चार्ज पुलिस आउट पोस्ट, गुढ़ा (जिला झुन्झुनू) खिलाफ रिश्वत की शिकायत ।

जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंन्ट बोर्ड द्वारा प्लॉट अलॉट ।

थानेदार पदमपुर के विरुद्ध रिश्वत की शिकायत ।

जनाना अस्पताल, जयपुर में बीमारों के दूध में पानी की मिलावट ।

Page No.113

उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में पंचायतों का बजट।

ग्राम पंचायत ८३ एल. एन. पी. (जोड़किया) के चुनावों में गोलियों का चलना ।

आयुर्वेद विभाग में दवाइयों तथा एस्टेब्लिशमेन्ट के खर्च का अनुपात।

कृषि संबंधी सहकारी समितियां।

जवाई बांध द्वारा सिंचित भूमि की लगान वसूली।

जयपुर जिले की बसवा तहसील में सैस वसूली।

राजस्थान में गांधी सागर बांध से प्राप्त बिजली व भूमि की सिंचाई।

कस्बा मंडावा (झुंझुनू) के लिये वाटर वर्क्स की योजना।

नाथद्वारा के महन्तश्री के संबंध में वाद-विवाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने उक्त प्रश्न पर सदन में एक दिन के वाद-विवाद का प्रस्ताव रखा जो मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के आश्वासन पर कि सदन को इस विषय पर पूर्ण जानकारी दे दी जायगी, गिर गया।

गृह समिति का निर्माण

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि निम्नांकित सदस्य गृह समिति के लिए मनोनीत किए गये हैं:

(१) माननीय उपाध्यक्ष।

(२) श्री जयसिंह राणावत ।

(३) कुमारी शन्नोदेवी ।

(४) श्री अनूपसिंह।

(५) श्री संपतराज ।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७

उपरोक्त विधेयक पर आज भी खंडशः विचार किया गया । खंड ६६ व ६७ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खंड ६८ पर विचार-विमर्श हो रहा था, परन्तु निर्णय नहीं हुआ ।

गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८ की कार्य सूची

(१) राजस्थान आर्मड कॉन्स्टेबुलरी (संशोधन) विधेयक, १९५८। (पुरःस्थापन)

(२) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८। (खंडशः विचार विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE APPROVED WORK PERTAINING TO NATIONAL HIGHWAY TO BE EXECUTED AND COMPLETED DURING THE SECOND FIVE YEAR PLAN.

S.No.	Item of work.	Sanctioned Amount.	Expenditure incurred on works up to 31-8-1958.	Progress of the work achieved.
	JAIPUR DISTRICT.			
1.	Improvement to blind curves in mile 22/1-3, 29/3-5, 36, 48/1 of Jaipur-Delhi road.	0.53	0.50	Work completed.
2.	Raising the formation level of miles 38 to 39 and converting causeways in to culverts Jaipur-Alwar road.	0.80	0.79	-do-
3.	Const. of a bridge including approaches over Manoharpur River in mile 31 of Jaipur-Delhi road.	3.53	0.67	18% of the work is done.

[५११६

4. Prevention of accumulation of sand in mile 14, 15 and 32 Jaipur-Alwar road.	0.60		The estimate & plans are under preparation.
5. Const. of a bridge over Lakhan Nullah at mile 28/1 of Jaipur-Delhi road.	0.69	0.82	Work completed.
6. Const. of a bridge across Kedwah Nullah in mile 27 of Jaipur Delhi road.	0.52	0.79	Work completed.
7. Const. of a bridge over Rehal Nullah in mile 25/6 of Jaipur-Delhi road.	0.45	0.48	Work completed.
8. Const. of a brige over Guglia Nullah at 23/5 of Jaipur-Delhi road.	0.81	1.04	Work completed.
9. Const. of a bridge over Bichiwara Nala in mile 16 of Jaipur-Delhi road.	0.44	0.42	Work is nearing completion
10. Providing 1" thick premix carpeting in mile 12-23, 26-30, 33-35 of Jaipur-Ajmer road.	3.46	3.36	Work is nearing completion
11. Providing 3 ft. shoulders on Jaipur-Ajmer road.	3.40	—	—
12. Const. of a bridge across Kharia Nala Jaipur-Delhi road.	0.90	0.12	5% of the work is done.
13. Widening of Jaipur-Ajmer road mile 9-53	4.06	—	The estimate & plans are under preparation.
14. Const. of a bridge in mile 13 of Jaipur-Ajmer road over Dhemi Nala	1.31	0.38	28% of the work is done.

15. Const. of a bridge over 3 Nalas in mile 23,25,& 28 of Jaipur-Ajmer.	0.76	0.30	Work completed.
16. Converting dips in miles 12,13,31,33,36 from Jaipur side.	0.48	0.46	Work completed.
17. const. of a bridge over Bandi river.	1.50	0.10	6% work si done.
18. Providing 3' wide shoulders on Jaipur-Delhi road.	1.59	1.72	Work completed.
19. Widening & tarring road with near village lorry stand on Jaipur-Delhi road.	0.21	0.27	Work completed.
20. Providing 1" thick premix carpet in miles 7-24 and 35 excluding mile 21 of Jaipur-Delhi road.	3.39	3.39	Work completed.
21. Const. of ab ridge over Nalla in mile 2 1 & 23 of Jaipur-Ajmer road.	0.24	0.24	Work completed.
22. Improving road with in Kishangarh municipality.	0.60	—	The estimate & plans are in preparation.
	30.27 lacs	15.85 lacs.	

ALWAR DISTRICT.

1. Const. of a bridge across Burdiwala Nala in mile 46/1 of Jaipur-Delhi road.	0.24	0.28	Work completed.
2. Improvement to Panith Ghati in mile 50-51 of Delhi-Jaipur road	2.12	1.08	50% of work is done.
3. Improvement of curves in mile 25 of Alwar-Jaipur road.	0.28	0.19	82% Work is done.

4. Const of a bridge across Bhilvari Nala in mile 48 of Jaipur-Delhi road.	1 45	0.59	35% of Work is done.
5. Providing shoulders in mile 23 of Alwar-Delhi road.	1.00	0.95	Work completed.
6. Converting four existing causeways in to minor bridges at mile 12/7 to 23/1 of Delhi-Alwar road.	0.59	0.57	Work completed.
7. Improvement of blind curves in 12 and between 22 & 26 of Alwar-Jaipur road.	0.20	—	Revised estimate sent to Govt. of India for approval.
8. Const. of high level bridges in miles 13,16,19,20,21 & 31.	4.25	—	Estimates are under preparation,
9. Converting metalled dips in to culverts in mile 24/1,26/6,30/5, 35/4,37/8 of Jaipur-Delhi road.	0.80	0.69	Work is nearing completion
10. Const. of a bridge in mile 21/3 of Alwar-Jaipur road.	0.68	—	Tenders have been called for and work will shortly be started as soon as tenders are sanctioned.
11. -do- -do- 21/3 Alwar-Delhi road.	0.31	—	-do- -do-
12. Widening & tarring road with near Naogaon in mile 22 of Alwar-Delhi.	0.09	0.09	Work completed.

13. Providing shoulders in mile 23 of Alwar-Delhi road.	1.00	0.97	Work completed.
14. Widening & tarring Alwar-Jaipur Rd. near Thana Gazi Bus stand.	0.04	0.04	Work completed.
15. Providing shoulders with dry stone pitching from Alwar city to Jaipur District border.	1.21	1.21	-do-
	14.26 lacs	6.66 lacs	

UDAIPUR DISTRICT.

1. Improvement to Gomti Bridge at mile 60/3 of Udaipur-Ajmer sec.	1.07	1.01	Work finally compeleted.
2. Widening the formation of Dewair-Ajmer boundry road mile 66 to 60	1.81	1.35	-do-
3. Renewing & providing 3/4" carpet to miles between Dewair-Ajmer Boundry.	1.78	1.86	-do-
4. Widening the formation & Improving Dewair-Ajmer Boundry road miles 24 to 35	3.27	3.69	-do-
5. Providing a bridge on Ahor River Udaipur-Ajmer road.	4.00	-	The estimate & plans are under preparation.
6. Providing Bye-pass at Kherwara.	0.25	0.18	Work is nearing comptd.
7. Const. of mettaled road & black topping road from Baggar to Bhim via Barar	7.31	5.69	Work is in progress.

8 Const. of Divertion of Dewair.	4.00	—	The estimate & plans are under preparation.
9. Providing 3/4" carpet & shoulders including improvement in Bhim-Udaipur section (65 miles)	13.00	—	-do- -do-
10. Widening road formation from mile 42 to 66 Kankroli-Dewair road.	1.35	1.44	Work completed.
11. Improvement of miles 44 to 54 Kankroli-Dewair road.	2.46	2.80	-do- -do-
12. Const. of a bridge & providing Bye-pass at Parsoli in mile 13 of Rajnagar-Dewair section.	1.62	1.60	-do- -do-
13. Widening the formation to 38' between Nathdwara-Kankroli.	0.40	—	The work is under tender
14. Const. of a bridge over Khari-River near Nathdwara in mile 25.	0.34	4.96	Work completed.
15. -do- -do- over Banas river near Nathdwara, in mile 32	12.22	1.55	Work is in progress. Tenders for bridge proper have been invited.
16. Const. of a Bye-pass at Nathdwara in mile 29 to 32	4.52	5.22	Work completed.
17. Const. of a bridge over Som River at Kadgar	4.54	4.79	Work completed.
18. Widening & Improving miles 0 to 30 of Udaipur-Nathdwara road.	2.80	2.93	Work completed.

19. Providing & widening formation to 38' and providing shoulders in widening carepeting in Ghat Sec. (mile except 8 & 9) Udaipur-Nathdwara.	9.00	—	The estimate & plans are under preparation.
20. Re-grading & pointing and widening mile 6 to 10 Udaipur-Nathdwaaa road.	2.26	2.25	Work completed.
21. Canstg. Bye-pass near villege Pulan in mile 2 of Udaipur-Nathdwara road.	2.00	—	The estimate & plans are under preparation.
22. Providing culverts & bridges in mile 14, 19, 20 of Udaipur-Nathdwara sec. & 46-73 of Kankroli-Dewair sec. and Dewair-Ajmer sec.	5.05	—	-do- -do-
23 Diverting from mile 8 of Udaipur-Kherwara road (2 miles)	2.00	—	-do- -do-
24. Re-grading & Widening of Udaipur-Kherwara sec. mile 12, 13, 18. 19 & 20.	0.95	1.04	Work completed.
25. Metalling & Pointing including improvements of grades of Udaipur-Kherwara road.	0 50	0.54	-do- -do-
26. Widening & Re-garding of Udaipur-Kherwara road miles 21 to 43	1.76	1.93	-do- -do-
27. Improvement to existing bridges (a) Major at Tiedi and Prowad.	2.00	—	The estimate & plans are under preparation.

28. Const. & carpetting & Udaipur-Kherwara road from miles 25 to 40	32	3.45	Work completed.
29. Providing new culverts in mile 18, 19, 23 & 48 Udaipur district.	0.53	—	The estimate under preparation.
30. Providing retaining & Parapet walls in high banks in mile 14 and 16 of Udaipur-Nathdwara road at miles 36, 38 of Nathdwara-Kankroli road.	6.00	—	The estimate plans & are under preparation.
	106.1 lacs	48.28 lacs	
DUNGARPUR DISTRICT.			
1. Const. of a bridge over Bhowali Nala on Kherwara Bichiwara road.	0.47	0.55	Work in progress.
2. Const. of culverts on Kherwara-Bichiwara sec.	1.93	2.03	-do- -do-
3. Const. of bridges on Kherwara-Bichiwara sec.	3.25	2.10	-do- -do-
4. Providing B. T. and shoulders Kherwara-Ratanpur.	4.00	—	Estimate have been prepared & are waiting Govt-approval.
5. Const. of mattled & black topped road from Baggar to Bhim via Baror.	7.51	8.30	Work is in progress.
6. Const. of rest house at Ratanpur.	0.50	—	The estimate & plans are under preparation.

7. Const. of Divertion at Dewair.	4.00	—	-do-	-do-
8. Providing Bye-pass at Bhim.	0.50	—	-do-	-do- awaiting for Govt. approval.
	22.16 lacs	12.98 lacs		

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६६४ का उत्तर देखिये)

ग्राम पंचायत पोलीबंगा तहसील सूरतगढ़ जिला गंगानगर द्वारा आबादी भूमि विक्रय की गई उसकी सूची।

क्र० सं०	नाम व्यक्ति जिसको विक्रय की	भूमि का नाप	तादाद रकम
१	२	३	४
१.	श्री रामप्रसाद नि० पीलीबंगा	६०० दरगज	५६। रुपये
२.	श्री बीरबल नि० लिखमीसर	१५०० दरगज	६३ रुपये बारह आने
३.	श्री रामचन्द्र व बृजलाल नि० सिमीसर	१२०० दरगज	७५ रुपये
४.	श्री हरचन्द गणपत नि० दुलमरी	१८०० दरगज	१५ रुपये रियायत
५.	श्री भागीरथ नि० पीलीबंगा	६०० दरगज	२८ रुपये दो आने
६.	श्री शेरसिंह सराबावाला	१२०० दरगज	३७ रुपये आठ आने
७.	श्री बीरबल निवासी भडोमल	१५०० दरगज	६३ रुपये बारह आने
८.	श्री हजारीलाल नि० भडोमल	१५०० दरगज	,,
९.	श्री मनीराम व मनफूलसिंह व बीरबल व श्रीचन्द	३६०० दरगज	२२५ रुपये
१०.	श्री लालचन्द नि० लिखमीसर	६०० दरगज	५६ रुपये चार आने
११.	श्री हरिराम निवाडी	१५०० दरगज	६३ रुपये बारह आने
१२.	श्री अनोपसिंह नि० लिखमीसर	१५०० दरगज	,,
१३.	श्री हेतराम नि० मन्डी दावाली	१५०० दरगज	,,
१४.	श्री चैतराम	३००० दरगज	१८७ रुपये आठ आने
१५.	श्री गुरुनामसिंह नि० सरदारसिंह वाला	१२०० दरगज	७५ रुपये
१६.	श्री हरचन्द नि० त्रिलोचावाला	१२०० दरगज	,,

१	२	३	४	५
१७.	श्री तिलोकचन्द नि० लिखमीसर		१५०० दरगज	६३ रुपये बारह आने
१८.	श्री बचनसिंह नि० सरदारसिंहवाला		१२०० दरगज	७५ रुपये
१९.	श्री बनीराम नि० लिखमीसर		२५०० दरगज	६३ रुपये बारह आने
२०.	श्री बीरबल नि० पीलीबंगा		१५०० दरगज	,,
२१.	श्री मामराज नि० लिखमीसर		१२०० दरगज	७५ रुपये
२२.	पुखराज नि० पीलीबंगा देहात		६०० दरगज	५३ रुपये चार आने
२३.	श्री मनफूल काशीराम नि० अनालकी		६०० दरगज	,,
२४.	श्री भैंराराम नि० मन्डी पीलीबंगा		६०० दरगज	५६ रुपये चार आने
२५.	श्री गिरधारी नि० पीलीबंगा		१२०० दरगज	३७ रुपये आठ आने
२६.	श्री सहीराम नि० पीलीबंगा		१२०० दरगज	,,
२७.	श्री बद्रीराम नि० पीलीबंगा		१२०० दरगज	,,
२८.	श्री मन्दगर नि० पीलीबंगा		१०८४ दरगज	,,
२९.	श्री ख्यालीराम नि० पीलीबंगा		१२०० दरगज	,,
३०.	श्री अर्जुनराम नि० पीलीबंगा		,,	,,
३१.	श्री रूपा नि० पीलीबंगा		६०० दरगज	३८ रुपये दो आने
३२.	श्री रणछोड़ा नि० पीलीबंगा		१२०० दरगज	३७ रुपये आठ आने
३३.	श्री गिरधारी नि० पीलीबंगा		६०० दरगज	३८ रुपये दो आने
३४.	श्री पंतराम ओंकार नि० पीलीबंगा		६०० दरगज	५६ रुपये चार आने
३५.	श्री बुद्धा निवास		पुराना कस्बा मानकर फ्री दी गई है।	
३६.	श्री स्वामी सच्चिदानन्द नि० पीलीबंगा		६०० दरगज	५६ रुपये चार आने
३७.	श्री हनुमानप्रसाद नि० पीलीबंगा		६०० दरगज	,,
३८.	श्री रामचन्द नि० दुद्गानी		१६०० दरगज	१०० रुपये

Page No.125

१	२	३	४
३९.	श्री सरदारसिंह जीतसिंह सिख निवासी दुतगानी	९०० दरगज	५६ रुपये चार आने
४०.	श्री मुरलीचन्द दुतगानी	१६०० दरगज	१०० रुपये
४१.	श्री विक्षीराम निं० दुतगानी	९०० दरगज	५६ रुपये चार आने
४२.	श्री निर्जनसिंह सिख नि० दुतगानी	८६४ दरगज	५२ रुपये चौदह आने
४३.	जगराज नि० दुतगानी राठौन	१०८६ दरगज	६८ रुपये
४४.	श्री भागीरथ दुतगानी	९०० दरगज	५६ रुपये चार आने
४५.	श्री रामचन्द्र पीलीबंगा	९०० दरगज	,,
४६.	श्री मनफूलजाट नि० पीलीबंगा	,,	,,
४७.	श्री मूलमणि पीलीबंगा	३५६५ दरगज	,,
४८.	श्री किशना नि० दुतगानी	,,	,,
४९.	श्री धौकल नि० दुतगानी	५५९२ दरगज	,,
५०.	श्री जगराम नि० पीलीबंगा	२१९० दरगज	,,
५१.	श्री कुसा नि० पीलीबंगा	४५ दरगज	,,
५२.	श्री मुखराम नि० दुतगानी	,,	,,
५३.	श्री काशीराम नि० पीलीबंगा	,,	,,
५४.	श्री बीरबल पीलीबंगा	,,	,,
५५.	श्री काशीराम नि० पीलीबंगा	४०९४ दरगज	,,
५६.	श्री रुघा नि० दुतगानी	४६२० दरगज	,,
५७.	श्री सुलतान नि० दुतगानी	२८५० दरगज	,,
५८.	श्री सुलतान दुतगानी	,,	,,

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १००६ का उत्तर देखिये)

नकशा यात्रा बिल चेयरमैन नगरपालिका झालावाड़ सन् ५७ से अगस्त ५८ तक

संख्या	नाम यात्रा बिल लेने वाले का	यात्रा के स्थान	दिनांक	यात्रा के कारण	तादाद रकम जो दी गई	विवरण
१.	श्री गौरीशंकर चेयरमैन	कोटा से झालावाड़ आये झालावाड़ से कोटा गये	११–२–५८ १०–२–५८	श्री राज्यपाल महोदय के प्रोग्राम बनाने के वास्ते कमिश्नर साहब ने कोटा बुलवाया ।	११. ५० नये पैसे	
२.	श्री गौरीशंकर चेयरमैन	झालावाड़ से जयपुर गये जयपुर से झालावाड़ आये	१७–४–५८ १६–४–५८	जल-कष्ट निवारण की ५००० रु० (पांच हजार रुपये) की मंजूरी लेने गये ।	३८. ८२ नये पैसे	
३.	श्री गौरीशंकर चेयरमैन	झालावाड़ से जयपुर गये जयपुर से अजमेर ।	१–६–५८	१-६-५८ को झालावाड़ से जयपुर और जयपुर से अजमेर से झालावाड़ वापस आये	८८. ०४ नये पैसे	
		अजमेर से झालावाड़ आये ।	८–६–५८	जल-कष्ट निवारण हेतु जयपुर गये व चेयरमैन नगरपालिका राजस्थान बैठक में जो अजमेर में थी इससे जयपुर से अजमेर गये व वापस झालावाड़ आये ।		
				योग	१३८. ३६	

[५१२८

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ का उत्तर देखिये)

मुकसील फ़्हरिस्त जप्त शुदा माल नाथद्वारा उदयपुर डिस्ट्रक्ट

पेटी नम्बर १

१. जडाऊ मुतफरीक जेवरात सोने के ३०० छोटे बड़े टुकड़े वज़नी ११ तोला साढ़े नौ आने भर अन्दाज़न कीमत ६०००) हजार रुपया।

२. एक गटसरी सोने की जडाऊ सात दाने बीच में हरःनग व दूसरी ८दाने बीच में श्रीनाथ की हर दो वजनी ७ तोला ५ आना भर की अन्दाजन ३००) रु०।

३. सोने की जडाऊ नग ६ बीच में मानक मोती पुखराज जडाऊ टुकड़े वजनी १६ तोला व कीमत अन्दाजन १२००) रुपया।

४. सफेद जडाऊ टुकड़े हीरे मानक मोती व पन्ना जडाऊ नग २८ वज़नी ३२ तोला की॰ अन्दाजन ३०००) रुपया।

५. बगड़ी जडाऊ सोने की टुकड़े दो मोती पुखराज जड़े हुए वज़नी ६ तोला २ आना भर कीमत अन्दाजन २००) रुपया।

६. मीने का मुडान सोने टिकड़ा ३ जडाऊ वजनी : ६ तोला ६ आना भर कीमत ७०००) रुपया नग १४।

७. मोती की माला १ मोतियों की पोंची १ मोतियों की कड़ी १ डुगडुगी सफेद भुजबन्द १ मोती का जडाऊ वज़नी ६ तोला ४ आना नग ४ पोची चांदी की सोने का मुलम्मा लिये छोटी जाली की ३००) रुपया।

८. टूट फूट जेवरात मोती वगैरह कांच वजनी १४ आना भर कीमत २५०) व एक नीला डिब्बा जिसमें जेवरात रखवाये गये।

९. ३०० टुकड़े जड़ाऊ सोने चांदी मानक पुखराज पन्ना मोती वज़नी १७४ तोला ८ आना भर कीमत अन्दाजन १००००) रुपया।

१०. मोती का फीता पोंची चांदी की कांच की जड़ी वजनी ३।। भर कीमत १५०) मय नीला डिब्बा (६-१) पेटी में २ (६-१०) आईटम रखे गये।

११. सोने चांदी के जेवरात के जड़ाऊ टुकड़े जिनमें मोती मानक पन्ना वगैरह जड़े हुए तादादी ३४४ : नग वज़नी १८४ तोला कीमत अन्दाजन १४०००)।

१२. मोती मूंगा पन्ना मानक का कचड़ा वजनी ३। भर कीमत ६० रुपया। आईटम नम्बर (११–१२) पेटी नम्बर ३ मय डिब्बा नीला में रखवाए गये।

१३. सोने चांदी के जेवरात के टुकड़े तादादी २७१ जिनमें मानक हीरा कांच फीरोजा मोती वगैरह जड़े हुए वजनी १७४ तोला कीमत अन्दाजन १२००) रुपया।

१४. मोती मूंगा कांच की मन्डी पर कचरा वजनी ३ तोला १ आना भर कीमत अन्दाजन २००) आईटम नम्बर १३-१४ मय डिब्बा पेटी गांठ नं० ४ में रखाये गये।

१५. सोने के रामझारा १६६ तोला १२ आना टूंटीदार कीमत ८५००) अन्दाज़ कपड़ो में लिपटा हुआ।

१६. सोने का रामझारा नग एक वज़नी १०४।। भर जिस पर शाह नरोत्तममल लिखा हुआ कीमत ६०००) रुपया।

१७. सोने के छोटे बड़े चम्मच खाने के नग १६ वजनी १३५ तोला ।।। भर कीमत अन्दाजन ११०००) रुपया।

१८. छोटे रामझारे नग ५ सोने के वज़नी १२०।।। भर कीमत अन्दाजन १०५००) जिसमें एक फोनो ग्राम वी एन्ड आर।

१९. सोने की छोटी बड़ी कटोरी २४ जिसमें एक मीने की ढक्कनदार वजनी १८३।।। भर कीमत १६००) जिनके कई पर नाम खुदा हुआ है। उपरोक्त आईटम १ ता० १९ बक्स बक्स नं० १ में रखवाये गये।

बक्स नं० २

२०. सोने की थाली एक वज़नी १२६ तोला : २ : थाली सोने की वजनी १०६ तोला : ३ : सोने की थाली लकीरदार १९६ तोला कीमत अन्दाजन ३६०००)।

२१. सोने के चार बड़े घमले व ११ छोटे प्याले वज़नी ६४७।। भर कीमत ८२००) अन्दाजन।

२२. सोने की कटोरी छोटी नग १८ व तीन रकाबी सोने कुल २१ नग वज़नी ३४६ तोला कीमत ३००००)।

२३. पैरों के जोड़ ६ सोने के जिसमें २ के कली नहीं है मानक पन्ना जड़ा हुआ चपड़ी भरी हुई वज़नी २५८ तोला कीमत अन्दाजन १५०००) रु०।

२४. एक इतरदानी पिलेन के दोनों तरफ मयी लगी हुई नीचे पत्थर लगा हुआ दो शीशी इतर की मढ़ी हुई वज़नी कीमत अन्दाजन १५)।

२५. सोने के ४ नेकलस वजनी ७। तोला ।। भर कीमत अन्दाजन ६५००) ।

२६. मोती सच्चे टूटे कांच मूंगा वगैराह मय कलई वज़नी ४६६ तोला कीमत अन्दाजन १५०००) जिसमें सोने के टिकड़े व चांदी के टुकड़े हैं।

२७. सोने के बने हुए जेवर पोंची फडौ नेकलस वगैरह २६ नग वजनी ६०।। भर कीमत अन्दाजन ७५००)।

२८. १२ नग जेवरात सोना जड़ा जुहा हीरे मोती पन्ना मानक नेकलस फतामरी वगैराह वज़नी ३७ तोला कीमत अन्दाजन १५०००) रुपया।

२९. मोती के नग २५ बड़े नेकलस जड़ाऊ वगेरेह वज़नी २५ भर कीमत ३०००)।

३०. सोने चांदी के जेवरात व टुकड़े जड़ाऊ जिसमें मोती मानक पन्ना कांच हीरा वगैरह जड़े हुए हैं तादादी १९५००) १२३२) तोला ११ आना भर ६४०००।

३१. मोती रूपी चांदी कस टुकड़े वजनी २ तोला ।।। भर कीमत ५०)।

३२. सोने के जेवरात जड़ाऊ टुकड़े नग १२ जिसमें मानक पुखराज पन्ना मोती वगैरह जड़े हुए वज़नी ३७ तोला कीमत अन्दाजन २५००) मय एक डिब्बा नीला।

३३. मोती कच्चे छोटे तरह तरह के वजनी ३५ तोला मा० कीमत अ० ३५००)।

बॉक्स नं० ३

३४. सोने का सिंहासन मय लकड़ी ४ पाये सोने के वजनी १८४ तोला मय लकड़ी कीमत ७,०००) रुपया।

३५. पूजा का सामान सोने का नग ५ थाली धूनी चमचा वगैरह वज़नी ११९ तोला कीमत रु० ९,०००) आईटम नम्बर ३४२, ३५ का एक पैकिंग बनाया गया।

३६. चाबी दो गुच्छों में कागज के लिफाफे में ९-३ बड़ी व ६ छोटी कागजात सम्बन्धित चाबी का उसके डिपोजिट इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया बम्बई।

३७. एक क्रिकिट चांदी छोटा वजनी २२ तोला ।।। भर का अन्दाजन ३२ व २५ चांदी के पुरानव एक डिब्बी पीतल व सोने के टुकड़े नग ९ वजनी ४१ तोला ।। आना भर कटोरी छोटी व चमची नग २ वजनी एक तोला १० आना भर कीमती १५०) मय डिब्बा नीलम कीमती ४,२०७) १ गिन्नी एडवर्ड मय टिकिट पी० सी० मार्च कीमती १००) रुपया।

३८. सरोते दो लोहे के ऊपर सोने का पानी छोटे : २ : एक घड़ी जे० बी० सुनहरी व जिस पर फेवर लूबा एन्ड कम्पनी, स्वीस मेड वाच में लिखा हुआ। : ३ : सोने की

सलाख साढे आठ तोला कीमत ७००) ४. एक कृपान लोहे का जिस पर केसव मुठिया सोने का चंदा हुवा कीमत ५०) रुपया पीतल के लोकेट नग ३ छोटे तलवार दो डंगा १ चाकू १ १ पिन १ तुलसी की कन्ठी १ छोटा लोहे का तालां चात्री एक लोहें एक टिकडा सोने का जड़ाऊ ७ आना भर कीमती २०) रुपया चान्दी की चुटकी एक छोटी चांदी की गट्टी : ढाली : चान्दी की डली वजनी २३ तोला कीमती ३५) रु० मोती सच्चे व फूटे नग ३७ वजन दो तोला कीमत ३००) रु० मोती सच्चे व फूटे १५ तोला आठ आना भर कीमत १,०००) रु० कमीज के बटन चार मय सेविस जोड़ी हीरे व मीने मय चोघ वजनी अढाई तोला कीमत अन्दाजन १,५८०) हीरे की एक कड़ी जड़ाऊ बीच में लाल मानक ४ तोला १५ आना भर कीमत ५,०००) अन्दाजन मय एक डिब्बा हरा ।

३९. सोने की पायल एक जोडी घुघरीदार वजनी ३४ तोला आठ आना भर कीमत २,५८०) ४०–१ घड़ी छोटी जनानी रिस्टवाच सुनहरी मय चेन नम्बर ३,७१,३७२ एंग्ल प्रूफ मेंड दूसरी घडी रिवस मेंड वाटरप्रूफ काला डायल बिना चैन तीसरी घडी चौखूंटी सुनहरी डायल स्टील सेफ ३२६........२० बिना चैन : ४ : एक घडी जिनालिया बीच में गोल डायल काला यहां चमड़े का पीछे से मशीन नजर आती है पांचवी Umega swiss made ५२ नम्बर २ पट्टा चमड़े का सुनहरी डायल छोटी घडी Proof Watch जिस पर R. Gold Best लिखा काला डायल चमड़े की डोरी सातवीं घड़ी सिविलमेड Namel डायल सफेद चारों तरफ लाल परोवर वाच चमड़े का वाच चमड़े का पट्टा मोती के निकलने से मय काला डोरा वजनी १। तोला चार आना भर कीमत १००) कान की बालियां ४-२ मोतीयों की २ लाल सफेद नगीना वजनी १ तोला १ आना भर कीमत २००) हरे डिब्बे के अन्दर एक लाकेट बिला पातन पीतल नाहर नाखून १ कांच के चूडे एक पुडिया में कांच के कंगन २ फूटे नगीने के चोटी का फूला ।

कांच की सफेद नगीने २ चूडी कांच के एरन दो सफेद नीले भूंठे मीनों चमकी आडी कांच के एक आयना एक छोटा २ जोडी २ नग चांदी कंगन चूड़ी हरे कांच की नगीनों की २ चूडी पीतल या सोने की मुलम्मे ८ चूड़ी मसाले जिस पर सोने की पतल ऊपर लगी हुई एक बगैर तार की ५० पीतल की काली नग ७ कांच जुड़े हुए १ अंगूठी चांदी मोती कडवा लगा हुवा १ अगूंठी पीतल की चारों तरफ हीरे लगा हुआ वजन १३ आना भर कीमत ४०० गिन्नी एडवर्ड की ३ कीमती २२५ बटन नग ४ सामने के सोने को काले डोरे लाल imitation लगे हुए वजनी १४ भर मय धागा कीमती ६० लालन्ति सोने का मय चंपडी वजनी ।) भर कीमत १०) रु० एक लोकट पुराना का मोती टुकडा ड़ेढ़ आना भर कीमत ७) रु० मोती की थाली एक वजनी आना भर कीमत ५ रु० चांदी की मूर्ति दो छोटी लक्ष्मीनारायण चांदी की डिब्बी छोटी एक दो कलदार चान्दी की डिब्बी छोटी एक दो कलदार चान्दी के तुलसी की कन्ठी १, Eye glass एक कटारनुमा एक साडी पिन शटिल छोटा १ एक कडी मय डिब्बो पीतल लगे हुए हुक्कनुमा कीमती ५०) रु० चाकू लोहे का एक उपरोक्त सामान item ४० का २२५ छोटे लकड़ी में रखा गया कुल कीमत अन्दाजन २,६३२) । रु०

४२. चांदी की पायल घुघरेह वजनी २७॥ तोला कीमत ४०) रु० पानदान दो चांदी

वॅजन ७४ तोला कीमत २००) रु० चांदी का सामान मौसमी का रस निकालने चान्दी का वजन ३२ तोला कीमत ५०) रु० चाय की चलनी चांदी ४।।। तोला भर कीमत ७।।) रु० चांदी की पानदानी कीमती की मुहर वजनी २६। तोला भर कीमती २५) रु०३ चम्पा कलई २ एक चम्मच चांदी ३ तोला चार आना भर की क़ीमत ५– चांदी के बच्चों के खिलौने सिंहासन. फूकने वगैरह वजन ४२ तोला नग २० कीमत ७०) वजनी वाली चांदी की छोटी बड़ी ३ वजन १२५ तोला कीमत २००) रु० चांदी का रामझारा १ वजनी ४५।। तोला कीमत ७०) रु० चांदी की कटोरी १० छोटी बडी नग १० वजन २२० तोला कीमत २७५) चांदी का एक वमपेट वजन २८।। तोला कीमत ३०) रु० चांदी के गिलास छोटे बड़े ५ वजन ४८।। तोला कीमत ७५) रु० २ वाट पीतल का दो तोला चांदी को दो लुटिया छोटी बडी वजन २६।। तोला कीमत ४५) रु० कुल कीमत ८६२३।।) बॉक्स नम्बर ३ आइटम ३४ ला पर रखी गई बॉक्स पर हंस कनक पुत्रावटी लिखा हुआ है ।

बॉक्स नम्बर ४

५२. १ सोने के मुख्तलिफ जेवरात के टुकड़े जिसमें कई के नीचे चांदी लगी हुई कुल वजनी ३७।। तोला भर कीमत २४,०००) रु०

२२. पायजेवर सोने के छोटे बु नग २२ वजनी ८३।। तोला कीमत ७,५००) रु०

४२. ३ सोने के मुख्तलिफ किस्म के हाथ के पहिनने के जेवर जिसमें तरह वाला नग लगा हुआ तादादी ६२ तरह तरह व वजनी कुल ४१० तोला कीमती २७,०००) रु० ४२ : ४ : अलगोजे सोने के एक खिलौने नग कुल १० वजनी ३८ तोला को जिसमें अलगोजा में लकड़ी लगी हुई है कीमती १५००) ५ सोने के पहनने वाली व बाराज मुकतसिक तरह muke कान के वजनी ७८ तोला कुल नग ४३ कीमती ६०००) रु० अन्दाजन ।

६ तुलसी की माला ४ वजनी ५। तोला पर सोने के तार में पिरोई हुई कीमती २००) रु०

७ सोने मुख्तलिफ किस्म के गले के पहनने के जेवरात नेकलस हार जंजीर कुल नग ६५ वजनी ६८८ तोला ।।। आना भर कीमत अन्दाज ६०,०००) रु०

८ सोने के कन्छे मुख्तलिफ तरह के बनावट की ४ नग वजनी ७७।। तोला कीमत ४,०००) रु० बन्दी १७–११–५८ आज बम्बई मोतविरान व अशखासान दीरोजा व अफसरान ए. डी. एम., एस. पी. साहब जयपुर खयाना पुलिस लाइन से सील तोड़कर कार्यवाही माल तोल जब्ती शुरू की जाती है ।

१२–११–५८

४३)६ सिंहासन सोना मय पत्र जिसके पन्ना मोती लगे हुए वजनी २४ तोला ८ आना भर कीमती २,८००) रु०

४३) सोने चान्दी की हाथ की पहनने की चीजें जिनमें चपड़ी भरी हुई है मोती पुखराज वगैराह जड़े हुए हैं। नग १३ वजनी ४॥ तोला भर कीमती ३,०००) रु०

४३)३ गले के पहनने के सोने के जेवरात जडाऊ जिनमें मोती पुखराज पन्ना शीशा नग १७ वजन १२२॥ तोला जिनमें चपड़ी व वाय काफी भरी हुई कीमती अन्दाजन ६,०००) रु०

४३)४ कान के पहनने के मुखतलिफ जेवरात सोना जडाऊ मोती मानक कांच वगैरह मीनाकारी मय चपडी व वाय नग ३० वजनो ५५॥ तोला भर मय चांदी के पेच कीमत अन्दाजन २,७००) रु०

४३)५ हाथ के सोने के आथे कड़े हुए व साथ मीनाकारी कुल नग १३ वजनी ७७। तोला कीमत २,०००) रु०

४३)६ सात मुखतलिफ किस्म के जालदार जेवरात के टुकड़े कड़ी नग कड़े व फूकामा वगैरह वजनी ३४॥। तोला भर मय वाध्य कपड़े चपड़ों सैकड़ों चान्दी सोना कपड़ा वगैरह भी लगा हुआ कुल नग ३० कीमती १,०००) रु० ।

४३)७ सोने के सरवच जडाऊ पिराजा इमिटेशन मय चपडी लाख साव डोरा ।

(४३) ७ सोने के सरवज जड़ाऊ पिराजा इमिटेशन मय चमड़ो वाघ डोरा नग १७ वजनी १२५॥ तोला इसमें भुजबन्द भी है कीमत ६,०००) रु० ।

(४३) ८ सोना चांदी के जेवरात जड़ाऊ सादा मीनाकारी के टुकड़े कुल ६०० जिसमें मानक पुखराज पन्ना कांच इमिटेशन जड़े हुए मय चमड़ी वाघ डोरा ।

(४३) ८ सरपंच लगो वुगैराह के जेवर के खंड हैं वजनी ६६३ तोला कीमती अन्दाजन ४५,०००) रु० ।

(४३) ६ चांदी सोने के जेवरात का खेरा मय मिट्टी पोन रास हरे लाल सफेद नगीन वजनी ६६ तोला कीमती १२००) रु० १३० नम्बर ५ चमड़ा चाबी वसम गोरधनदास माल-पानी के नाम हैं। चाबी से खुलाया गया ।

४४) १ टीका जड़ाऊ सोने का जिसमें हीरा मानक मोती जड़े हुए हैं मय लड़ मोती मय धागा वजनी १ तोला १४ आना भर है कीमती २,५००) रु० सुर्ख डिबिया में।

(४५) झाडमादी सुद्रा : गिन्नी : आधी : ७ : गिन्नी : ११ : कुल १८ एक नीली छोटी डिब्बी का कुल १,०००) एक हजार रु० ।

(४६) एक सैट मोती का जिसमें हीरे जड़े हुए और सफेद वात की टिकड़ी लगी मोती धागा में पिरे हुए जिसमें एक नेकलस १ जोड़ा दस्तबन्द १ जोड़ा इयुरिंग १ अंगूठी में मोती

निकला हुआ नेकलस नीचे ५ लड़ गला में ४ लड़ दस्तबन्द में ७-७ लड़ अंगूठे में परिन में ११ मोती वजन ३० तोला जो लाल डिब्बे में बन्द है कीमती ५०,०००) रु० ।

(४७) बटन सोना जिन पर हरा मीना हो रहा है बीच में हीरा जड़ा हुआ है । इनमें ६ बटन बड़े कोट ६ बटन बड़े कोट ६ बटन छोटे दस्ते कोट ४ बटन कमीज के सामने एक जोड़ी कफ जो हरे केस में बन्द है कुल १८ कीमती ६००) रु० ।

(४८) एक घड़ी रिस्ट वाच जनानी सुनहरा हीरे चैन में जड़े हुए वल दोनों वाली नम्बर १३,३०,६१७। १,४०,४३६ वजनी चार तोला १३ आना भर कीमती ८,०००) रु० पन्नी फसल शायद डिबिया चमड़े में रखी हुई ।

(४६) एक स्विस वाच पहल जनानी चमड़े का फीता स्विसमेड ३४,५६,८२ की २००) रु० काली डिब्बी में रखी है ।

(५०) एक घड़ी मरदानी सुनहरी पोमार नम्बर ६२०-१,४०१ । १७,८०,८७३ चैन सुनहरी डबल गोल प्रश्त टटोल चैन पीतल की जो सफेद डिब्बी में बन्द है ।

(५१) एक डिब्बी स्नोलाईट जिसमें एक शीशी कांच की है, किस्तूरी की है ।

(५२) एक जोड़ी पायजेब सोने का घंघरीदार छोटेलाल इमीटेशन लगे हुए बजन ३६।। तोला भर कीमती ३,०००) रु० नीले मखमल के केस में बन्द है ।

(५३) एक नीला मखमल का बगस नीला लगा हुआ जिसके अन्दर एक माला मोती काला धागा से पिरोई हुई वजनी दो तोला १३ आना भर की एक कड़ा जोड़ी सोने मीने की जिस पर हीरे जड़े हुए हैं । अन्दर लाल १४ तोला ८ आना भर एक जोड़ी कंगन सोने वेमन कट वजन १३ तोला ४ चार आना भर । दो जोड़ी रायरिंगस मोती के जिन २ मोती निकले हुए वजनी ४ तोला एक आना भर अंगूठ ५ एक सोने की वजनी १० आना भर बीच में गुलाबी नग और आज-बाज दो हीरे जड़े हुए एक जोड़ी ब्रासलेट पीतल के जिसमें एक टिकड़ी सोने की जड़ाऊ मोती मानक वजनी ३ तोला १२ आना भर कुल माल कीमतो ८,१८०) रु० आइटम् बक्स के अन्दर ६५४ एक बक्स हरे रंग दुपरता बदलने वाला लकड़ी का जिसमें माल यह है :

(१) एक बेड़ी सोने की वजनी दो तोला ११ आना भर कीमती २४०) रु० ।

(२) चूड़ी हाथीदांत की जिन पर पोल का पता चढ़ा हुआ कुल १४ चूड़ी हैं जिनमें १२ के सफेद हाथी दांत हैं दो सुर्ख है वजनी १० तोला कीमती ३००) रु० १ जोड़ी पायल जिसमें घुंघरू तादादी ११५ खुले हुए हैं और तार सोने का कागज की पुड़िया में बन्दा हुआ है वज़नी कुल ३० तोला ८ आना भर कीमती २,८००) रु० दोनों का ये सोना मीनेदार वज़नी तीन तोला ।।।) भर कीमती २००) रु० नं० (५) एक जोड़ी चूड़ी सोना वजनी २ तोला की कीमती १७५) रु० (६) एक गिन्नी एक तोला का पासा बैंक ऑफ राजस्थान

कीमती २००) रु० :७: १२ अंगूठी सोना की जिन पर सादा सोने के एक मीने के लगे हुए हैं दो तोला चौदह आना छोटी बड़ी कीमती २००) रु० :८: एक जोड़ी बटकी सोना लाल नग गड़ी हुए वजनी बारह आना भर की ५०) रु० कीमती :६: एक जोड़ी ऐरन सोना की सादा जिनके बाली चांदी की है वजनी ११ आना भर कीमती ४०) रु० :१०: एक जोड़ी पायजेब होने घंघरूदार वजनी ४ तोला एक आना भर की कीमती ३००) रु० नं० ११ कनकती सोने की दो मटरमाला की वजनी ११ तोला चौदह आना भर कीमती १,०००) रु० :१२: माला चार धागे में मुरादी हुई वज़नी ३ तोला १२ आना भर जिनमें ३ माला तुलसी जिनमें १ सोने के तार में पिरोदी एक माला मोती गहनों का है इनके अलावा एक माला छोटे मोती की जौंक की है कुल ५ कीमती १००) रु० ।

(१३) पांच जंजीर सोना छोटी बड़ी जिनमें एक टूटी हुई वजनी ६ तोला ४ आना भर कीमती ८००) रु० ।

(१४) दो लोकेट सोना बीच में लाल मीना सा लगा हुआ वजनी १ तोला सात आना भर कीमती ८०) रु० ।

(१५) दो जोड़ी कड़े ताला पीतल ।

(१६) एक घड़ी रिस्ट वाच सुनहरी जनानी नम्बर ३१,१६५१६६ मय चैन सुनहरी लोटा कीमत ५००) रु० ।

(१७) घड़ी एक चोकोर जनानी सुनहरी जिसकी चैन सुनहरी लोहा की लगी हुई नम्बर ५६,०१३ कीमती ८००) रु० ।

(१८) एक घड़ी जनानी सुनहरी जिसका मुद्दा है नाम......... नम्बर नहीं है कीमती ५००) रु० ।

(१६) एक जोड़ी पायजेब सोने की घुंघरूदार इसका सोना वजनी ६ तोला चार आना भर कीमती ७००) रु० ।

(२०) एक जोड़ी मोगरी सोने की जिस पर मोती असली व नकली व एक के मोती टुट हुए व वज़नी ८ तोला, ८ आना भर कीमती ५००) रु० ।

(२१) चुटकी दो मोम की घुंघरीदार वजनी एक तोला १० आना भर कीमती १२५ रु० यानी एक जोड़ी ।

(२२) चैन दो सोना की टूटी हुई मय लोकेट एक धागा वज़नी दो तोला ११ आना भर कीमती २००) रु० ।

(२३) सोने की अंगूठी व छल्ले कुल नग १२ कुल सादा व मजीदार व जड़ाऊ वजनी ३ तोला चार आना भर कीमती २२५) रु० ।

(२४) अंगूठी एक सोने की जिसमें ऊपर हीरा लगा हुआ वजनी ३ तीन आना भर कीमती १,०००) रु० ।

(२५) कान के इयरिंग चार जोड़ी सोने की जड़ाऊ मानक मोती पन्ना इमीटेशन मखतलिक बना करके तीन तोला एक आना भर कीमत १५०) रु० ।

(२६) मखतलिक सोना चांदी घुंघरू वगैरहा की वजनी ४ तोला १ आना भर कीमत २५०) रु० ।

(२७) मोती सोना चांदी चीड़ वगैराह खेरून के टुकड़े वगैराह वजनी चार तोला कीमती १५०) कुल ११,०८५) रु० ।

(२८) चांदी के एक कुम १ डिब्बी ४ तोला २ तोला की ३१ कुल कीमत २,१८८) रु० ।

(२९) २ फूल पिन कचकड़े एक गटार नुमरपिन लोहे की २ छोटे कंघे १ मझला पेच सोने का चार टुकड़े पत्थर सुनहरे रुपया सितारा ।

(६२) एक निकल का डिब्बा छोटा जिसमें ८७ : सलाई : गिन्नी एडवर्ड ५६ गिन्नी Victoria ४६ मोहर सोने की १०,८००) रु० ।

(६२` एक सेल्यू ली मान नीले डिब्बे में हसव जेल सिर्फ है सब सोने के हैं ।

(१) पुडिया ६,१३० जिसमें एक American doller वजनी १२ तोला, १४ आना भर की कीमती ३१) रु० सोने का ।

(२) पुड़िया ६,१३१ मुर्सिदाबाद की मोहर आधा वजनी १ तोला कीमती १०८) रु० ।

(३) ६।३२ शाहजहां की मोहर एक :१: वजनी १५ आना भर कीमती १०१) रु० ।

(४) ६।३३ हैदराबाद की दुवन्नी १) रु० कीमत ११।।) रु० ।

(५) ६।३४ हैदराबादी मोहर एक :१: वजन १५ कीमती १०१) रु० ।

(६) ६।३५ गैर सिक्का का :१: वजनी २ भर कीमती १३।।) रु०

(७) ६।३६ कचभुज का सिक्का :१: एक तोला, ६ आना कीमती ४०) रु० ।

(८) ६।३७ टरकी मोहर १ तोला दस आना कीमती ६।।) रु० ।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ३ दिसम्बर, १६५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४८८६	अन्तिम से ६	Coirect lame	Correct name
४८६४	,, १३	the legistsation	the registration
४८६६	१२	व्यक्तयों	व्यक्तियों
,,	अन्तिम से ६	माकानों	मकानों
४८८३	,, ७	श्री हरिशंतर	श्री हरीशंकर
४८८४	,, ३	ऐषी	ऐसी
४८६२	,, ८	उपस्वायक शसन मंत्री	उप-स्वायत शासन मन्त्री
४६००	११	जेवत	जेवरात
४६०५	अन्तिम से २	वैराणव	वैष्णव
४६०६	११	जिसशन	जिस दिन
४६१०	३	नियनानुसार	नियमानुसार
,,	अन्तिम से ७	अपील किया था	अपील की थी
४६१५	,,	सरा पहल दू	दूसरा पहलू
४६२३	१	जिम्मेदार	जिम्मेदार
४६२६	१८	ohert	other
४६२७	१३	वकलत	वकालत
४६४८	१६	डिस्क्वलिफिकेशन	डिस्क्वालिफिकेशन
४६५०	अन्तिम	इसयेिए	इलियस
४६८६	१६	नेजोरिटी	मेजोरिटी
४६६५	अन्तिम से २	इन्डीज्युविअल	इन्डीविज्युअल

१	२	३	४
५०२६	२	डाइरेकशन्स श्मुइकरे	डाइरेक्शन इश्यु करे
,,	अन्तिम से ५	उहाहरण	उदाहरण
५०७६	,, ६	चाहिये	चाहिये
५१३६	,, ६	टुट हुए	टूटे हुए
५१३७	४	वगैरह	वगैराह